खण्ड-200, अंक-8
मंगलवार, 21 माघ, शक संवत् 1880
(10 फरवरी, 1959 ई0)

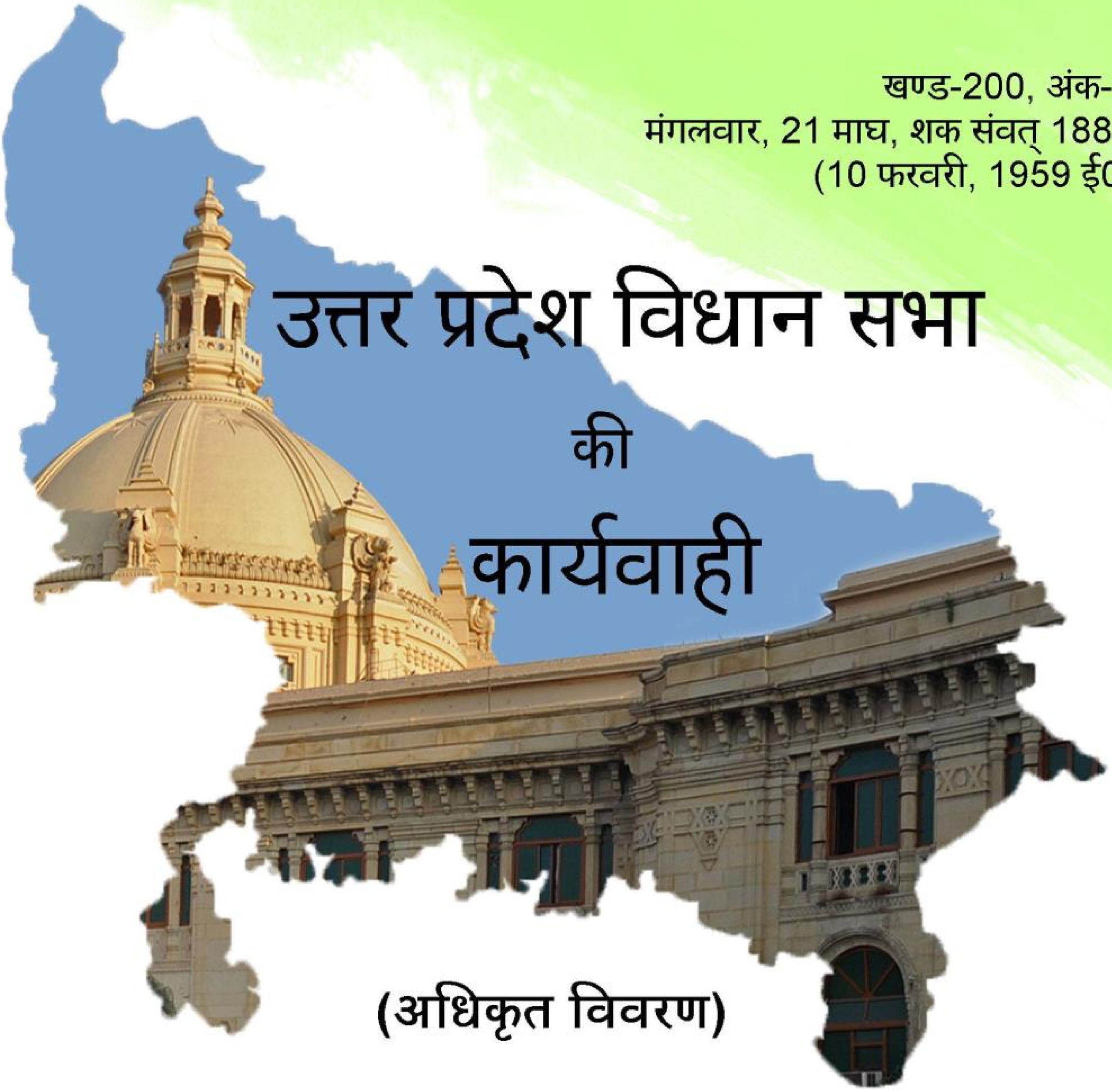

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 200 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	७०९–७११
प्रश्नोत्तर	७११–७३१
श्री रामायणराय की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना	७३२
२८ कार्य-स्थगन प्रस्तावों तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनाएं (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	७३२–७३६
नियम ५३ के अधीन उठाये गये विषय पर विवादार्थ समय निर्धारित करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (निर्णय स्थगित)	७३७
शनिवार, २१ व २८ फरवरी तथा १४ व २१ मार्च, १९५९ को सदन की बैठक होने के सम्बन्ध में संकल्प (स्वीकृत)	७३७–७४१
उत्तर प्रदेश बाट तथा माप प्रचलन विधेयक, १९५९ (विचार जारी) ..	७४१–७८८

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १० फरवरी, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—(३५९)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ , श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन , श्री
इस्ताफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री

गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पञ्चरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री

बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन, खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजन रायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री

रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रुकनुद्दीनखां, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वसुदेव दीक्षित, श्री
विजय शंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अमहद असारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावत, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती

सुन्दरलाल, श्री
सुरयबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीर सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १० फरवरी, १९५९

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले के पंचायत मंत्री

*१--**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में सन्, १९५७ से २० जून सन् १९५८ तक कितने पंचायत के मंत्री सेवा मुक्त किये गये और इसका क्या कारण था ?

स्वायत्त शासन उप मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---सन् ५७ से २० जून, १९५८ तक कुल ३ पंचायत मंत्री सेवा मुक्त किये गये। इनमें से २ पंचायत मंत्रियों का कार्य असंतोषजनक था और १ पंचायत मंत्री पर गबन का आरोप था।

*२--**श्री मुक्तिनाथ राय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७ से २० जून, सन् १९५८ तक कितने नये पंचायत मंत्रियों की नियुक्ति आजमगढ़ जिले में की गई ? इसमें कितने लोगों की नियुक्ति चुनाव समिति द्वारा हुई और कितने लोगों की जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस अवधि में कुल ३५ पंचायत मंत्रियों की नियुक्ति की गई। इनमें से २२ मंत्रियों की नियुक्ति चुनाव समिति द्वारा हुई और १३ की नियुक्ति बाहरी व्यक्तियों में से सीधे जिला पंचायत अधिकारी द्वारा की गई।

*३--**श्री मुक्तिनाथ राय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि जो लोग बिना चुनाव समिति द्वारा नियुक्त किये गये थे वह बाद में अपने पदों से पृथक कर दिये गये ? उनके वेतन में कुल कितना धन व्यय हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां। जो लोग चुनाव समिति द्वारा बिना चुने ही नियुक्त कर लिये गये थे उन्हें चुनाव समिति द्वारा चुने हुये व्यक्ति उपलब्ध होने पर हटा दिया गया। इनके वेतन पर कुल २,१८२ रुपया व्यय हुआ।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दो पंचायत मंत्री जिनका कार्य संतोषजनक नहीं था कितने वर्षों से कार्य कर रहे थे और क्या उन पर आरोप लगा कर के और स्पष्टीकरण प्राप्त करके विचार किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--इन पंचायत मंत्रियों को एक महीने का नोटिस दे दिया गया था लेकिन इससे पहले भी उनका काम अच्छा नहीं हो रहा था जिसके बारे में उनको सूचित कर दिया गया था कि अगर वे काम ठीक नहीं करेंगे तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायंगी।

श्री मुक्तिनाथ राय---श्रीमन्, मैंने पूछा था कि वे कितने वर्षों से कार्य कर रहे थे और उन्होंने उत्तर दिया था और उस पर विचार किया गया था ।

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, उनकी नियुक्ति कब हुई थी, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है लेकिन सम्भवतः पंचायत राज ऐक्ट के अन्दर जब पहली नियुक्ति हुई थी तभी ये नियुक्त हुये थे। परन्तु जब उनका काम अच्छा नहीं हुआ तब उनको नोटिस दे दिया गया था कि आपका काम अच्छा नहीं है और इस दर्मियान में जो कुछ भी उन्होंने जवाब दिया होगा उस पर जरूर विचार हुआ होगा।

श्री मुक्तिनाथ राय---जिन बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति जिला पंचायत अधिकारी द्वारा की गयी उसके पूर्व के चुनाव में आये हुये व्यक्तियों की सूची बनाने के लिये क्या पूर्व जिला पंचायत अधिकारी, आजमगढ़ ने कोई आदेश दिया था ? यदि हां, तो उस सूची में से नियुक्ति क्यों नहीं की गयी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---२८ फरवरी, १९५६ को पंचायत मंत्रियों की जो सुरक्षित सूची तैयार की गयी थी वह १६ जून, १९५६ को सब ले लिये गये। उसके बाद जब स्थान रिक्त हुये तो उनकी पूर्ति करने के लिये सूची में कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं था इसलिये बाहरी आदमी ले लिये गये। बाद में सूची तैयार करने में देरी हुई क्योंकि कभी कोई सदस्य नहीं आया, कभी दरख्वास्तें नहीं आयीं। जब दोबारा सूची तैयार हुई तो उसके मुताबिक नियुक्ति कर दी गयी और जिनको नियुक्त किया गया था उनको हटा दिया गया।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय स्तर पर इन मंत्रियों की नियुक्ति या सेवा के नियम बने हुये हैं या जिले जिले के अलग-अलग हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---पंचायतराज ऐक्ट के अन्दर पंचायत राज रूल्स हैं। उनके अन्तर्गत एक कमेटी बनी हुई है जिसमें जिलाधीश हैं, जिला पंचायत अधिकारी है और जो पहले प्रेसीडेंट, जिला बोर्ड होता था वह है। यह कमेटी हर वर्ष एक सूची तैयार करती थी जिससे नियुक्ति हुआ करती थी।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १६ जून, १९५६ को जो आदेश दिया गया उसमें यह है कि 'ए' लिस्ट में जो आये हैं उनकी 'बी' लिस्ट की सूची बनायी जाय, तो क्या उस आदेश के अनुसार 'बी' लिस्ट की सूची बनायी गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव---१६ जून, १९५६ का क्या आदेश है यह हमारे पास मौजूद नहीं है लेकिन 'ए' लिस्ट की सूची से ही नियुक्ति की जाती है

मलौनी बांध का टूटना

*४---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मलौनी बांध किस सन् में बना था और इसको किस ठेकेदार ने किस इंजीनियर की देख रेख में बनवाया था ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---प्रथम भाग---उपलब्ध कागजों से प्रतीत होता है कि मलौनी बांध का निर्माण १९०६ में हुआ था।

द्वितीय भाग---यह रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

*५---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस बांध को बनवाने में कितना धन व्यय हुआ था ?

श्री गिरधारीलाल---यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मलौनी बांध बाढ़ के कारण बह गया है ?

श्री गिरधारीलाल--अब की बरसात में इसको बहुत काफी नुक्सान हुआ है और उसका कुछ हिस्सा बह भी गया है। इसमें ब्रीच हुई है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस बांध को बांधने के लिये कोई योजना बनाई गई है ?

श्री गिरधारीलाल---इस प्रश्न पर हमने इंजीनियरों से राय मांगी है जब वह आयेगी तो उस पर कुछ न कुछ कार्यवाही जरूर की जायगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सूचना उपलब्ध न होने का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल--कारण यह है कि यह बहुत पुराना बांध है। इसको बने करीब ६० साल हो गये हैं। पुरानी सूचना इस समय हमारे पास नहीं है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मलौनी बांध के टूटने के बाद कोई जांच कराई गई थी और इस प्रकार की चीज पाई गई थी कि इंजीनियर और ठेकेदार की गड़बड़ी की वजह से वह कमजोर बना था ? यदि हां, तो सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गिरधारीलाल---इंजीनियर और ठेकेदार की गड़बड़ी का सवाल तो मेरे नोटिस में नहीं आया। लेकिन टेक्निकल गलती जरूर हुई है। इस किस्म का यह एक छल्ला (रिंग) बांध था जो नलुआ गांव की ओर जा रहा था जिसको शायद नहीं बनाना था और इसके ऊपर इतना रुपया खर्च करना मुनासिब नहीं था और यह एक तरह से कमजोर बना था। बरसात में बाढ़ आई और वह टूट गया। इसमें इंजीनियर और ठेकेदार की गड़बड़ी के विषय में मैं नहीं कह सकता कि कोई गलती थी।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिनकी गलती से यह चीज हुई जिसकी अभी चर्चा की गई है तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई या करने का विचार है ?

श्री गिरधारीलाल---इसमें गलती कोई नहीं है। यह तो वहां की मांग थी और जो वहां के कार्यकर्ता थे उनकी भी सिफारिश थी। इन तमाम बातों को सोच कर के यह बनाया गया था।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस बांध के टूटने से रास्ता बन्द है और लोगों के आने जाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल---इसके लिये सूचना की जरूरत है। मुझे ऐसी कोई इत्तला नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो बांध के टूटने की जांच के लिये कमेटी बिठाई गई थी उसकी किसी सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

श्री गिरधारीलाल---इस समय कोई कमेटी नहीं बनाई गई थी। १९५५ में जब यह बांध टूटा था तो उस समय कमेटी बनाई गई थी और उसके ऊपर जो कुछ उचित कार्यवाही की जानी चाहिये थी वह की गई थी और नये सिरे से बांध बनाया गया था और मैं समझता हूं कि इसमें करीब १५ लाख रुपया खर्चा हुआ है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कमेटी ने क्या-क्या सिफारिशें की थीं ?

श्री गिरधारीलाल---इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी। यह बहुत लम्बी-चौड़ी बात है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसके टूटने से कितना रकबा प्रभावित हुआ है ?

श्री गिरधारीलाल---काफी रकबा प्रभावित हुआ है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बांध टूटने से पहले नलुआ गांव के निवासियों ने दरख्वास्त की थी कि इंजीनियर चाहते हैं कि बांध टूट जाय ?

श्री अध्यक्ष---यह स्पष्ट नहीं हुआ। क्या आपका आक्षेप है ?

श्री उग्रसेन---नलुआ ग्राम के निवासियों की दरख्वास्त पड़ी थी कि इंजीनियर इस बांध के प्रति लापरवाह हो रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल---दरख्वास्त इस बात की थी कि नलुआ का डाइवरजन और मजबूत बनाया जाय। लेकिन टेक्निकल राय थी कि यह इकोनोमिकल नहीं होगा और जितना खर्चा होगा उतना फायदा नहीं होगा। लेकिन गांव वालों की इच्छा थी कि इसको मजबूत बना दिया जाय और ज्यादा बढ़ा दिया जाय।

इलाहाबाद नगरपालिका में बढ़े करों का विरोध

*६---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार के पास इलाहाबाद नगरपालिका के प्रशासक ने बढ़े हुये टैक्स के विरुद्ध वहां के नागरिकों के विरोध पत्र भेजे हैं ? यदि हां, तो कितने मकान मालिकों ने उस बढ़े हुये टैक्स का विरोध किया है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर का बढ़े हुए टैक्स के विरोध में कोई डेपुटेशन मिला ?

श्री रामस्वरूप यादव---डेपुटेशन का श्रीमन्, स्मरण नहीं है लेकिन जो रेट्स नगरपालिका के प्रकाशित किये गये थे उन पर वहां के लोगों ने ऐतराज किये हैं जो कि अभी शासन के पास नहीं आये।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि जो बढ़ा हुआ टैक्स है उसके विरोध की वहां के प्रशासक ने कोई भी सूचना सरकार को नहीं दी ?

श्री रामस्वरूप यादव---जो बढ़े हुये रेट्स थे उनका प्रकाशन वहां के प्रशासक ने किया और उसमें आपत्तियां आयी हैं। वह उन को देख रहे हैं। उसके बाद सरकार को आदेश के लिये भेजेंगे।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार ने बढ़े हुए टैक्स को वापस लेने के लिए आदेश प्रशासक को भेजे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसा विचार तो अभी नहीं है क्योंकि पहली अप्रैल, १९५८ को जो टैक्स लगाये गये थे उसके बाद फिर प्रशासक ने शासन से मशविरा लिया। उसके बाद पहली अक्टूबर, १९५८ को दोबारा रेट्स का प्रकाशन किया है। उसमें सरकार की कोई खास राय नहीं है जब तक कि वह एतराज न आ जायं।

लखनऊ नगरपालिका क्षेत्र में उपवनों के लिए सुरक्षित भूमि न होना

*७—श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने म्युनिसिपल क्षेत्र; लखनऊ के अन्दर कितनी भूमि वन या उपवन के लिये सुरक्षित रखी है और क्यों ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—म्युनिसिपल क्षेत्र, लखनऊ के अन्दर वन या उपवन के लिये कोई भूमि सुरक्षित नहीं रखी गई है।

*८—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[२४ फरवरी, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

खीरी जिले में फारेस्टरों की भर्ती के लिए कथित परीक्षा

*९—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी के वन विभाग ने फारेस्टर पोस्ट के लिये सन् १९५४ से १९५७ तक जिन क्लर्कों की विभागीय परीक्षा ली थी और उनमें जो सफल हुये थे उन्हें फारेस्टर पद पर नियुक्त किया गया या नहीं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रथम भाग—कोई विभागीय परीक्षा सन् १९५४ से १९५७ तक फारेस्टरों की भरती के लिये नहीं ली गई जिसमें खीरी वन विभाग के कोई क्लर्क बैठे हों।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ में जिन क्लर्कों का फारेस्टर की पोस्ट के लिये टेस्ट लिया गया और जिनके नाम राजकुमार, प्रेमचन्द्र गुप्त, बी० एन० पांडेय, राजनारायण और बलबीरसिंह हैं और जिनके मार्क्स ७०, ६० ५०,४० और ६४ हैं, इनको १८-९-५८ को रेकमेंड किया गया था कि इनको फारेस्टर की पोस्ट पर नियुक्त कर दिया जाय, क्या यह सही है, इसकी आप जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—दो दो सवाल आप एक साथ कर रहे हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—जांच कराने की बात सिर्फ पूछना चाहता हूं।

वित्त मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम होता है कि माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी हो रही है। इन लोगों की इफीशेंसी टेस्ट करने के लिए, क्लर्क्स और फारेस्टर्स के लोकल एग्जामिनेशंस होते हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं होते हैं। उस इम्तहान में जो क्लर्क्स कामयाब हुये हैं वह काम कर रहे हैं। उनको फारेस्टर बनाने का कोई सवाल नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो मैंने प्रश्न पूछा है, उसी टेस्ट के फलस्वरूप १८-९-५८ को रेकमेंड किया गया कि इन क्लर्कों को फारेस्टर की पोस्ट के ऊपर नियुक्त कर दिया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर—मुझे नहीं मालूम कि किसने रेकमेंड किया या नहीं किया लेकिन डिपार्टमेंट की पालिसी यह है कि क्लर्क्स में से फारेस्टर नहीं बनाते। उनका रेक्रूटमेंट अलग होता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जांच करायेंगे कि लेटर नम्बर ३०६-ए २६-३, तारीख २ जनवरी, १९५९ को कंजरवेटर आफ फारेस्ट, नैनीताल के नाम यह सिफारिश भेज दी गयी थी कि यह क्लर्क जो टेस्ट में कामयाब हुए हैं इन्हें फारेस्टर बनाया जाय?

श्री सैयद अली जहीर—अगर खत के जरिये इस लेटर की इत्तला देंगे तो मैं इनक्वायरी कराऊंगा।

पंचायत मंत्रियों के तबादले के संबंध में आदेश

*१०—श्री रणबहादुर सिंह (जिला बस्ती)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संचालक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय से आजमगढ़ पंचायत अधिकारी के पास इस आशय का आदेश गया है कि पंचायत मंत्री को उनके घर से २५ मील की दूरी पर तबादिला कर दिया जाय? यदि हां, तो क्या उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। ये आदेश संचालक पंचायत राज द्वारा सामान्य रूप से समस्त जिला पंचायत अधिकारियों को भेजे गये थे। पत्र की प्रतिलिपि मेज पर रखना जनहित में उचित नहीं है।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या माननीय स्वशासन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिलों में होने वाले पंच सम्मेलनों में इस प्रकार के सुझाव आये हैं कि यह आदेश ठीक नहीं है, इसे सरकार रद्द कर दे?

श्री रामस्वरूप यादव—जिलों में पंचायत सम्मेलन हो रहे हैं। उसके बाद प्रदेशीय स्तर पर उनका सम्मेलन होगा। उनका प्रस्ताव वहां पर विचार में आयेगा। विचार होने के बाद वहां भेजे जायेंगे कि इस पर उनके अनुसार काम किया जाय या नहीं। यह ऐसा विषय है जिसके बारे में कुछ कहना कठिन है। बहरहाल पंचायत संचालक यह चाहते हैं कि पचीस मील के अन्दर पंचायत मंत्री न रहे।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या यह सही है कि इस आदेश में कोई तिथि निश्चित की गयी है कि सारे प्रदेश में इन मंत्रियों को इन जगहों पर स्थानान्तरित कर दिया जाय? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसा कहा गया था कि १५ नवम्बर, १९५८ तक इन मंत्रियों को स्थानान्तरित कर दिया जाय लेकिन जिला पंचायत अधिकारी ने लिखा कि इस समय श्रमदान के कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं और इस लिये यह तारीख बढ़ा दी जाय। तो वह बढ़ाकर ३० अप्रैल, १९५९ कर दी गयी कि उस वक्त वे सब तब्दील कर दिये जांय।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि किस बात को ध्यान में रखते हुये संचालक पंचायत राज ने यह आदेश भेजा है कि २५ मील की दूरी पर उनका तबादिला कर दिया जाय?

श्री रामस्वरूप यादव—बहुधा शिकायतें आती हैं और कभी-कभी इस सदन में यह कहा गया था कि पंचायत मंत्री पार्टियों में पड़ते हैं। तो मकान पास में रखने की वजह से यह सम्भव है कि यह शिकायत सही हो। इसलिये सामान्य रूप से यह नियम बना दिया गया है कि २५ मील के अन्दर कोई नहीं रहेगा।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उसी आदेश में यह भी लिखा हुआ है कि यदि जिला अधिकारी चाहें तो किसी पंचायत सेक्रेटरी का स्थानान्तरण न करें? इस तरह की बात उस आदेश में शामिल होने का क्या कारण है?

श्री रामस्वरूप यादव—हां, यह राय जरूर दी गयी है कि अगर किसी पंचायत मंत्री का काम अच्छा है और लोग उससे खुश हैं और पंचायत अधिकारी यह समझते हैं कि उसके रहने से नुकसान नहीं होगा तो वह वहां रखा जा सकेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—इस प्रकार के आदेश आजमगढ़ पंचायत अधिकारी को ही दिये गये हैं या अन्य जिलों के अधिकारियों को भी दिये गये हैं?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, मैंने तो निवेदन किया कि सामान्यतया सूबे भर के सभी जिलों में भेजे गये हैं ।

आजमगढ़ नगरपालिका की लेखा-परीक्षा

*११---श्री चन्द्रजीत यादव---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ नगरपालिका का पिछला आडिट कब हुआ था और उस आडिट रिपोर्ट में क्या कुछ विभागाध्यक्षों के कर्त्तव्य पालन में शिथिलता एवं हिसाब की अनियमितता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव---आजमजगढ़ नगरपालिका का पिछला आडिट वर्ष १९५६-५७ का हो चुका है, इस आडिट नोट में Octroi Superintendent के कर्त्तव्य पालन में शिथिलता एवं हिसाब की अनियमितता पाई गई है । आडिट नोट बार्ड को परिपालन हेतु भेज दी गई है । बोर्ड के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह आडिट नोट बोर्ड के परिपालन हेतु कब भेजे गये और बोर्ड का अब तक उत्तर क्यों नहीं प्राप्त हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---आडिट रिपोर्ट २५ जुलाई, १९५८ की है उसके कुछ दिनों बाद वह शासन को आता है और उनको भी भेज दिया जाता है । उनको समय काफी दिया जाता है जिससे वह विचार करके उत्तर भेजें । उत्तर आने में देर नहीं हुई ।

खीरी जिले की प्लान्टेशन योजना

*१२---श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वन विभाग के कितने रकबे में प्लान्टेशन की योजना कार्यान्वित की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---कुछ नहीं ।

*१३---श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खीरी की प्लान्टेशन योजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितना धन खर्च हुआ और अब उस पर वार्षिक क्या खर्च हो रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में लखीमपुर नार्थ डिवीजन में दुधवा में सैकड़ों एकड़ जमीन प्लान्टेशन में है जहां पर माननीय मंत्री जी कई बार शिकार खेल कर आये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---माननीय सदस्य को मालूम होता है कि फिर गलतफहमी हुई है । पंचवर्षीय योजना में नहीं है । फारेस्ट डिपार्टमेन्ट के जरिये प्लान्टेशन्स किये जाते हैं उसकी है ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि पंचवर्षीय योजना के अन्दर न सही, लेकिन जो प्लान्टेशन हुआ है उसमें कितने दरख्त बोये गये थे और कितने अब तक जिन्दा हैं ?

श्री अध्यक्ष---उसके लिये आप अलग से सवाल करें ।

श्री शिवप्रसाद नागर---अध्यक्ष महोदय, यह तो इसी सवाल के अन्दर मौजूद है कि कितने दरख्त बोये गये थे और कितने मौजूद हैं ।

श्री अध्यक्ष---आपने पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में पूछा था ?

श्री शिवप्रसाद नागर---पंचवर्षीय योजना के लिये न सही लेकिन बरस्त तो लगाये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष---आप मंत्री जी को सर्वज्ञ न समझिये। आप उनको इतना फ्लैटर मत कीजिये कि उन्हें सर्वज्ञ समझें। उसके लिये आप को अलग से दुबारा प्रश्न पूछना पड़ेगा।

जिलों में सड़कों और पुलों के निर्माण का सिद्धान्त

*१४---श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रति वर्ष प्रत्येक जिले में सड़क और पुलों के निर्माण की संख्या निर्धारित करने के सिद्धान्त क्या हैं ?

श्री गिरधारीलाल---कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। उपलब्ध धनराशि तथा विकास के लिये आवश्यक कार्यों को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक जिले का वार्षिक कार्यक्रम निश्चित किया जाता है।

श्री विश्रामराय---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जब वार्षिक कार्यक्रम निश्चित किया जाता है तो जिले के स्तर पर किन लोगों से राय ली जाती है ?

श्री गिरधारीलाल---इसके लिये हर वर्ष राय नहीं ली जाती है और न इसकी जरूरत है। योजना के मुताबिक हर जिल का कुछ कार्यक्रम तय हुआ था उसको धन की उपलब्धि के अनुसार और साथ ही उस जिले की जरूरत के अनुसार ले लिया जाया करता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से बजट के अनुदान पर बहस के समय २, ३ साल से बतलाया गया कि जिलों में सड़कें और पुल स्टार ग्रिड फारमूला के अनुसार बनाने के लिये निश्चित किये जाते हैं ?

श्री गिरधारीलाल---यह बात ठीक है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उनका वह कथन सही है या आज का उत्तर सही है ?

श्री गिरधारीलाल---मैंने यही बतलाया कि योजना बनाते समय या जो योजना बनाई गई है उसमें स्टार ग्रिड फारमूले का ध्यान रखा जाता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक जिले में पुल और सड़क के निर्माण की कितनी आवश्यकता है, इस बात की जरूरत का निर्णय सरकार किस आधार पर करती है ?

श्री गिरधारीलाल---कितनी जरूरत है, जैसा मैंने बतलाया कि स्टार ग्रिड फारमूले के मुताबिक हर जिले की सड़कों का माइलेज और पुल तय किये गये हैं और उसी के मुताबिक सारे सूबे के लिये योजना तैयार हुई थी और उसी के मुताबिक हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिला नियोजन समिति की ओर से प्रत्येक वर्ष जो सिफारिश हुआ करती है उनको भी सरकार ध्यान में रखकर इन निर्माण कार्यों की आज्ञा दिया करती है ?

श्री गिरधारीलाल---अगर समितियों की तरफ से कोई सिफारिश आती है तो ऐसा नहीं है कि उससे कोई परहेज हो। उस पर ध्यान दिया जाता है। जैसा शुरू में मैंने बतलाया था कि धन की उपलब्धि के अनुसार यह काम किये जाते हैं। साथ ही वहां के शासन और वहां के विकास को दृष्टिकोण में रखकर यह सब कार्यक्रम बनाये जाते हैं।

*१५—श्री लक्ष्मणराव क्रदम—[२४ फरवरी, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

अल्मोड़ा जिलान्तर्गत पिठौरागढ़ में पेय जल का कष्ट

*१६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि पिठौरागढ़, जिला अल्मोड़ा की जनता को स्वच्छ पेय जल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो इस कमी के निराकरण हेतु सरकार क्या कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जल की कमी के निराकरण हेतु क्षेत्र विकास समिति द्वारा प्रस्तुत एक योजना पर जिला नियोजन विभाग, अल्मोड़ा ने ग्रामीण जल-सम्भरण कार्यक्रम के अन्तर्गत विचार किया परन्तु योजना की लागत अधिक होने के कारण उक्त कार्यक्रम में उसे सम्मिलित न किया जा सका।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पिठौरागढ़ पेय योजना कितनी लागत की थी और क्या उसको अगले वर्ष की योजना में शामिल किया जा रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह योजना १,८८,००० रुपये की अनुमानित लागत की बनी थी। रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम जो है उसमें सामान्यतया ऐसा है कि किसी जगह की भी स्कीम २०,००० रुपये से ज्यादा की नहीं होनी चाहिये। इसी वजह से जहां तक इस स्कीम का संबंध है, इसको शामिल करना संभव नहीं है। जहां तक अरबन एरिया का सवाल है, लोन के लिये वहां से कोई दरख्वास्त नहीं आयी है। अगर टाउन एरिया की ऐसी स्थिति होगी और दरख्वास्त आयेगी तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि वहां पानी की इतनी कमी है कि अभी वहां आग लग गयी और ३५ मकान जल गये और आग बुझाई नहीं जा सकी। तो क्या सरकार अपनी ओर से इस योजना को अंडर टेक करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—पीने के पानी की दिक्कत जरूर है, लेकिन जो आग लग गयी उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आग तो बहुत जगह लग जाती है लेकिन इतना धन एक छोटे टाउन एरिया के लिये खर्च करना कुछ मुनासिब नहीं मालूम पड़ता।

श्री चन्द्रजीत यादव—माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यहां की जनता को पीने के लिये पानी नहीं मिल रहा है, यहां के लिये कोई दूसरी योजना बनाने जा रहे हैं ताकि उनको पानी मिल सके ?

श्री रामस्वरूप यादव—पिठौरागढ़ का भी प्रदेश में वही स्थान है जो और जगहों का है। और वही दिक्कतें और जगह भी हैं। ज्यादा स्थानों को फायदा पहुंचाने के लिये यह रखा था कि २०,००० से ज्यादा की योजना हम नहीं लेंगे और यह भी संकेत था कि पर कैपिटा २५ रुपये की योजना बननी चाहिये।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार पिठौरागढ़ के लिये उसकी स्थिति इंडोटिब्बटन तथा इंडोनैपाल बार्डर पर है यह देखते हुए कोई विशेष योजना बनाने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस स्थिति में सम्भव नहीं मालूम होता।

बलिया जिले में बलिया बैरिया-रिविलगंज सड़क का अनुदान

*१७—श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया बैरिया-रिविलगंज रोड, जिला बलिया के निर्माण के लिये कुल कितने रुपये बजट में इस वर्ष के लिये रखे गये हैं और अब तक उसमें से कितने रुपये किन कामों पर खर्च किये जा चुके हैं ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री महावीरसिंह)---

प्रथम भाग---१,३५,००० रु० ।

द्वितीय भाग---सड़क के प्रारम्भिक सर्वे आदि में कुल २१६ रु० व्यय हुआ है ।

श्री रामलक्षण तिवारी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इतनी कम प्रोग्रेस क्यों हुई ?

श्री महावीर सिंह---हर सड़क के लिये पहले सर्वे किया जाता है, फिर टेंडर मांगे जाते हैं और सामान इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद काम आरम्भ होता है । तो इसमें सर्वे हो चुका है, ठेका भी मंजूर किया जा चुका है और काम प्रारम्भ होने वाला है ।

कानपुर श्रमिक बस्ती में किराया बढ़ाने का मामला

*१८---श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)---क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में श्रमिक बस्ती में सोपान १ से ३ तक के अन्तर्गत बने हुये सभी गृहों के बरामदों को बन्द करने के हेतु किरायेदारों को १ रु० प्रतिमास ज्यादा किराया देना पड़ेगा ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है ।

*१९---श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या इससे पहले जो सुधार हुये थे उनका भी कुछ किराया बढ़ाया गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिहरनाथ शास्त्री श्रमिक बस्ती में बरामदे को बंद करने के लिये एक रुपया किराया बढ़ाने का कोई फार्मूला बांटा गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---कानपुर की श्रमिक बस्ती के निवासियों द्वारा उनके घरों में खुले बरामदों से असुविधा होने की शिकायत पर कानपुर एडहाक कमेटी ने अपनी बठक में यह निश्चय किया था कि वह बरामदे बंद कर दें और वह रुपया खर्च कर दें और उसे (खर्च को) पूरा करने के लिये एक रुपया प्रतिमास किराया बढ़ा दें ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या माननीय मंत्री जी इस किराये को बढ़ाने का अब भी इरादा रखते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने तो निवेदन किया कि सरकार ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया था । उन्हीं की एडहाक कमेटी ने अपनी बैठक में उनको सुविधा देने के लिये विचार किया था और १ रुपया किराया बढ़ाना तय किया था ताकि वह खुले बरामदे बंद हो जायं ।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या माननीय मंत्री जी उस निर्णय को स्थगित करने की कृपा करेंगे जिसके अनुसार १ रुपया किराया बढ़ने जा रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---किराया बढ़ने नहीं जा रहा है । अगर बरामदे बंद करेंगे तो विचार करेंगे कि उसमें जो खर्च हो उसको कैसे मीट किया जाय ।

पहाड़ी जिलों की वन सम्पदा

*२०---श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)---क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत दो वर्षों के अन्दर प्रदेश के पहाड़ी जिलों की वन सम्पदा के सदुपयोग के लिये सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—

(१) दो नये फारेस्ट डिवीजन कुमायूं के श्रेणी एक के वनों के प्रबन्ध के लिये बनाये गये हैं।

(२) यातायात के साधनों को अच्छा किया जा रहा है।

(३) लकड़ी काटने, चिरान व ढुलान के नये तरीके हाल में काश्मीर के बटोट स्थान पर दिखाये जाने के बाद उनको इस प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में चालू किया जा रहा है और इसके लिये कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे दरख्तों का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा काम में आ सके और बेकार न हो।

(४) लीसा निकालने का काम टेहरी सर्किल में आगे बढ़ाया गया जहां दो लाख लीसे की नई नालियां और बनाई गईं।

(५) चीड़ के पेचदार पेड़ों को जो अब तक काम में न आते थे कागज बनाने के काम में लाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि यह पेचदार पेड़ स्टार पेपर मिल, सहारनपुर को १ आना फी मन के हिसाब से दिये गये हैं?

श्री सैयद अली जहीर—मुझे पूरी कीमत तो नहीं याद है लेकिन उनको कुछ ऐसे ही दाम पर दिये गये हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या यह सही है कि कुमायूं के रहने वालों को वही पेड़ डेढ़ रुपये और १ रुपये १० आने मन के हिसाब से दिये जाते हैं?

श्री सैयद अली जहीर—मुझे तो इसका मुकाबला नहीं मालूम कि उससे सस्ते दाम पर दिये गये हैं या ज्यादा दाम पर।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वन-सम्पदा के सदुपयोग के लिये जो आदेश सरकार ने जारी किये थे उनके लिये क्या सरकार ने कोई ऐसी जांच की है या नहीं कि उनका पालन हो रहा है या नहीं?

श्री सैयद अली जहीर—खयाल तो यह है कि जो आदेश जारी हुए उनका पालन हो रहा है।

*२१—श्री रणबहादुर सिंह—[हटा दिया गया।]

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, पिठौरागढ़, जिला अल्मोड़ा की निर्माण विभाग के विरुद्ध शिकायतें

*२२—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, पिठौरागढ़, जिला अल्मोड़ा की ओर से निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कोई प्रार्थना-पत्र आया है? यदि हां, तो उसमें किन शिकायतों का जिक्र है और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री महावीर सिंह—

प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—उसमें पिठौरागढ़-अस्कोट मोटर मार्ग की दशा को असंतोषजनक कहा गया था, तथा विभागीय कर्मचारियों पर लापरवाही और मजदूरी देर में देने के दोष लगाये गये थे। इनकी आवश्यक जांच कराई गई और उचित कार्यवाही की गई।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय निर्माण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह जांच सही पायी गयी ? यदि हां, तो उसके बाद क्या आवश्यक कार्यवाही की गयी ?

श्री महावीर सिंह—सब बातें ठीक नहीं पायी गयीं । मजदूरी देर में मिलने की शिकायत में कुछ सत्यता थी । उसके लिये आदेश दे दिये गये हैं । मजदूरी देर में पहुंचने का यह भी कारण है कि यह बार्डर एरिया की जगह है जहां पर खजाना ले जाना कुछ सेफ नहीं होता । पिठौरागढ़ में खजाना रहता है । वहां से जाने में कुछ देर हो जाती है । इसके अलावा जो मजदूर काम करते हैं वह मोबाइल होते हैं । उनके स्थानों पर उनका रुपया पहुंचाना मुश्किल हो जाता है । मनीआर्डर भी भेजा गया, वह भी वापस हो आये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या पी० डब्ल्यू० डी० विभाग पिठौरागढ़ को बार्डर एरिया में मानता है ?

श्री अध्यक्ष—उत्तर में तो बार्डर एरिया कहा ही गया है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन सी शिकायतें सही पाई गईं और उनमें से कौन-सी शिकायतों के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही की गई ?

श्री महावीर सिंह—मजदूरी देर में पाने के बारे में कुछ सत्यता पाई गई थी बाकी कोई शिकायत सत्य नहीं पाई गई ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—कार्यवाही क्या हुई ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने बता दिया है ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या माननीय मन्त्री जी यह व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि उन श्रमिकों को प्रति दिन या सप्ताह में उनका जो वेतन या मजदूरी हो वह उन्हें प्राप्त हो जाया करे ?

श्री गिरधारीलाल—इसकी हर जगह जरूरत महसूस नहीं की जाती ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि लोगों के बराबर आवेदन-पत्र देने के बावजूद भी इस एरिया को अब तक सरकार ने बार्डर एरिया घोषित नहीं किया है ?

श्री महावीर सिंह—इसका हम लोगों से सम्बन्ध नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब श्रीमान् स्वयं वहां तशरीफ ले गये थे तब सड़क ठीक थी ?

श्री गिरधारीलाल—मैं तो गाड़ी से गया था ।

श्री प्रतापसिंह—जब डिप्टी कमिश्नर साहब तशरीफ ले गये थे ?

श्री महावीर सिंह—कुछ खराब थी, वह अब ठीक कर दी गई है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इन शिकायतों की जांच के लिये मैं स्वयं पी० डब्ल्यू०डी० के अधिकारियों से मिला था । उन्होंने पिठौरागढ़ जा कर जांच की थी और सभी शिकायतों को सही पाया ?

श्री महावीर सिंह—जांच के लिये काफी मौका मिला था और जैसा मैंने निवेदन किया कि वे शिकायतें सही नहीं पायी गईं ।

गोरखपुर-फरेंदा सड़क पर नया विश्राम-गृह

*२३—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में १९४७ के बाद अब तक कितने निरीक्षण गृह P. W. D. विभाग द्वारा बनाये गये हैं और उन पर कुल कितनी लागत लगी है ?

श्री महावीर सिंह—

प्रथम भाग—एक

द्वितीय भाग—२८,००० रु० ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मन्त्री जी मेहरबानी करके बतायेंगे कि उन्होंने अभी अपने जवाब में २८ हजार बताया और जो मुझे जवाब मिला है उसमें ४८ हजार है तो दोनों में से कौन सही है ?

श्री महावीर सिंह—४८ हजार सही है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की मेहरबानी करेंगे कि यह विश्रामगृह कहां बना है ?

श्री महावीर सिंह—यह विश्रामगृह गोरखपुर-फरेंदा रोड पर २८वें मील पर बना है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जब वहां पर पहले से ही तीन विश्रामगृह मौजूद थे तो फिर ४८ हजार रुपया लगाकर एक और बनवाने की क्या जरूरत पड़ी ?

श्री महावीर सिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी ।

*२४—श्रीमती सज्जन देवी महनोत (जिला वाराणसी)—[माननीय सदस्या का निधन हो जाने के कारण प्रश्न हटा दिया गया ।]

सड़कों के निर्माण पर व्यय

*२५—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ के वित्तीय वर्ष में ५८४ मील पक्की सड़कों के बनाने के लक्ष्य में १५-९-५८ ई० तक कितना लक्ष्य पूरा किया गया ?

श्री महावीर सिंह—२२२ मील ।

*२६—श्री गनेशीलाल चौधरी—इस लक्ष्य को पूरा करने हेतु जितना धन १९५८-५९ ई० के वित्तीय वर्ष में दिया गया है उससे कितना व्यय किया जा चुका है ?

श्री महावीर सिंह—१-४-५८ से १५-९-५८ तक ९२.७७ लाख रुपया व्यय किया गया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये कितना रुपया दिया गया था ?

श्री गिरधारीलाल—२०,५९,००० रु० ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि लक्ष्य के अनुसार समय के अन्दर पूरा न कर सकने के क्या कारण थे ?

श्री गिरधारीलाल—अभी तो इसके लिये इन्तजार कीजिये। आपने १-४-५८ से १५-९-५८ तक के लिये पूछा था, वह तो साल की शुरुआत होती है और उन दिनों में बारिश हो जाती है इसलिये काम ज्यादा हो नहीं पाता। मैं समझता हूं कि मार्च के अन्त तक बहुत काफी काम होने की हमें उम्मीद है।

स्वीकृत अनुदानों का शेष धन

*२७—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में किस विभाग ने स्वीकृत अनुदान की कितनी रकम व्यय नहीं की ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह सूचना विनियोग लेखे १९५७-५८ तथा लेखा परीक्षा (आडिट) रिपोर्ट, १९५९ के प्राप्त होने पर उपलब्ध हो सकेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि फाइनेंस एकाउन्ट्स के अनुसार कितनी रकम व्यय नहीं हुई है ?

श्री सैयद अली जहीर—वह तो इत्तला मेरे पास नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसका उत्तर आप फिर किसी दूसरे वक्त में दे देंगे। इसको मैं अभी पोस्टपोन किये देता हूं क्योंकि इसके आंकड़े आपके पास दफ्तर में होंगे।

श्री सैयद अली जहीर—सवाल यह पूछा गया है कि हमारे हिसाब से कितना लैप्स हुआ।

श्री अध्यक्ष—वे कहते हैं कि विभाग ने स्वीकृत अनुदान में से कितनी रकम व्यय नहीं की है, यह तो विभाग को मालूम होना चाहिये। अगर वे अथराइज्ड आंकड़े चाहते होते तो उसके सम्बन्ध में जवाब आपने दे दिया है कि अथराइज्ड हिसाब कहां से आयेगा लेकिन आपके पास तो विभाग में वे आंकड़ जरूर होने चाहिये जिसे वे चाहते हैं। उन्हें उस सम्बन्ध में उत्तर मिल जाना चाहिये। आगे कभी आप कृपा करके अपने विभाग के आंकड़ों के हिसाब से उत्तर दे देंगे।

[प्रश्न २७ स्थगित किया गया।]

बिक्री-कर से आय

*२८—श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)—क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बिक्री-कर से गत दो वर्षों में अन्न और अन्य वस्तुओं से कितनी रकम सरकार को प्राप्त हुई है और कितनी बकाया है ?

श्री सैयद अली जहीर—१९५६-५७ और १९५७-५८ में गल्ले पर क्रमशः २९,१६,-३९१ रुपये और ४४,०१,८५२ रुपये, तथा अन्य वस्तुओं पर क्रमशः ८,९०,७४,१५१ रुपये और ९,०५,८६,२५३ रुपये की रकम बिक्री कर से प्राप्त हुई। इन वर्षों में जो टैक्स की रकम वसूल नहीं हो सकी वह क्रमशः ४,३२,४५५ रुपये और १२,९३,५१७ रुपये गल्ले से और १,३०,५७,५२४ रुपये और २,०३,८४,८२४ रुपये अन्य वस्तुओं से सम्बन्धित हैं।

*२९—श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)—क्या अन्न पर से बिक्री-कर हटाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

नोटः—तारांकित प्रश्न २७ श्री नारायणदत्त तिवारी ने पूछा।

श्री सैयद अली जहीर—गल्ले को बिक्री कर अथवा कर मुक्ति शुल्क से पूर्ण रूप से मुक्त करने का कोई भी प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है, यद्यपि छोटे गल्ले के व्यापारियों को कुछ राहत पहुंचाने तथा मौजूदा कर मुक्ति शुल्क को स्लेब (slab) प्रणाली को बदलने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

कानपुर के निकट डिल्लापुरवा के निवासियों को भूमि का मुआवजा

*३०—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या हरिहरनाथ शास्त्रीनगर, कानपुर के निकट डिल्लापुरवा की आबादी और आराजी लैन्ड एक्वीजीशन आफिसर द्वारा एक्वायर हो चुकी है? उसका मुआवजा कितने व्यक्तियों को दिया गया?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। ३३ व्यक्तियों को मुआवजा भी दिया जा चुका है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—क्या अब भी कुछ ऐसे व्यक्ति बाकी हैं जिन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री रामस्वरूप यादव—कुछ लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। वे लेने नहीं जाते ह और शिकायत करते हैं कि नहीं दिया गया है।

*३१-३२—श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—[२४ फरवरी, १९५९ के लिये स्थगित किय गय।]

*३३—श्री नारायणदत्त तिवारी—[२४ फरवरी, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला अन्तरिम परिषद्, बाराबंकी के विरुद्ध श्री शाहिदशमशाद की शिकायत

*३४—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अन्तरिम परिषद्, बाराबंकी (जिला बोर्ड) के सम्बन्ध में मई, सन् १९५८ में सोशलिस्ट पार्टी के संयुक्त मंत्री शाहिदशमशाद व अनन्तराम जायसवाल ने शिकायत का प्रार्थना-पत्र जिलाधीश तथा सरकार के पास भेजा है? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री रामस्वरूप यादव—चूंकि ऐसी ही अन्य शिकायतें जांच करने पर निराधार पाई गई थीं अतः श्री शमशाद के शिकायती पत्र पर पृथक से जांच कराना उपयुक्त नहीं समझा गया।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा की गई थी और कब?

श्री रामस्वरूप यादव—इससे पहले बहुत सी शिकायतें आई थीं, जिले के अधिकारियों द्वारा उनकी जांच कराई गई थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जिन प्रार्थना-पत्रों में जांच की जा चुकी है क्या उनमें भी वही शिकायतें थीं जो इस प्रार्थना-पत्र में थीं जिसकी जांच नहीं हुई?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसी ही शिकायतें उनमें भी थीं।

श्री शिवप्रसाद नागर—ये शिकायतें परिषद् के चेयरमैन के खिलाफ थीं या किसी कर्मचारी के खिलाफ थीं?

श्री रामस्वरूप यादव—कई बातें थीं। चेयरमैन के खिलाफ भी थीं। जिला बोर्ड के अधिकारी के खिलाफ भी थीं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—यह देखते हुये कि इस सिलसिले में बहुत सी शिकायतें आ रही हैं क्या मंत्री जी इस बारे में एक नई जांच स्वतंत्र रूप से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—माननीय सदस्यों के स्वयं अन्तरिम जिला बोर्डों के सदस्य होते हुये ऐसे मामले वे वहीं उठा सकते हैं। शासन को इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिये।

*३५—श्री मोहनसिंह मेहता (जिला अल्मोड़ा)—[२४ फरवरी, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ जिले के पंचायत मंत्री

*३६—श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ में कुल कितने पंचायत मंत्री हैं तथा कितने पंचायत मंत्री ऐसे हैं जो अपने घर से ६ मील की दूरी पर हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिला आजमगढ़ में कुल ३६१ पंचायत मंत्री हैं। इनमें से १०१ पंचायत मंत्री अपने घर से ६ मील या कम की दूरी पर हैं।

*३७—श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में कितने पंचायत मंत्री ऐसे हैं जो अस्थायी हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—उक्त समस्त पंचायत मंत्री अस्थायी हैं।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन १०१ मंत्रियों के अलावा बाकी कितने मील की दूरी पर हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—अलग-अलग फासले होंगे, इससे अधिक दूरी पर हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—(जिला इटावा)—क्या सरकार अस्थायी मंत्रियों को स्थायी करने पर विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—वे पंचायतों के मंत्री हैं। पंचायतों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि उनको स्थायी कर सकें। इसलिये इस समय यह प्रश्न नहीं उठता है।

लखीमपुर वाटरवर्क्स के निर्माण का आयोजन

*३८—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखीमपुर शहर में वाटरवर्क्स का बनना कब प्रारम्भ होने और कितने दिनों में बन कर चालू होने की योजना है ?

श्री रामस्वरूप यादव—लखीमपुर शहर में वाटर-वर्क्स के सम्बन्ध में कार्य आरम्भ करने के लिये टेन्डर आमंत्रित किये गये हैं और शीघ्र ही कार्य आरम्भ हो जायगा। यदि कोई आकस्मिक विघ्न न पड़ा तो वाटर-वर्क्स द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तैयार होकर चालू हो जायगा।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस वाटर-वर्क्स के चालू होने की सम्भावना जल्दी है उसके पानी के निकास के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—पानी पिलाने और निकालने के लिये योजना स्थानीय संस्थायें बनाती हैं। सरकार अनुदान दे सकती है तो देती है वर्ना आम तौर से ऋण ही देती है। सरकार के इंजीनियर्स मदद के लिये जरूर रहते हैं।

*३९—श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)—[२४ फरवरी, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*४०—श्री गोपीकृष्ण आजाद (जिला बांदा)—[२४ फरवरी, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

हाउसिंग बोर्ड

*४१—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि हाउसिंग बोर्ड बनाने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस विषय पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

*४२—श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)—[२४ फरवरी, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*४३-४४—श्री गरीबदास (जिला जालौन)—[२४ फरवरी, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

*४५-४६—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—[२४ फरवरी, १९५९ के लिए स्थगित किये गये।]

*४७—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—[२४ फरवरी, १९५९ के लिए स्थगित किया गया।]

अल्मोड़ा जिले में लकड़ी के कोयले की दर में वृद्धि

*४८—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि अल्मोड़ा व रानीखेत में लकड़ी के कोयले और लकड़ी (ईंधन) की दर में हाल में कोई वृद्धि की गई है ? यदि हां, तो कितनी व कब से तथा क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—अल्मोड़ा में, ईंधन की लकड़ी की दर में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है, परन्तु लकड़ी के कोयले के नये स्टाक के दर में २५ नवम्बर, १९५८ से एक रुपया चालीस नये पैसे प्रति मन के हिसाब से वृद्धि कर दी गई है अर्थात् लकड़ी के कोयले की दर तीन रुपये प्रतिमन से बढ़ा कर चार रुपया चालीस नया पैसा प्रति मन कर दी गई है। क्योंकि ठेकेदारों ने बढ़े हुए दामों पर लकड़ी के कोयले को सप्लाई करने का ठेका लिया था जिसकी यह वजह थी कि अल्मोड़ा क पड़ोस क जंगल कट जाने के कारण दूर स्थित जंगलों से लकड़ी का कोयला लाना पड़ता था।

रानीखेत में, लकड़ी के कोयले की दर १ मई, १९५८ से दो रुपया ५० नये पैसे प्रति मन के स्थान पर चार रुपया ४० नये पैसे प्रति मन इसलिये कर दी गई थी कि वह नैनीताल की दर के बराबर हो जाय और नैनीताल या मैदान के नगरों में चोरी स वह न बेचा जा सके। परन्तु यह दर १ जुलाई, १९५८ से पुनः घटा कर तीन रुपया ५० नया पैसा कर दी गई। रानीखेत में ईंधन की लकड़ी का इन्तजाम कैन्टूनमेंट बोर्ड करता है और इस प्रकार वहां पर ईंधन की लकड़ी सप्लाई करने का वन विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है। सरकार को जो सूचना प्राप्त है उसते विदित होता है कि रानीखेत में ईंधन की लकड़ी की कमी क सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि इन कोयलों के बारे में ठेकेदारों को जो ठेके दिये गये उसके लिये न तो कोई विज्ञापन निकाला गया था और न कोई टेन्डर्स मांगे गये थे ?

श्री सैयद अली जहीर—नोटिस चाहिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि अल्मोड़े के नजदीक के जंगलों का कोयला अल्मोड़ा सप्लाई नहीं होता है और रानीखेत के जंगल का रानीखेत में नहीं सप्लाई होता है, इसलिये दूर ले जाने के कारण कीमतों म वृद्धि हुई ह ?

श्री सैयद अली जहीर—मुझे ठीक नहीं मालूम है, लेकिन जहां तक मैंने दरियाफ्त किया और बातचीत की है, ऐसा नहीं हुआ है कि एक जगह का कोयला दूसरी जगह जबरदस्ती ले जाते हैं। अमूमन करीब की जगह पर सप्लाई किया जाता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—इस प्रश्न के उत्तर में लिखा गया है कि रानीखेत में कोयले के दाम इसलिये बढ़ाये गये कि वे नैनीताल के बराबर हो जावें, इसे सरकार कैसे जस्टीफाई करती है ?

श्री सैयद अली जहीर—इसी वजह से तो यकुम जुलाई सन् १९५८ से फिर घटा कर ३·५० रुपये कर दिया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि रानीखेत से कोयला चोरी से जाने की कितनी शिकायतें उनके पास आयीं और कितना कोयला चोरी से जाता हुआ पकड़ा गया ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो मुझे इस वक्त नहीं मालूम। लेकिन जब मैं वहां जून के महीने में गया था तो एक ट्रक लोड कोयला जो रानीखेत से नैनीताल की तरफ जा रहा था रास्ते में पकड़ा गया था और उसको वहां रोका गया था।

*४९-५०—श्री मूलचन्द—[२४ फरवरी, १९५९ के लिए स्थगित किये गये।]

इटावा नगरपालिका में शरणार्थी बस्ती को मिलाने की प्रार्थना

*५१—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा नगरपालिका की ओर से सरकार के पास इस तरह का प्रार्थना-पत्र सन् १९५७-५८ में आया है कि इटावा नगर से मिली हुई नई आबादी जो फर्रुखाबाद रोड पर शरणार्थियों की है उसे नगरपालिका की हद में मिला लिया जावे ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसे किसी प्रार्थना-पत्र का आना नहीं पाया जाता है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि नगरपालिका इटावा नें कोई प्रस्ताव इस प्रकार का पास करके सरकार के पास भेजा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने उत्तर दिया कि इस प्रकार का कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया है। प्रस्ताव के बारे में नोटिस की आवश्यकता होगी।

घी पर से बिक्री-कर हटाने की प्रार्थना

*५२—श्री उग्रसेन—क्या सरकार प्रदेश में शुद्ध घी को बहुसूत्रीय बिक्री-कर से अविलम्ब मुक्त करने के विषय में विचार करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे जिनके कारण घी पर से बिक्री-कर नहीं हटाया जा रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर—इसलिए कि सरकार को रेवेन्यू की जरूरत है।

श्री उग्रसेन—क्या मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि प्रदेश की जनता को शुद्ध घी की अत्यावश्यकता है, इस प्रश्न पर पुनः विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—इस वक्त कोई जरूरत नहीं मालूम होती है। घी की जितनी कीमतें हैं उनके लिहाज से जो सेल्स टैक्स है वह बहुत ही कम है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मन्त्री जी के पास खुर्जे की घी मन्डी के व्यापारियों का कोई स्मृति-पत्र आया है? यदि हां, तो क्या सरकार उसको सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री सैयद अली जहीर—मेरे इल्म में तो नहीं आया है। मुमकिन है दफ्तर में आया हो।

बाराबंकी जिले में हैदरगढ़-भवानीगढ़ सड़क बनाने की प्रार्थना

*५३—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत हैदरगढ़ से भवानीगढ़ तक सड़क बनाने की स्वीकृति पी० डब्ल्यू० डी० से हो गयी है? उसमें कितना खर्च होगा? और उस सड़क का निर्माण कब प्रारम्भ होगा?

श्री महावीर सिंह—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि यह सड़क पी० डब्ल्यू० डी० में ले ली गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महावीर सिंह—भवानीगढ़ से हैदरगढ़ की सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं रखी गयी थी लेकिन २ करोड़ की डेवलपमेंट स्कीम के अन्तर्गत नियोजन विभाग के द्वारा इस के पांच मील के हिस्से के लिए भारत सरकार को लिखा गया था जिसमें ढाई लाख रुपये की लागत लगेगी।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि यह सड़क कब तक बन जायगी?

श्री गिरधारी लाल—अभी बनने का कोई प्रश्न नहीं है और न अभी इसको पी० डब्ल्यू० डी० ने लिया ही है। अभी तो भारत सरकार के पास इसका प्रपोजल भेजा गया है। अगर मंजूरी आ गयी तब तो इस सड़क को लिया जा सकता है वर्मा कोई आशा नहीं है।

खुदागंज, जिला शाहजहांपुर से टाउन एरिया बनाने के लिए प्रार्थना

*५४—श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह कसबा, खुदागंज, जिला शाहजहांपुर में टाउन एरिया बनाने जा रही है?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं।

श्री बालकराम—क्या सरकार बतायेगी कि खुदागंज कस्बे से टाउन एरिया के लिए कोई दरख्वास्त आयी है?

श्री रामस्वरूप यादव—वहां के निवासियों ने एक प्रस्ताव भेजा था जो कि ८ अगस्त, १९५८ को जिलाधीश के पास भेज दिया गया है कि वे डाइरेक्टर आफ पंचायत से परामर्श करके रिपोर्ट भेजें।

श्री बालक राम—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उनकी रिपोर्ट आ गयी है या अभी तक नहीं आयी है?

श्री रामस्वरूप यादव—अभी नहीं आयी है।

फीरोजाबाद नगरपालिका का चुनाव

*५५—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या यह सही है कि फीरोजाबाद, जिला आगरा की म्युनिसिपैलिटी की मियाद १ जून, १९५९ तक खत्म हो जायगी?

श्री रामस्वरूप यादव---फीरोजाबाद नगरपालिका के बोर्ड का वर्तमान अवधिकाल ३० मई, १९५९ को समाप्त हो रहा है।

*५६---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतायेगी कि वह फीरोजाबाद म्युनिसिपैलिटी का चुनाव कब करायेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---चुनाव, अप्रैल-मई, १९५९ में कराये जायेंगे।

*५७---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या उपर्युक्त चुनाव कराने के लिए नयी वोटर लिस्ट बनाने का काम कब शुरू होगा और उसमें नयी लेबर कालोनी के वोटरों को शामिल किया जायगा या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---निर्वाचक नामावलियों का वार्षिक पुनरीक्षण किये जाने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी को आदेश दिये जा चुके हैं। पुनरीक्षित निर्वाचक नामावली में लेबर कालोनी के वोटर भी सम्मिलित होंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---जो अप्रैल, मई में चुनाव कराना तय किया गया है उसके सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम बनाया गया है ? अगर बनाया गया है तो वह क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव---अभी कार्यक्रम नहीं बनाया गया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---कब आदेश गये हैं और उन आदेशों के अनुसार कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---आदेश की तारीख के लिए तो श्रीमन् नोटिस की आवश्यकता होगी, लेकिन यह सूचना है कि वहां जिला अधिकारियों ने कार्य शुरू कर दिया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या चुनाव कराने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम तिथि तय कर ली गयी है यदि कर ली गयी है तो वह क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने अभी निवेदन किया कि उसके सम्बन्ध में अभी कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है।

जौनपुर जिले में हरिजन पंचायत मंत्री तथा ग्राम सेवक

*५८---श्री राम समझावन (जिला जौनपुर)---क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में कुल कितने पंचायत सेक्रेटरी और कितने ग्राम सेवक कार्य कर रहे हैं ? उनमें कितने हरिजन और कितने पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---जौनपुर जिले में कुल २१३ पंचायत मन्त्री और ९० ग्राम सेवक कार्य कर रहे हैं। उनमें १२ पंचायत मन्त्री और ४ ग्राम सेवक हरिजन हैं तथा ४४ पंचायत मन्त्री और १४ ग्राम सेवक पिछड़ी जाति के हैं।

श्री राम समझावन---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि २१३ पंचायत मंत्रियों में १२ हरिजन लिये गये और ९० ग्रामसेवकों में ४ हरिजन ग्राम सेवक लिये गये, तो इस कमी का कारण क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, सरकार तो सदैव यह प्रयत्न कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो १८ प्रतिशत उनके लिए निश्चित है वे आ जावें, लेकिन कभी तो उनकी दरख्वास्तें ही नहीं आती हैं और कभी इस योग्यता के ही नहीं मिलते। इस वजह से उनका प्रतिशत जो है वह कम है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी इस की जांच करावेंगे कि सन् १९५७ में ७० मंत्रियों की जो सूची बनी थी उसमें हरिजन उम्मीदवार थे किन्तु उनको आज तक स्थान नहीं दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---उन्होंने अपनी सूचना दी है श्रीमन्, लेकिन ७० की सूची अगर बनी थी तो ऐसा नहीं हो सकता कि हरिजन उम्मीदवारों ने आवेदन-पत्र भेजे हों और वे न लिये गये हों। अगर उनकी योग्यता ठीक होगी तो वे अवश्य लिये गये होंगे।

*५९---६१---**श्री नत्थू सिंह** (जिला मैनपुरी)---[२४ फरवरी, १९५९ के लिए स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

झांसी जिले की तहसीलों से रजिस्ट्रेशन की आय

१---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले की झांसी तहसील के अलावा शेष पांच तहसीलों में से किन-किन तहसीलों में रजिस्ट्री होती है तथा उनमें सन् १९५४ से १९५८ तक किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी रजिस्ट्री हुई और उनके द्वारा उसे कितनी-कितनी आमदनी हुई है ?

श्री सैयद अली जहीर---झांसी जिले में झांसी तहसील के अलावा पांच तहसीलें मोठ, मऊरानीपुर, गरोठा, ललितपुर और मेहरोनी हैं जिन में रजिस्ट्री केवल मऊरानीपुर और ललितपुर के कार्यालयों में होती है। मऊरानीपुर के दफ्तर में मऊरानीपुर और गरोठा तहसीलों की रजिस्ट्री और ललितपुर के दफ्तर में ललितपुर और मेहरोनी तहसीलों की रजिस्ट्री होती है। मोठ तहसील की रजिस्ट्री भी झांसी तहसील के साथ झांसी के रजिस्ट्री दफ्तर में होती है।

मऊरानीपुर और ललितपुर दफ्तरों की १९५४ से १९५८ तक के रजिस्ट्री शुदा दस्तावेजों की संख्या और कुल आमदनी नीचे दी जाती है :

तहसील का नाम	साल	दस्तावेजों की संख्या जिनकी रजिस्ट्री की गयी	कुल आय
			रु० आ० पा०
मऊरानीपुर ..	१९५४	९१८	७,१०८ ८ ०
	१९५५	६२१	५,४२० १० ०
	१९५६	१,१२४	१०,२१८ ४ ०
			रु० न० पै०
	१९५७	१,०४६	११,६८७ ९९
	१९५८	१,३४१	२१,१३८ ७०
			रु० आ० पा०
ललितपुर ..	१९५४	४४७	३,८०४ १२ ०
	१९५५	३३९	४,००२ ८ ०
	१९५६	६००	६,२७६ ० ०
			रु० नै० पै०
	१९५७	५२७	७,१२५ ३८
	१९५८	६५१	१२,१४७ ८६

श्री रामायणराय की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री रामायणराय के बारे में यह पूछा गया था कि उनकी गिरफ्तारी किस दफा में हुई है। तो मेरे पास माननीय गृह मन्त्री जी ने सूचना भेज दी है और उसके पहले एक पत्र भी मेरे पास स्थानीय अधिकारी का आया था कि जिला मैजिस्ट्रेट ने दफा ३४१ तथा ४४७ इन दो दफाओं के अन्तर्गत उनको गिरफ्तार किया, यह सूचना मैं इस समय देता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—जो तार आया था उसमें तो ये शब्द इस्तेमाल किये गये थे "arrested and detained"। तो यह डिटेंशन प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट में हुआ है क्या ?

श्री अध्यक्ष—उसका ब्यौरा आ चुका है किन्तु गृह मन्त्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि वे सूचना दे देंगे। वह सूचना इसमें दी हुई है। डिटेंशन का मतलब यह है कि जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक वे किसी जेल में डिटेन्ड हैं।

२८ कार्य-स्थगन प्रस्तावों तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—मेरे पास २८ कामरोको प्रस्ताव आये हैं। मैंने उनके सम्बन्ध में यह समझा है कि १३ तारीख को बजट पेश हो रहा है और १७ तारीख से उस पर आम बहस शुरू होगी, उसमें इनके विषय सब बहस में आ सकते हैं और उन पर बहस के दौरान में कहा जा सकता है। इतना अधिक आवश्यक मुझे उनमें कोई दिखाई नहीं दिया जिस पर बजट के पहले ही बहस हो जाय, इसलिए मैंने सबको अस्वीकृत कर दिया। उनमें से कुछ को तो अस्पष्ट तथा अनावश्यक होने के कारण अस्वीकार किया है और बाकी को केवल अनावश्यक होने के कारण अस्वीकार किया है। २८ प्रस्तावों को पढ़ कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि जिस समय बजट पर बहस होगी तो माननीय सदस्य उनके सम्बन्ध में जिक्र करेंगे ही और मैं पढ़ कर इस समय सदन का समय लेना मुनासिब नहीं समझता और इन सबको नामंजूर करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मुझे यह निवेदन करना है कि अल्मोड़ा जिले में जलजले रोज आ रहे हैं और ज्वालामुखी के फटने का डर है जिससे हजारों आदमियों की जान जाने का अन्देशा है। इसलिए यह विषय आवश्यक है और बजट तक रुकना उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—अगर आपकी बहस से जानें जाना रुक जाय तो मैं इजाजत दे दूंगा, लेकिन बहस से वे रुकने की नहीं हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—उनका रिहैबिलिटेशन कर दिया जाय कहीं दूसरे स्थान पर।

श्री अध्यक्ष—मंत्री जी को आप इस सम्बन्ध में लिख दें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मैं लिख चुका हूं, लेकिन वे जवाब तक नहीं देते।

श्री अध्यक्ष—मैं बहस की इजाजत नहीं दे सकता। यहां बहस करके कहीं वे जलजले अखबारों में न आ जायं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—गोरखपुर में छबेला गोलीकांड हुआ। उसमें पचासियों घायल हुए और दो मरे।

श्री अध्यक्ष--नियम ५२ के अनुसार आदरणीय सदन तथा मंत्रियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिये ५-६ विषय लाये गये हैं। यह भी वैसा ही है जो अत्यन्त आवश्यक नहीं मालूम होता है। ५-६ दिन पश्चात् जब आम बजट पर बहस शुरू हो तब सदस्यगण इन्हें उस बहस में ला सकते हैं। जो अत्यन्त आवश्यक विषय था उसके सम्बन्ध में कल मैंने गृह मंत्री जी से वक्तव्य देने को कह दिया था। १३ तारीख को जब बजट उपस्थित हो जाय उसके तत्काल बाद ही अध्यापकों के विषय पर मंत्री महोदय अपना वक्तव्य देंगे। क्योंकि बहुत कुछ बजट का भी सम्बन्ध उक्त विषय से था और बजट के आंशिक आंकड़े बजट उपस्थित करने के पहले ही प्रकाशित कराना उचित नहीं है इस कारण बजट उपस्थित होने के तत्काल बाद ही उनके वक्तव्य के लिये समय निश्चित किया गया है और वे उस समय अपना वक्तव्य दे देंगे। बाकी जितने विषय हैं उनके बारे में मैंने यह कहा कि उनको मैं इतना आवश्यक नहीं समझता हूं कि उन पर बजट की आम बहस के पहले कोई वक्तव्य दिया जाय।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मेरा एक प्रस्ताव था रामपुर शुगर फैक्टरी की स्ट्राइक के बारे में। वह चूंकि अर्जेंट भी है, वहां पर मिलिटरी पुलिस भी पहुंच चुकी है मुमकिन है झगड़ा हो जाय। इसलिये उसके ऊपर कम से कम मंत्री जी से आप सूचना मांग लेते तो अच्छा था...।

श्री अध्यक्ष--एक चीज आप कर सकते हैं। आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दे दें उसके लिये। लेकिन मैं उसके लिये किसी विशेष वक्तव्य का समय नहीं दूंगा क्योंकि ऐसे बहुत से विषय हो सकते हैं, आप रामपुर को ले रहे हैं, दूसरा किसी और चीज को ला सकता है, तो ऐसे फुटकर विषयों के लिये अगर समय दे दूं तो मैं समझता हूं वह सदन के समय का अपव्यय होगा। लेकिन प्रश्नों के समय ऐसी बातें पूछी जा सकती हैं। आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दे दें और उत्तर मिलने पर अगर आप समझें कि ठीक उत्तर नहीं है तो नियम के अनुसार उस पर आधा घंटे की बहस भी हो सकती है।

श्री उग्रसेन--"अमृत पत्रिका" अखबार को वहां के मिल मालिकों ने बन्द कर दिया है, उसके संबंध में मेरा एक कामरोको प्रस्ताव था, जिसके कारण ६०० आदमी भूखे मर रहे हैं। तो उसकी अर्जेंसी को ध्यान में रखकर आप मौका दें।

श्री अध्यक्ष--यह सब आप बजट के आम विवाद में कह सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। आपने कहा कि बजट के अवसर पर ये सब बातें आ जायेंगी, यह तो ठीक है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन हमारी दिक्कत भी आप देखें कि बजट में पांच दिन आम विवाद के हैं और यह एक पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में सर्वमान्य नियम है कि जब बजट पर आम विवाद होता है तो फाइनेंशियल पालिसी और बजट के सिद्धान्तों पर और जो बजट पेश किया जायगा उस पर बोलें न कि ब्यौरे में.....

श्री अध्यक्ष--मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कहां का नियम है? ब्रिटिश पार्लियामेंट का?

श्री नारायणदत्त तिवारी--हमारी परम्परा के अनुसार भी और ब्रिटिश परम्परा के अनुसार भी जो विषय सामने होता है उसी पर बोला जाता है। तो बजट जो पेश होगा उसी पर १५ मिनट में बोलना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि मान लिया जाय बजट में वन विभाग चल रहा है तो आप हमें यह इजाजत नहीं दे सकते कि वन विभाग में "अमृत पत्रिका" या गन्ना हड़ताल के बारे में कह सकें। तो इस प्रकार एक महीना, डेढ़ महीना लेट हो जायंगे और जो उसकी अर्जेंसी तथा आवश्यकता है वह सब समाप्त हो जायगी। हमारी इस दिक्कत को ध्यान में रख कर व्यवस्था करें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष---कामरोको प्रस्ताव का जहां तक विषय है यह जो तरीका कामरोको प्रस्ताव का है तो वह ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही हमने लिया है और इसी तरह से जो और विषय हैं जिनके अनुसार नए नियम ५२, ५३ बने तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही या लोक सभा का थोड़ा बहुत अनुसरण वे नियम करते हैं। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट का अनुकरण एकतरफा नहीं होना चाहिये। जो पद्धति वहां के सदस्य कायम रखते हैं उसको भी हम सब को स्वीकार करना चाहिये। वहां पर कामरोको प्रस्ताव का औसत अगर आप लें तो मुश्किल से एक या दो साल भर में लाये जाते हैं।

श्री उग्रसेन---वहां इस प्रकार गोलियां भी नहीं चलतीं।

श्री अध्यक्ष---वहां ९९ वर्ष में एक दफा भी सत्याग्रह नहीं हुआ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मगर जब स्वेज कैनाल पर हमला हुआ था तो पार्लियामेंट के शीशे टूट गये थे।

श्री अध्यक्ष---सवाल यह है कि यहां की परिस्थिति के अनुसार तो कार्यवाही अलग होती ही है। ब्रिटेन में यदि दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव साल भर में होते हैं औसतन तो यहां उसका कुछ तो अनुपात होना ही चाहिये। अगर यहां महीने भर में भी दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव हो जायं तब भी ठीक है। लेकिन २०, ३० कामरोको प्रस्ताव रोज आने लगे तो यह चीज ऐसी है कि उन्हें रोजाना पढ़ना उचित नहीं है और न यह बात चल ही सकती है। इसलिये यहां की परिस्थिति के अनुसार मुझे भी व्यवस्था देनी पड़ती है। और मैंने यही व्यवस्था उचित समझी कि अब पढ़ने की कर्टसी अगर मैं रखूंगा और जो भी कामरोको प्रस्ताव आयें उसको पढ़ कर सुनाऊं और मंजूरी और नामंजूरी के कारण बताऊं तो मैं समझता हूं कि केवल कामरोको प्रस्ताव के जरिये से ही सदन का सब कार्य रोका जा सकता है, सिर्फ ऐसे प्रस्ताव पेश करके ही रोका जा सकता है।.....

श्री उग्रसेन---रुक ही जाना चाहिये। इसमें कौन-सा हर्ज है।

श्री अध्यक्ष---इस सदन में जो बहुमत में हैं और गवर्नमेंट में हैं उनके अधिकारों की भी सुरक्षा, मुझे करना है क्योंकि उनके अधिकारों के साथ जनता के अधिकारों की सुरक्षा रहती है। दूसरे जो विरोध करके आलोचना करना चाहते हैं उनको आलोचना का भी मौका देकर दोनों के अधिकारों में एक समन्वय करना चाहता हूं जिससे बहस हो सके, विचार-विमर्श हो सके और उसके द्वारा जनता का लाभ हो सके। लेकिन जनता का काम रोकने के लिये मैं कोई प्रोत्साहन नहीं दे सकता और इतने कामरोको प्रस्ताव अगर आते हैं तो यह मुझे करना ही पड़ेगा कि मैं अपने कमरे में ही उनका निर्णय दे दूं और यहां पर सदन का समय न लूं। अब जहां तक अमृत बाजार पत्रिका का सवाल छेड़ा गया है मैं नहीं कह सकता कि किसी प्राइवेट फर्म या किसी इन्स्टीट्यूशन के संबंध में एक प्रस्ताव लाकर और सरकार के ऊपर उसकी जिम्मेदारी थोप कर, वह कामरोको प्रस्ताव का विषय बन भी सकता है या नहीं। यह एक भिन्न प्रश्न है। जिस पर मैंने विचार नहीं किया, सिर्फ मैंने यह समझा कि जब और चीजें भी महत्व की विचारार्थ मौजूद हैं तो एक अखबार जिसमें ५००-६०० आदमी काम करते हैं उनके संबंध का विचार भी रोका जा सकता है आम बहस तक के लिये। अगर माननीय सदस्य उस विषय का बजट विवाद में जिक्र करना चाहें तो किसी न किसी मद में कहीं न कहीं तो कर ही सकते हैं। लेकिन अगर मैं उस वक्त देखूंगा कि सरकार कि जिम्मेदारी इस विषय में नहीं है तो उस वक्त भी रोक दूंगा कि अमृत बाजार पत्रिका का प्रश्न आप बहस में नहीं ला सकते हैं क्योंकि वह एक प्राइवेट फर्म का सवाल है। फिर भी अल्पसूचित तारांकित प्रश्न द्वारा इसका स्पष्टीकरण माननीय सदस्य करा सकते हैं। और वह एक रास्ता खुला हुआ है। मैं समझता हूं कि उसे अपनाना चाहिये।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप जरा हमारी दिक्कत को महसूस करें। मैं आपको स्वतः साक्षी बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि

इस सदन की कार्यवाही पूर्णतः शान्तिपूर्ण ढंग से चले और बहुत से कांग्रेस पक्ष के सदस्यों ने कल शाम को हमसे पूछा भी था कि आप बहुत शान्त क्यों रहे । मैंने कहा कि मैं तो हमेशा शान्त रहता हूं जब तक कि कोई हमको छेड़े न ।

सवाल यह है श्रीमन्, कि आपने व्यवस्था दी कि प्रथम दिन इतने एडजर्नमेंट मोशन क्यों आ गये ? इसका भी कारण है । यह एडजर्नमेंट मोशन जहां तक मैं समझता हूं ....

श्री अध्यक्ष---आप इसमें विश्वास नहीं करते कि किसी के लिये परीक्षा का समय वही होता है जब आफत का समय होता है ? आपको कोई छेड़ दे तो तुरन्त आप क्यों अशान्त होते हैं ?

श्री राजनारायण---मैं वही निवेदन कर रहा हूं । जहां तक मेरे निजी छेड़ने का मामला है, मैं बर्दाश्त कर लेता हूं । लेकिन जहां जनता के अहित में जाने वाला प्रश्न है, वहां मेरा धीरज टूट जाता है । अब आप यह देखें कि तीन तार आये हुए हैं कि .....

श्री अध्यक्ष---मैं आपको धैर्य देता रहूंगा, आप बैठिए ।

श्री राजनारायण---मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आपने ही व्यवस्था दी थी जब कि एक दिन के बाद सवाल आया एडजर्नमेंट मोशन का, कि अगर इतना जरूरी था तो पहले दे दिया होता । उस तर्क पर जब आपने काटना शुरू किया तो अबकी जो प्रथम दिन आया उसी को सबने एडजर्नमेंट मोशन दे दिये । लोक सभा में जिस तरह आयंगर साहब करते रहे हैं, वही परिपाटी हमारे यहां चालू हो रही है । आज रामपुर में गोली चलेगी, यह हो सकता है । अभी बाजपेई जी का तार आया है कि शुगर मिल की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि गोली चल सकती है, मजदूरों की जाने जा सकती हैं....

श्री अध्यक्ष---उचित यह होगा कि आप मंत्री जी से उनके दफ्तर में बात कीजिये ।

श्री राजनारायण---वह तो गोली चलने आदि को बचाने के लिये हैं...

श्री अध्यक्ष---बहस से गोली नहीं बचेगी, बहस तो बाद में भी हो सकती है ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आप तो कामरोको प्रस्ताव को पढ़ भी नहीं रहे हैं, यह यहां की जो परम्परा थी उसके भी विरुद्ध है .....

श्री अध्यक्ष---यह तो आप मेरे निर्णय पर बहस कर रहे हैं, इसकी मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय, मजबूर होकर आप की इस व्यवस्था के विरोध में हमें एक घंटे के लिये सदन का त्याग करना पड़ेगा और इस लिये हम सदन का एक घंटे के लिये त्याग करते हैं ।

(समाजवादी दल ने सदन त्याग किया)

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक दुखःद घटना की ओर दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि ७ तारीख को पिथौरागढ़ का सारा बाजार आग से जल गया ।.....

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---अध्यक्ष महोदय, बड़े दुखः का विषय है कि आपने अब कामरोको प्रस्ताव भी स्वीकार करना बन्द कर दिया, पढ़कर भी आपने नहीं सुनाये ।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर के बैठ जायं ।

श्री टीकाराम पुजारी---मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम अगर गरीबों की आवाज उठाते हैं तो आप नहीं सुनते, सरकार नहीं सुनती, कोई उनकी बात को सुनने वाला नहीं है। इसलिये इसके विरोध में मैं भी सदन का परित्याग आज दिन भर के लिये करता हूं। यह सरकार जबरदस्ती करती है, गरीबों पर जुल्म होता है.....

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

(श्री टीकाराम पुजारी ने सदन का परित्याग किया।)

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)---अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाता हूं क्योंकि अभी माननीय सदस्य बिना आप की आज्ञा के बोल रहे थे और हमेशा बोलते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, आप का नोटिस मुझे मिल गया, आप लिखित देंगे तो मैं देख लूंगा।

श्री झारखंडेराय---अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष---आप तो सदैव नियंत्रित रहते हैं, अभी श्री प्रतापसिंह बोल रहे थे वह अपनी बात समाप्त कर लें तब आप बोलें।

श्री प्रतापसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि पिथौरागढ़ में ७ तारीख को आग लगने के कारण सारा बाजार जल गया और वहां ३९ परिवारों को भारी क्षति पहुंची है, लेकिन अभी तक वहां किसी प्रकार की सहायता सरकार से या जिले से नहीं पहुंची है....

श्री अध्यक्ष---यह तो आप कामरोको प्रस्ताव का विषय ले रहे हैं, मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री झारखंडेराय ---अध्यक्ष महोदय, रामपुर की हड़ताल के बारे में जो कुछ मैं कहना चाहता था वह मैंने आप के सामने अभी रखा था, लेकिन मुझे दुख है कि २८ कामरोको प्रस्ताव जो आये थे वह चूंकि आप को चेम्बर में अस्वीकार करने का अधिकार है इसलिये वह अस्वीकृत कर दिये गये और उनके साथ ही जो प्रस्ताव गन्ना उत्पादकों की हड़ताल के बारे में आया था जिससे जनता में क्षोभ है और जो आन्दोलन प्रदेश व्यापी है उसे भी अस्वीकार कर दिया उसके विषय में कोई वक्तव्य या स्पष्टीकरण दिलाना भी आपने मुनासिब नहीं समझा, उसमें ३२ आदमी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। जिनमें विधान सभा के दो सदस्य श्री गेंदासिंह और रामायण राय भी हैं....

श्री अध्यक्ष---आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के द्वारा वह सूचना मांग सकते हैं।

श्री झारखंडेराय---दूसरे कामरोको प्रस्तावों के विषय में मैं नहीं जानता लेकिन सब धान बाइस पसेरी वाला हिसाब उचित नहीं है, इसलिये मैं आपके निर्णय का विरोध करता हूं और विरोधस्वरूप एक घंटे के लिये सदन का परित्याग करता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप मेरे निर्णय पर 'अनुचित' शब्द कह कर सीमा के बाहर चले गये हैं....

श्री झारखंडे राय---मैं आपकी इजाजत से इस शब्द को वापस लेता हूं लेकिन आप के निर्णय के विरोध में एक घंटे के लिये सदन का त्याग करता हूं।

(श्री झारखंडेराय ने अपने दल सहित सदन का परित्याग किया।)

नियम ५३ के अधीन उठाए गये विषय पर विवादार्थ समय निर्धारित करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर सूचना के सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूं और आपका निर्णय चाहता हूं, नियम ५५ के आधार पर कि सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा और मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे। तो नियम ५३ के अनुसार सूचना भी दी गई है...

श्री अध्यक्ष---यह तो जब मैं इजाजत दूंगा उस समय, समय निश्चित होगा। नियम में यह कहीं नहीं दिया हुआ है कि इसकी सूचना मैं सदन में ही दूंगा, मैं वह बाहर भी दे सकता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---लोक सभा में उसी दिन दी जाती है सूचना।

श्री अध्यक्ष---वह ५२ नियम के बारे में हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---नहीं, ५३ के बारे में हैं।

श्री अध्यक्ष---यह कहां है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---लोक सभा में हमेशा यह होता है।

श्री अध्यक्ष---सदन में सूचना मैं दे भी सकता हूं नहीं भी दे सकता। यह नहीं है कि सदन में निर्णय देना लाजमी है। इसका तो मैं डिसीशन लूंगा तब आपको सूचना दी जायगी।

शनिवार, २१ व २८ फरवरी तथा १४ व २१ मार्च, १९५९ को सदन की बैठक होने के संबंध में संकल्प

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६ के उपनियम (२) के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा की बैठक शनिवार को नहीं होती। परन्तु १९५९-६० के आय-व्ययक संबंधी समस्त वित्तीय कार्य एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक को ३१ मार्च, १९५९ से पहले पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा उक्त उपनियम (२) के उपबन्धों को निलम्बित करते हुए यह सदन यह निश्चय करता है कि इस सदन की बैठक अपने नियमित समय पर शनिवार दिनांक २१ व २८ फरवरी, १९५९ तथा १४ एवं २१ मार्च, १९५९ को भी हो।

इस संबंध में मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं मालूम होती। हमेशा यह हमारा तरीका रहा है कि बजट के सिलसिले में शनिवार को यह सदन बैठा करता है और जैसा कि इस प्रस्ताव में खुद दिया हुआ है बजट ठीक वक्त से पास हो और अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाय उसी के लिये यह प्रस्ताव मैंने सदन के सामने रखा है कि यह जो चार शनिवार पड़ते हैं इनमें भी सदन अपने समय से बैठ करके बजट की कार्यवाही को पूरा करे। मुझे आशा है कि हमारे मित्र जो उस तरफ बैठे हुए हैं वह भी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि माननीय उपनेता सदन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव कि शनिवार के दिन भी इस आदरणीय सदन की बैठक हो, चार शनिवारों की तजवीज, मैं उसका विरोध करता हूं। नियम यह है कि शनिवार को इस सदन की बैठक नहीं होगी। यह भी नियम है कि आवश्यकता पड़ने पर इस सदन को यह अधिकार प्राप्त है कि अपने काम को चलाने के लिये किसी नियम को निलम्बित कर दे, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। मैं देखता हूं, मान्यवर, कि एक प्रथा सी बन गयी है कि जब

[श्री त्रिलोकोसिंह]

कभी कोई बात आये तो शनिवार को भी यह सदन बैठे। गत वर्ष भी जब बजट पर विचार था उस समय भी शनिवार ले लिये गये थे। इस वर्ष भी यही बात है। सबसे बड़ा काम इस आदरणीय सदन का है बजट पर विचार करना और उसको पारित करना। तो उसमें इतनी उलझन और उजलत, यह मेरी समझ में नहीं आता और मैं समझता हूं किसी भी समझदार आदमी की समझ के बाहर की बात है। क्योंकि यह सरकार सदन को यदि चाहती तो ४ या ६ दिन पहले भी बुला सकती थी। लेकिन वह समय से बुलाती नहीं है और फिर कहती है कि बजट ३१ मार्च तक पास करना है किसी दशा में, इसलिये शनिवार को लेना चाहिये। मैं, मान्यवर, बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा उपनेता सदन से कि वह अपने प्रस्ताव पर पुनः विचार करने की कृपा करें और इस बात पर आग्रह न करें कि शनिवार को भी सदन की बैठक हो।

मैं इस सिलसिले में आपकी आज्ञा से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम इस सदन के माननीय सदस्यों को दिया गया है उसमें यह लिखा हुआ है कि २३ मार्च को उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक साढ़े चार बजे शाम को उपस्थित होगा और प्रत्यक्ष है कि वह आधे घंटे के अन्दर पारित हो जायगा। गत वर्ष भी यह प्रश्न उठाया गया था और उस समय माननीय नेता सदन ने कहा था कि एप्रोप्रिएशन बिल पर एक दिन दिया जायगा। यह असेम्बली की प्रोसीडिंग्स उठा कर देखा जा सकता है। लेकिन यहां पूरा एप्रोप्रिएशन बिल आध घंटे के अन्दर पेश भी होगा और पास भी हो जायगा और फिर यही दलील कि अगर यह नहीं पास होता है तो ३१ मार्च आ जायगी और सारा प्रयत्न बेकार हो जायगा। ऐसा प्रोग्राम बनाना और ऐसे समय से असेम्बली को बुलाना कि जिसमें सदस्यों की पूरी तवज्जह के साथ विचार करने का मौका न मिले यह इतनी बड़ी ज्यादती है इस सदन, के साथ कि जो किसी भी बहुमत दल के लिये एक फख्र का बायस नहीं हो सकती। मैं यह नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि एप्रोप्रिएशन बिल में गवर्नमेंट को खयाल रखना चाहिये कि कम से कम एक दिन दे।

दूसरी चीज यह है कि शनिवार को इस सदन को नहीं बैठना चाहिये। इस बीच में और काम काटे जा सकते हैं, बजट बजाय १३ तारीख के ११ तारीख को पेश किया जा सकता है, हम लोग तैयार हैं उस पर विचार करने के लिये। लेकिन जबर्दस्ती काम लेना और यह उम्मीद करना कि हम बिना विचार किए सवा डेढ़ सौ करोड़ रुपये की मंजूरी दे दें यह मैं समझता हूं इस सदन को अस्वीकार करना चाहिये और इस खयाल से मैं माननीय उपनेता सदन से पुनः निवेदन करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता ने इस प्रस्ताव का जो विरोध किया है उसका मैं भी समर्थन करता हूं। उन्होंने उसके विरोध में जो कारण दिये हैं उन्हीं कारणों के आधार पर मैं इसका विरोध करता हूं। सदैव, जब-जब इस प्रकार का प्रस्ताव आया है तब तब मैंने इस प्रकार का विरोध किया है कि सदन के सदस्यों के शनिवार पर सरकार की शनि की दृष्टि क्यों रहती है और वह कारण आज भी ज्यों का त्यों है। माननीय उपनेता सदन ने कारण बताया कि समय की कमी की वजह से हमें चारों शनिवार लेने पड़ रहे हैं। मेरा नम्र निवेदन यह है कि समय की कमी क्यों हुई पहले इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। जहां तक हम लोगों को मालूम है यह अधिवेशन २ फरवरी से होने जा रहा था। २ फरवरी से होता तो समय की कमी नहीं रहती। तब चारों शनिवार ये बच सकते थे और एप्रोप्रियेशन बिल के लिये भी पूरा एक दिन मिल सकता था, ५ के बजाय ६ दिन निकल सकते थे। लेकिन पद यात्रा की जो शनि दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी उसके कारण इन चारों शनिवारों को लेने का प्रस्ताव आया।

आज इसका विरोध करने का एक दूसरा कारण भी है। वह यह कि और मर्तबा तो एक एक शनिवार को लेने की बात कही जाती थी लेकिन आज एक दम चार शनिवारों का

कत्लेआम किया जा रहा है । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं । नयी प्रक्रिया नियमावली के अनुसार लन्च का घंटा भी नहीं रहा जिससे एक घंटे का समय प्रति दिन अधिक मिल गया है । इन सब बातों पर विचार करके मैं आशा करता हूं कि माननीय उपनेता सदन अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ मुझे भी कहना पड़ता है कि शनिश्चर को बैठक करने का यह जो एक अपवाद था जैसा कि नियम १६ का इसमें जिक्र किया गया है उसे अब नियम बनाया जा रहा है । इसमें लिखा है:—

"The Assembly shall meet from 11 a. m. to 5 p. m. provided that in special circumstances . . . - . .

श्री अध्यक्ष—अब तो नियम सब हिन्दी में बन गये हैं । आप हिन्दी में ही उन्हें पढ़िये ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—श्रीमन्, इसमें लिखा है कि विशेष परिस्थितियों में ऐसा होगा । मान लिया आज कोई लड़ाई छिड़ जाती या इतनी जल्दी थी कि बिना इसके काम नहीं हो सकता था तो हम स्वयं उनका साथ देते और अपनी तरफ से कहते कि आप शनिवार ही न लें बल्कि रविवार भी ले लें और हम रात को भी बैठने के लिये तैयार हैं । श्रीमन् ने देखा है कि हमने एक घंटा लंच का भी खत्म कर दिया । इससे उधर (कांग्रेस) के लोगों को ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही है और उन्होंने तो शायद इसको लोक लज्जा के कारण स्वीकार कर लिया है । श्रीमन्, हम तो यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक कार्य हो । अब चार दिन मांगे गये हैं । पहले २ तारीख से अधिवेशन शुरू होने वाला था जो ९ तारीख से शुरू हुआ । इसके माने यह हैं कि हमने सात दिन गवां दिये और अब ४ दिन मांग रहे हैं । जैसा कि नेता विरोधी दल ने कहा कि आप विनियोग विधेयक २३ तारीख को ला रहे हैं तो वह ३१ मार्च तक पास हो जाना चाहिये इससे ३–४ दिन भी मिल जायेंगे । हम आगे भी बैठ सकते हैं ।

श्रीमन्, शनिवार की छुट्टी की व्यवस्था इसलिये रखी गई है जहां तक मैंने इस पार्लियामेंटरी पद्धति को समझने की कोशिश की है कि हम लोग उस दिन सोचें समझें और स्टडी करें । हमारे यहां की लाइब्रेरी जिस पर लाखों रुपया खर्च किया गया है उससे हम फायदा उठायें और उसको हम यहां पर कन्ट्रीब्यूट करें । यदि इस तरह से हर शनिवार को ले लिया जायगा तो हम क्या सोच सकेंगे ? इस हेस्टी लेजिस्लेशन की वजह से ही सेल्स टैक्स में शायद अठारहवां या उन्नीसवां संशोधन आ रहा है यानी कानून बन नहीं पाता कि उसमें पैबन्द पहले से लगने लगता है. . . . .

श्री अध्यक्ष—आप विषयान्तर कर रहे हैं ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—श्रीमन्, रेलीवेंट इसलिये है कि हम शनिवार को सोच समझकर किसी भी कानून को बनायें, जिससे अमेंडमेंट लाने की जरूरत ही न हो । लेकिन हमें वह मौका नहीं रहता है । यह लंगड़ी दलील रहती है कि हमें बिल जल्दी पास करना है । जैसा कि पालीवाल जी ने कहा कि कांग्रेस दल को पदयात्रा करनी थी इसलिये ७ दिन के बाद हाउस मीट किया । डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स का बिल जो पहले एजेंडे में आया था वह भी खत्म हो गया जिसके लिये कहा गया था कि दिसम्बर में ही पास करना है । इतना ही नहीं श्रीमन्, मैं गुजारिश करूंगा कि शासकीय दल वाले स्वस्थ परम्परा डालें । यदि वह इस तरह की बातें करेंगे तो हमारी भी आदत खराब होगी । इसलिये ऐसी परम्परा आपको बनानी चाहिये जिससे हमारा देश उस पर गर्व कर सके । ऐसा न हो कि बाद को उन्हें

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

शिकायत हो कि तुम बुरा कर रहे हो। श्रीमन्, यू० पी० सी० सी (U. P. C. C.) की जब जब मीटिंग होती है तो तभी लेजिस्लेचर का भी सेशन लगा दिया जाता है इस तरह का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिये। डर है कि कल सत्ता आने पर हम लोग यही करेंगे और दूसरे लोग इससे भी बुरा करेंगे तो देश खड्ड में जायगा। इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि ऐसी पद्धति सदन में डालनी चाहिये जिससे देश को गर्व हो सके। इसी तरह से २३ तारीख के बजाय एप्रोप्रियेशन बिल ३१ मार्च तक पास कर लें जिससे कुछ दिन भी हम लोगों को मिल जायेंगे। यह मुझे कहना है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव ही परस्पर विरोधी है और यह अपने अर्थ को भी खत्म कर देता है। जिस अधिकार के अनुसार सदन निश्चय करेगा कि शनिवार को बैठक हो यह उस उपबंध (२) को ही निलम्बित करता है। उपबंध (२) इस प्रकार है कि "जब तक कि सदन अन्यथा निश्चय न करे, शनिवार, रविवार तथा अन्य सार्वजनिक छुट्टियों के दिन कोई उपवेशन नहीं होगा।" इस प्रस्ताव के दो हिस्से हैं। पहला यह कि इस उपबंध (२) को निलम्बित कर दिया जाय और दूसरा यह कि शनिवार को बैठक हो। यह उपबंध निलम्बित हो रहा है और शनिवार की बैठक इसके बाद हो तो यह सारे का सारा निलम्बित हो रहा है। इसके माने यह हैं कि सदन रविवार को, बसन्त पंचमी को तथा अन्य सार्वजनिक छुट्टियों में भी बैठेगा। नतीजा इसका यह होगा कि यदि यह निलम्बित हो जायगा तो सदन सब छुट्टियों में बैठेगा। यह ऐसा रिजोल्यूशन है जो हमारे अधिकारों को छीन रहा है और सार्वजनिक छुट्टियां भी खत्म हो जायंगी और होली की भी छुट्टी खत्म हो जायगी। इस प्रस्ताव का ड्राफ्टिंग सेल्फ कंट्राडिक्टरी है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह बात बिल्कुल सही है। "उक्त उपनियम (२) के उपबंधों को निलम्बित करते हुये" ये शब्द रिडेन्डेंट या अनावश्यक है। जब नियम में ही अधिकार दिया गया है तो उसे निलम्बित करने की क्या जरूरत है? नियम में इस प्रकार दिया है—(२) "जब तक कि सदन अन्यथा निश्चय न करे, शनिवार, रविवार तथा अन्य सार्वजनिक छुट्टियों के दिन कोई उपवेशन नहीं होगा।" ऐसी अवस्था में इस नियम को निलम्बित करने की जरूरत नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह आउट आफ आर्डर रूल किया जाय। जब दूसरा आयेगा तो देखा जायगा।

श्री अध्यक्ष—वह अपने प्रस्ताव को संशोधित कर सकते हैं। अगर वह उक्त वाक्य को निकाल देने को तैयार हैं तो मैं प्रस्ताव कायम रहने की इजाजत दे सकता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं उनके सुझाव को मान लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—तो इतना हिस्सा प्रस्ताव में से हटा दिया जायगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नेता विरोधी दल और अपने भाई पालीवाल जी की बातों को सुना। श्री गोविन्दसिंह, जैसा कि उनको कहने का शेवा है, उन्होंने कहा। यह कहा गया कि यह सेशन ९ को क्यों किया गया, २ को क्यों नहीं किया? लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जब २ को प्रोग्राम था तब भी बजट १३ को ही पेश होने वाला था। उसमें कोई अन्तर नहीं हुआ। एक बात और है। जो नये नियम आये हैं, अभी तक तीन दिन का नियम था जनरल डिस्कशन का और अब पांच दिन हो गये हैं। गोविन्दसिंह जी तो उदारता न समझेंगे लेकिन हमारे मित्र नेता विरोधी दल और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पालीवाल जी जरूर समझेंगे । इसमें भी ज्यादा बात करने की गुंजायश हो गयी । इसके साथ-साथ ग्रांटों के लिए पहले बीस दिन का वक्त मिलता था । अब २४ दिन रख दिया गया है । तो इस तरह से भी बढ़ा दिया गया है । पद-यात्रा की बात कही गयी । उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता । हमें सबकी सहूलियत देख कर वक्त मुकर्रर करना पड़ता है । इनकी सहूलियत न देखूं तो दिक्कत । आपकी सहूलियत न देखूं तो दिक्कत । लिहाजा इत्तफाक से अगर इनकी सहूलियत नजर आ गयी तो आप को द्वेष नहीं करना चाहिये । सब की सहूलियत को देख कर वक्त रखा जाता है । पालीवाल जी ने कहा कि मेरा शनिश्चर क्यों लिये ले रहे हैं । शनिश्चर जितनी जल्दी उतार दें उतना ही अच्छा है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे डर यह है कि कहीं सरकार के ऊपर शनिश्चर सवार न हो जाय ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम घबड़ाते नहीं हैं । हमारे खजाने में शनिश्चर इतवार सब जमा होंगे । आप परेशान होते हैं । मैं आपका शनिश्चर उतारना चाहता हूं । त्रिलोकीसिंह जी ने फरमाया कि ऐप्रोप्रिएशन बिल के लिए आध घंटे का समय कम होगा । पांच दिन जनरल डिस्कशन होगा । २४ दिन फिर ग्राटों पर बहस होगी । फिर ऐप्रोप्रिएशन बिल पर कहने के लिए रह क्या जाता है, सिवा दोहराने के ? पांच दिन तक आप उसूली बात पेश करेंगे । आप खुद थक जायंगे । कोई बात बाकी नहीं रह जायगी कहने के लिए । श्री गोविन्दसिंह खड़े होंगे तो भला बाकी रखेंगे । वह आइन्दा बजट के बारे में भी कुछ न कुछ कह देंगे । यह जरूरतन पेश किया गया है । इसको कृपा करके मंजूर कीजिये । जब कभी मौका होता है, जब कोई मुनासिब बात कही जाती है फौरन गवर्नमेंट कंसीड करती है । तो जब हम मुनासिब बात कहें उसे वह न मानें तो ताली दोनों हाथों से बजती है । मैं आशा करता हूं कि आप इसको मंजूर करेंगे ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६ के उपनियम (२) के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा की बैठक शनिवार को नहीं होती । परन्तु १९५९--६० के आय-व्ययक सम्बन्धी समस्त वित्तीय कार्य एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक को ३१ मार्च, १९५९ से पहले पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह सदन यह निश्चय करता है कि इस सदन की बैठक अपने नियमित समय पर शनिवार दिनांक २१ व २८ फरवरी, १९५९ तथा १४ एवं २१ मार्च, १९५९ को भी हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) विधेयक, १९५९

(क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---अब खाद्य मन्त्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) विधेयक, १९५९ पर विचार किया जाय, विचार होगा । श्री जगन्नाथ लहरी कल अपना जो भाषण दे रहे थे वह जारी रखेंगे ।

****श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)**---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल सदन के सामने उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) विधेयक, १९५९ पर मैं अपने

---

* ९ फरवरी, १९५९ की कार्यवाही में छपा है ।

† ९ फरवरी, १९५९ की कार्यवाही से

** वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

विचार प्रकट कर रहा था । खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में एक कामरोको प्रस्ताव पेश होने के कारण मुझे अपने विचार बीच में ही रोकने पड़े थे । कल जिस समय सदन के सम्मुख में अपने विचारों को प्रकट कर रहा था उस समय मैंने खंड २५ का उदाहरण दिया था । मैंने उस समय बड़े विनम्र शब्दों में यह कहा था कि तलवार से शासन स्थापित हो सकता है लेकिन उससे आप निर्माण का कार्य नहीं कर सकते ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने कल यह भी कहा था कि यह विधेयक बिलकुल एक तानाशाही विधेयक है । इससे जनता के अन्दर काफी रोष और भ्रम पैदा हो जायेंगे । उस समय खंड २५ का जो मैंने उदाहरण दिया था उसके अनुसार बाटों के निर्माण, मरम्मत और बिक्री के लिये एक लाइसेंस की पद्धति अनिवार्य कर दी गई है । इस विधेयक के खंड ४ को यदि हम पढ़ने का कष्ट करें तो हमें पता चलेगा कि सरकार स्वयं भी कुछ बाटों और मापों का अपने टकसालों द्वारा निर्माण करायेंगी जो इस प्रकार है :—

द्वितीय मानक

"४—(१) कार्यमानकों की शुद्धता के परीक्षण के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार टकसाल में जितने आवश्यक समझे उतने प्रमाणी कृत मानक बाटों तथा मापों के सेट तैयार करा सकती है । ये "द्वितीय मानक" कहलायेंगे ।"

तो अध्यक्ष महोदय जब सरकार शुद्धता की जांच कराने के लिये टकसालों द्वारा कुछ बाट तथा माप-यन्त्रों का निर्माण करायेगी तब जनता के प्रयोजनार्थ लाइसेंस दिया जायगा जो बाटों का निर्माण करेंगे, मरम्मत करेंगे या बिक्री करेंगे । लेकिन उन बाट और मापों की शुद्धता की जांच करने के लिये एक वैभागिक नियंत्रक होगा, एरिया इंस्पेक्टर्स होंगे और वह उनकी जांच करेंगे ।

खंड १५ को यदि पढ़ा जाय तो उसके लागू होने के बाद प्रदेश का व्यापारी समाज काफी परेशानी में पड़ जायगा ।

खंड १६ के तीसरे भाग में लिखा हुआ है :—

"निरीक्षक, समस्त उचित समयों पर, किसी व्यापारी या किसी व्यापारी के किसी कर्मचारी अथवा अभिकर्ता से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उन समस्त बाटों, मापों, तोलने अथवा मापने के यंत्रों को, जो उसके द्वारा प्रयोग किये जाते हों अथवा जो उसके कब्जे में हों अथवा जो व्यापार के लिये प्रयुक्त होनेवाले किसी भू-गृहादि में रक्खे हुये हों, तथा तत्संबंधी समस्त लेख्यों और अभिलेखों को निरीक्षण के लिये उसके समक्ष प्रस्तुत करे, तथा उक्त व्यापारी, कर्मचारी, अथवा अभिकर्ता ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा ।"

तो अध्यक्ष महोदय, लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी से खरीदने के बाद भी इस विधेयक में यह कोई गारन्टी नहीं है कि उनसे जो बाट खरीदेंगे वह पूर्ण शुद्ध होंगे । जब शुद्धता की कोई गारन्टी नहीं है । उन बाटों और मापों के लिये निरीक्षक रहेगा तो वह हमारी दुकानों में और हमारे गृहों में प्रवेश करके आर्डर देकर जहां चाहें वहां बुला सकता है । तो जिस तरह से सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के अधिकारियों के समक्ष अदालतों में हाजिर होने में धन और समय की बरबादी होती है उसी तरह से अब व्यापारी वर्ग को इन बाटों और मापों के निरीक्षण के लिये निरीक्षक के यहां आने-जाने में अपने धन और समय को बरबाद करना होगा । मेरा नम्र सुझाव यह है कि यदि आप इन बाटों और मापों को प्रयोग कराना चाहते हैं तो जिस तरह से आप चाहें करा सकते हैं । फिर इसमें व्यापारी वर्ग को इतनी परेशानी में डालने की क्या जरूरत है । जब सरकार स्वयं दूसरे मापों के रूप में अपनी टकसाल के द्वारा अपने प्रयोग के लिये बाटों का निर्माण करायेगी तो अच्छा है सरकार ही इन सब बातों का निर्माण कराये । पोस्ट आफिस के टिकट जिस तरह से दूसरा

आदमी नहीं बना सकता है और न कोई छाप सकता है और उनको सेल करने के लिये पोस्ट आफिस को ही दिया जाता है तो उसी तरह से सरकार इन बाटों के निर्माण और बेचने का प्रबन्ध कराये । हम तो यह कहते हैं कि सचमुच सरकार को यदि इन बाटों का ही निर्माण कराना है तो जनता को झंझट में न डालें । इन टकसालों के द्वारा सिर्फ अपने प्रयोग के लिये ही सरकार न बनवाये बल्कि एक अन्य विभाग और भी खोले जो पूर्ण शुद्ध दूसरे मापों की तरह से जनता के प्रयोग के लिये उन बाटों का निर्माण कराये और पोस्ट आफिस की तरह से वह जनता को बिक्री करके दे । यदि सरकार अपनी ओर से इसकी बिक्री का प्रबन्ध करेगी तो जनता इन्सपेक्टर से बच सकती है । जनता को यह विश्वास हो जायगा कि यह पूर्ण शुद्ध बाट है और फिर उनके लिये उनको निरीक्षक के पास दौड़ने की जरूरत नहीं होगी ।

दूसरी बात यह है कि सरकार जो लाइसेन्स देकर कुछ इससे इन्कम करना चाहती है तो सरकार के हाथ में यह एक विभाग आ जायगा और इन बाट और माप का राष्ट्रीयकरण हो जायगा तो इस राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार जब स्वयं निर्माण करायेगी तो उससे सरकार को पूरा मुनाफा हो जायगा । सरकार जो यह धन कमाने के लिये लाइसेन्स की पद्धति चालू करना चाहती है, पूरा मुनाफा कमाने के लिये, उस प्रयत्न को सरकार को नहीं करना चाहिये । यदि इस धारा ४ के मुताबिक सरकार दूसरे मापों की तरह से अपनी तरफ से माप और बाटों का निर्माण अपनी ही टकसाल के द्वारा कराये और अपने गोदामों के द्वारा और अपने ही अधिकारियों के द्वारा उनकी बिक्री का प्रबन्ध कराये तो इससे जनता को काफी सहूलियत हो जायगी और वह जैसा कि इस ऐक्ट की धारा २८, २९ में वर्णन किया गया है . . . .

(इस समय १२ बजकर ४९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा पीठासीन हुये।)

जनता इससे बच सकती है । अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन का ध्यान इस विधेयक की धारा २८, २९ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें यह लिखा है कि : "जो व्यक्ति किसी ऐसे मानक बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यन्त्र का कपटपूर्वक प्रयोग करता है, जिसका मिथ्या होना वह जानता है वह कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकता है अथवा अर्थ दंड से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंड्य होगा।" "जो व्यक्ति किसी ऐसे व्यापारिक बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यन्त्र को, जिसका मिथ्या होना वह जानता है, इस अभिप्राय से अपने कब्जे में रखा है कि उसका कपटपूर्वक प्रयोग किया जा सके, वह कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकता है, अथवा अर्थ दंड से, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंड्य होगा ।"

अधिष्ठाता महोदय, मेरा कहना यह है कि यदि कोई व्यापारी कहीं पर निरीक्षक से सरकारी मानकों से बाट परीक्षण करा कर शुद्धता का प्रमाण चिह्न न ले सका और उसके बाट पकड़े गये और वह अशुद्ध पाये गये तो कपट और मिथ्या बाटों का प्रयोग करने के लिये वह दंड का भागी माना जायेगा और उसे एक वर्ष तक का दंड दिया जा सकता है । मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जाली सिक्कों का निर्माण नहीं किया जा सकता, कारण कि जनता ऐसे लोगों को पकड़ लेती है और उन्हें ग्रहण नहीं करती, क्योंकि जाली सिक्कों का ढालना और चलाना दोष है और केवल सरकार ही अपनी टकसालों में सिक्कों के ढालने का काम करती है । उसी प्रकार से सरकार इन बाटों का भी निर्माण आम जनता के लिये खुद करे । अगर सरकार खुद बाट और मापों का निर्माण करे तो फिर वास्तव में दफा २८ और २९ के अनुसार, जो मिथ्या बाटों का प्रयोग करेगा, जो सरकारी बाट नहीं होंगे, वे दंड भुगतने के लिये मजबूर होंगे । लेकिन आम जनता, भोली-भाली जनता जो कि बाजार से बांट खरीदकर ले जाती है, जिसे नये बाटों का कोई ज्ञान भी नहीं है, उसके लिये उसे क्यों दंड का भागी बनाया जाय ।

मैं विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि यदि हम वास्तव में निर्माण की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, इस विधेयक के द्वारा हमारी मंशा जनता को परेशान करने की नहीं है तो फिर हम तानाशाही हथकन्डों का प्रयोग न करके सही कदम बढ़ावें । यदि सरकार सचमुच में इसके लिये बहुत आतुर हो रही है तो जैसा मैंने कल धारा २२ का उदाहरण देते हुये

[श्री जगन्नाथ लहरी]

कहा था कि इसमें जो तीन महीने का कारावास और अर्थदंड का विधान किया गया है वह तीन महीने का समय चाहे तीन वर्ष का समय हो—समय का मैं यहां पर आपके सामने उदाहरण नहीं देना चाहता—परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि सीधे सादे तरीके से जनता के सामने सही रूप में हम अपने को प्रदर्शित करें। मैंने कल भी इस सदन के सामने कहा था कि एक लीज इन्स्पेक्टर चन्द दिनों में ही लखपती हो जाता है। इसलिये अगर ऐसा हुआ तो आज की इस मंहगाई में जब कि वैसे ही जनता को अपने भरण-पोषण के लिये कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कोई व्यक्ति सब्जी बेच करके, कोई किसी तरह से अपना पालन कर रहा है तो उस समय उस सब्जी वाले को, खोंचे वालों को भी इन मापों और बाटों के नये वर्गीकरण के लिये काफी परेशानी उठानी पड़ेगी, उसको निरीक्षक के पास जाकर शुद्धता का प्रमाण-पत्र लेना पड़ेगा। इसलिये हम जनता को परेशानी में न डालें। अगर काफी आतुरता हो तो जिस तरह से कि सरकार सिक्के ढाल कर देती है इसी प्रकार से बाटों को भी ढाल कर जनता को दिया जाय। इस तरह से एक नये व्यापार का राष्ट्रीयकरण होगा। अब तो पब्लिक सेक्टर में लोहे के बड़े-बड़े कारखाने, बड़े-बड़े स्टील के प्लान्ट बन गये हैं इसलिये आपको इन बाटों को ढालने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी।

अधिष्ठाता महोदय, मैं एकः बार पुनः विनम्र शब्दों में आपके द्वारा इस सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा यह विधेयक सिर्फ इस बात की सूचना नहीं दे रहा है कि सरकार इस प्रदेश में पुराने माप और बाटों के स्थान पर मीटर प्रणाली का प्रयोग करने जा रही है, बल्कि यह विधेयक चिल्ला-चिल्ला कर इस बात को कह रहा है कि जिन्होंने सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार इन मापों और बांटों का प्रयोग नहीं किया उनके लिये जेलखाने का दरवाजा खुला हुआ है, उनको लूटने के लिये निरीक्षक आ रहे हैं और जनता को परेशानी में डालने के लिये यह विधेयक आया है। हम जनता के चुने हुये प्रतिनिधि हैं इसलिये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी जनता को परेशानी से बचाने के लिये सही कदम उठायें। हमारा कर्तव्य है कि हमारे प्रदेश की जनता के लिये जो मुसीबत आने वाली है उसकी, समय के रहते हुये, चेतावनी दे दें। अभी जैसा कि कल ही पता चला कि 'अमृत बाजार पत्रिका' के सम्बन्ध में—जिसका कि प्रकाशन रोक दिया गया है—जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें बड़े-बड़े रहस्य खुले कि जो विधेयक आते हैं वे अधूरे होते हैं। आज यह विधेयक भी एक ऐसा विधेयक होगा जिसमें लूट की छूट होगी, तानाशाही के हथकंडों की छूट होगी। इसमें जनता को सुख और सुविधा पहुंचाने के लिये कोई विधान नहीं किया गया है। आज हम जनता को लूटने के लिये नहीं जाना चाहते हैं। इसमें हम जनता को यहां रह कर सुख और सुविधा पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। यदि आप दरअसल जनता को सुख और सुविधा पहुंचाना चाहते हैं तो आप अपनी टकसालों में सिक्कों को ढालें। इन शब्दों के साथ में मोतीलाल जी अवस्थी के उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जिसमें उन्होंने इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द करने की मांग की है, मैं उसका जोरदार समर्थन करता हूं। यद्यपि मैं इस विधेयक का पूरे तरह से विरोध करना चाहता था, लेकिन चूंकि इस प्रस्ताव में भी परिधि बढ़ाने का आश्वासन है तो मुझे आशा है कि सदन मोतीलाल अवस्थी का संशोधन स्वीकार करके इसको प्रवर समिति को सौंप देगा जो जनता की दृष्टि से इसमें संशोधन करके सदन के सामने रखेगी। मैं फिर से मांग करता हूं कि इस विधेयक को जल्दबाजी में पास न किया जाय और जनता के सामने लुटेरों के रूप में जाने का प्रयास न किया जाय।

श्री फतेहसिंह राणा (जिला मेरठ)—श्रीमन्, माननीय लहरी जी का उपदेश कल से आज तक सुनने में आया। बहुत अच्छा भाषण था उनका। आप जनता की दुहाई देकर यह कोशिश कर रहे थे कि क्योंकि वे जनता के नुमायंदे हैं इसलिये उसका लाभ उनको करना है। जनता के हित में उन्होंने दुनियां भर की बातें कहीं कि उसको कष्ट होगा, व्यापारियों को कष्ट होगा, सरकार के बहुत अधिकार हो जायंगे और वह भी कि यह एक ऐसा विधेयक लाया जा रहा है जो कभी इस प्रदेश में क्या सारी दुनिया में कभी नहीं आया। इस विधेयक के द्वारा

बड़ा जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने यह कष्ट नहीं किया कि यह एक ऐसा बिल है जो सारे राज्यों में और हिन्दुस्तान ही नहीं सारी दुनिया में लागू है। अपने यहां उत्तर प्रदेश में भी सन् १९४७ में ऐसा एक कानून पास हुआ था। उन्होंने कहा कि इन्सपेक्टरों के अधिकार बढ़ा दिये गये हैं, वे घरों में घुस जायेंगे लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि यह विधेयक तो सन् १९४७ में भी मौजूद था। यह जानने का उन्होंने कष्ट नहीं किया लेकिन वे तो उपदेश देना चाहते थे। दाशमिक प्रणाली के सम्बन्ध में सन् १९५६ में एक कानून बनाया गया था कन्द्रीय सरकार की ओर से और उसकी रू से सन् १९४७ का कानून रिपील हो गया था। क्या लहरी जी अब यह चाहते हैं कि जिस किस्म के बाट व्यापारी चाहें इस्तेमाल करें? और उनके ऊपर कोई पाबन्दी न हो? अगर वह सन् १९५६ का केन्द्रीय सरकार का कानून देखें तो उनको मालूम हो जायगा कि इस कानून का बनाया जाना तो प्रदेशीय सरकार के लिये आब्लीगेटरी है। मैं तो कहता हूं कि यह तो सरकार की लापरवाही है कि उन्होंने इतने दिनों तक ढील की। क्योंकि सन् १९४७ के समान कानून सारी स्टेट्स में पहले ही बना दिये गये हैं।

श्री जगन्नाथ लहरी—अधिष्ठाता महोदय, कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—आपको विदित ही है कि लंच टाइम में कोरम की आवश्यकता नहीं है।

श्री फतेहसिंह राणा—तो और-और स्टेट्स ने अपने यहां नये-नये कानून बना कर उनको लागू किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस ओर कोई काम नहीं किया। मैंने दो सज्जनों के व्याख्यान जनता के नाम पर सुने। लेकिन क्या उनको मालूम नहीं है कि बाटों के कारण उपभोक्ताओं और उत्पादकों को किस प्रकार से परेशान किया जाता रहा है। यही नहीं कि अलग-अलग तौल के बाट हों बल्कि उसके साथ ही साथ ऐसा भी किया जाता रहा है कि अगर शीरा लिया जायगा तो ४४ सेर से लिया जायगा और अगर बेचा जायगा तो ३९ सेर से बेंचा जायगा। एक-एक वस्तु के लिये अलग-अलग रिवाज बने हुए हैं जिनसे उपभोक्ता और पैदा करने वाले दोनों को लूटा जाता है और जनता के नाम पर व्याख्यान देने वाले सज्जन इसको भूल जाते हैं कि ठीक ढंग के बाटों के न होने से जनता को किस प्रकार से परेशान किया जाता है। वे तो केवल एक वर्ग का पक्ष लेकर जनता के नाम से कुछ बातें ही कह देना चाहते हैं, लेकिन आज की जनता ऐसी नहीं है जो इन बातों को समझ न जाये। एक तरफ तो इस प्रकार परेशान किया जाता है और दूसरे तरफ कुछ भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने यह जुर्रत की कि वह ऐसे विधेयक का भी विरोध करें। मुझे खेद है कि एक सज्जन तो एक ऐसी पार्टी से संबंध रखते हैं जो अपने आपको बड़ा आगे चलने वाली पार्टी कहती है, जनता का हितकारी कहती है।

मुझे तो अन्देशा है कि जिस प्रकार से सन् १९४७ के कानून को खटाई में डाले रखा था वैसे ही शायद इस विधेयक का भी हाल हो, क्योंकि इस विधेयक के पढ़ने से मालुम होता है कि सरकार ने उसमें यह अधिकार लिया है कि इस विधेयक को जहां चाहें लागू कर सकती है, और किन-किन चीजों के लिये वह इसको लागू करेगी। इससे मुझे अन्देशा है कि शायद इससे सरकार की मंशा यह है कि चूंकि मजबूरी है, सन् १९५६ में जो केन्द्रीय सरकार ने अपना एक अधिनियम बनाया उसके मातहत उनको भी एक कानून लाना था। इसलिये ला दिया, लेकिन उनका मंशा शायद इसको पूरे ढंग से सारे देश में तुरन्त लागू करने का नहीं है। मैं आशा करूंगा और अनुरोध करूंगा कि सरकार एकाध सज्जन जो यहां किसी वर्ग विशेष की बातें करें, उनकी बातों में न आवे और इस विधेयक को हम लापरवाही में न डालें। कुछ बातें ऐसी कही गयीं जो बिल्कुल परस्पर विरोधी हैं। एक तो यह कि बहुत से मेनुफैक्चर्स जो बाटों के बनाने वाले आगरा में हैं उन्होंने एक पम्फलेट इश्यू कर दिया और उसमें हजारों रुपया खर्च कर दिया और इस उम्मीद में खर्च कर दिया कि हमको बाटों को बनाने के लिये लाइसेंस दिया जा रहा है। शायद इसकी जानकारी उन सज्जन को नहीं थी। उनको मालूम होना चाहिये कि जब उन्होंने पम्फलट इश्यू किय तो उनको इस बात की काफी उम्मीद थी कि लाइसेंस उनको दिये जायेंगे और इसक लिय उनकी दरख्वास्तें मुहकमे में मौजूद थीं और अब भी हैं। चूंकि हम बाटों के

[श्री फतेहसिंह राणा]

व्यापारी हैं और हमारे बाट बम्बई तक जाते हैं, इसलिये हमको लाइसेंस देकर बाटों को बनाने के लिये सर्टिफाई नहीं किया जाता है तो हमारा व्यापार ठप्प हो जायगा। इसलिये कानून बनाकर हमको जल्दी से जल्दी लाइसेंस दिया जाय। कहना तो वे चाहते थे व्यापारियों के हित की बात, लेकिन कहने में वे उल्टी बात कह गये, व्यापारियों के अहित की बात कह गये। जो बात वे कहना चाहते थे उसी की स्वयं मुखालिफत करने लगे। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि सरकार अपना टकसाल बाट बनाने के लिये जा रही है। वह वहां बाट बनवायेगी। मालूम होता है कि माननीय सदस्य ने इस विधेयक को ठीक से देखने की चेष्टा नहीं की। उसमें तो यह है कि वहां सेम्पुल बनेगा ताकि मैनुफैक्चरर्स को आसानी हो सके कि वे ऐसे ही बना सकें। एक मामुली सी बात है। अगर गवर्नमेंट टकसाल बनाना चाहती है तो वह बनावे, मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन व्यापारियों के हित की बात कह कर इस तरह की दलील देना जिससे उनका अहित हो, ठीक नहीं है। मैं तो शुरू से इस पक्ष का हूं कि अच्छा है कि सरकार व्यापार करे, और सारी चीजें स्वयं करे, नेशनलाइजेशन करे, कोआपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा करे, किसी इनडिवीजुअल के हाथ में व्यापार न रहे, लेकिन जो सज्जन चाहते हैं कि इनडिवीजुलिज्म रहे, अलग-अलग आदमी काम करें, वे अगर इस तरह की दलील देते हैं तो आश्चर्य होता है। सरकार अपने टकसाल में बनाती है तो बनावे, बड़ी अच्छी बात है, इसमें किसी को आपत्ति ही क्या हो सकती है।

यह बात कही गयी कि साहब इससे बड़ा आतंक छा जायेगा, बड़ा भ्रष्टाचार हो जायगा, मैंने निवेदन किया कि आज भी तो मुहकमे में आतंक है। पहले के कानूनों का हवाला दिया गया लेकिन मेरे माननीय मित्र ने उसे देखने का कष्ट नहीं किया। मैं समझता हूं कि आतंक पहले भी नहीं था और अब भी न होगा। १९४७ का कानून जो रिपील हुआ, तथा सन् १९५६ के केन्द्रीय सरकार के ऐक्ट में भी ये बातें दी गयी हैं। कहीं क्लाज २८, १५ और १६ पढ़ा गया और यह कहा गया कि साहब आपने बहुत अधिक अधिकार दे दिया है। मैं निवेदन करूं कि इससे अधिक सजा तो सन् १९५६ के कानून में है। उसमें ३ साल की सजा है। दूसरे स्टेट्स में जहां आलरेडी कानून बन चुका है, वहां भी यहां से अधिक ही सजा है। जैसा कि मैंने निवेदन किया है, यह जनहित की बात है, उनका शोषण होता है उनको बचाने के लिये सरकार को आना है और आना चाहिये। लेकिन यह केवल इस प्रदेश की सरकार की ही बात नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने कानून बनाया। केन्द्रीय सरकार ने क्यों कानून बनाया और उसके बारे में देश और प्रदेश की राय क्या है यह जरा केन्द्रीय सरकार की जो राय है उसको आप देखें। उसमें मालूम हो जायगा कि दुनिया में कितनी कान्फ्रेन्सेज हुईं, कितने कमिशंस बैठे और उनमें क्या-क्या बातें तय हुईं। उनमें यह भी निश्चय हुआ कि जिस देश में यह प्रथा नहीं है स्टैंडर्ड वेट्स की वहां फौरन इस चीज को लागू करना चाहिये। यह केवल किसी प्रदेश या देश की बात नहीं है बल्कि सारी दुनिया की कान्फरेन्स की निश्चित राय है। हर मुल्क में इस किस्म की प्रणाली है और कहीं किसी का शोषण नहीं हो सका, ज्यादती नहीं हो सकी। जनता का हित हो सके, इसलिये यह विधेयक लाया गया है।

यह बात कि मैं इसका विरोध करूं और यह प्रवर समिति में भेजा जाय, यह बात कुछ समझ में नहीं आती। किसी विधेयक का विरोध करने के माने यही है कि उसके सिद्धान्तों से सहमति नहीं है और इस कारण उसको प्रवर समिति में भेजा ही नहीं जा सकता। प्रवर समिति में जाने के माने यह होते हैं कि वहां जाकर सिद्धान्तों को माना जायगा उस विधेयक के और केवल उसमें कुछ संशोधन हो सकते हैं।

एक सज्जन ने यह कहा कि यह जनमत के लिये भेज दिया जाय वर्ना प्रवर समिति को भेज दिया जाय। जहां तक जनमत का सम्बन्ध है मैंने निवेदन किया कि कोई स्टेट नहीं जहां यह कानून बाटों का नहीं है। हमारी स्टेट में सन् १९४७ से बना हुआ है। केवल अब इसमें प्रणाली का अन्तर

लाया जा रहा है। दाशमिक प्रणाली की बात है जिसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार सन् १९५६ में कानून बना चुकी। क्या उसके सम्बन्ध में जनता को मालूम नहीं है? मेरा खयाल है कि शायद उन सज्जन को मालूम नहीं होगा।

जितने व्याख्यान मैंने सुने उनमें प्रवर समिति में भेजने की बात कही गयी। यह कोई दलील नहीं है और न यह कोई दलील है कि यह आतंक पैदा कर देगा। मेरी राय में यह बहुत मामूली और आवश्यक विधेयक है और इसको पारित करना बहुत जरूरी है। इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---माननीय गौरीशंकर राय जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है उस पर मैं अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूं। यह विधेयक देखने में तो बहुत छोटा और बहुत सुन्दर दीख रहा है, लेकिन इससे जो परिणाम निकलेगा वह बहुत ही भयंकर होगा। यह एक ऐसा विधेयक है जिसको अपने प्रदेश की जनता आसानी से समझ नहीं सकेगी और न उस पर अमल कर सकेगी।

माननीय लहरी जी ने अभी बतलाया कि इसके पास होने के ३ महीने के अन्दर ही सब जगह लोगों को अपने बाट बदलने होंगे। एक मोटी सी बात है कि अभी दशमलवीकरण के अन्दर मुद्रा की तब्दीली हुई है। उसको लागू हुए २ साल हो गये। लेकिन अब भी देहातों में उसका लेन देन नहीं शुरू हुआ है, न देहाती उसको लेते हैं। हालांकि उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। रुपया अपनी जगह पर है, पैसा नया पैसा कर दिया गया है और आना बीच से निकाल दिया गया है। इतनी सीधी सादी चीज को देहाती नहीं कर पा रहे हैं। तो यह माप तौल वाला विधेयक, जैसा लहरी जी ने चैलेंज भी किया था कि माननीय सदन के सदस्य भी नये बाटों का नाम नहीं ले सकते हैं, न गिनती बता सकते हैं, जैसे पाव, सेर छटांक पहले चलते थे उसके बदले में क्या नाम होगा, उस चैलेंज को किसी ने स्वीकार नहीं किया। और न राणा जी ने ही उस चैलेंज का उत्तर दिया। तो जब पढ़े लिखे जनता के प्रतिनिधि उसको नहीं याद रख पाते तो वह देहाती बेचारा कैसे समझेगा यह समझने की चीज है।

श्रीमन्, शिक्षा की इस कदर कमी है कि लोग इसको किसी तरह से कार्यान्वित नहीं कर सकेंगे। सब से जरूरी काम देश के सामने खाद्य समस्या का पड़ा हुआ है। उसके लिये जरूरी है कि कृषि सम्बन्धी उत्थान किया जाय उसमें पैसे की जरूरत है, लेकिन उसके लिये तो सरकार के पास पैसा नहीं है और सरकार व्यर्थ के ६,००,००० रुपये इसमें लगा रही है। नया विभाग इसलिये खोला जा रहा है कि भ्रष्टाचार तरक्की करे। अभी तक तो पुलिस वाले मामूली गंदगी की रपट करके देहातियों को तंग करते थे और अब इससे उनको खुली छूट मिल रही है कि हर आदमी के खिलाफ यह शिकायत लगा कर कि उसने गलत बाट से तौला, फलाने के यहां पुराने बाट थे, परेशान किया करेंगे। जो छोटे-छोटे आदमी हैं जो इसको समझ नहीं पायेंगे उनके लिये यह बाधक होगा और उनकी सारी कमाई भ्रष्टाचार में बरबाद होगी और रात दिन अधिकारियों की बेगारी, गुलामी करते समय बीतेगा। अगर पुलिस का एक आदमी भी नाराज हो जायगा तो इस मामले में उठाकर उनको फांस देगा और जुर्माना या सजा कर देगा। तो मैं कहूंगा कि जब तक प्रदेश इसके लिये तैयार न हो जाय, जनता समझने न लगे तब तक ऐसा विधेयक न थोपा जाय जिससे वह बरबाद हो। सरकार के ६,००,००० रुपये व्यर्थ खर्च होंगे और करोड़ों रुपये जनता के बरबाद होंगे जो भूखों मर रही है। विकास के नाम पर इस तरह के काम करना मेरे खयाल से बहुत ही अनुचित है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस पर बहुत ही नम्रता के साथ वह सोचें और समझें कि यह विधेयक लागू होने के बाद अपने प्रान्त के गांवों में क्या दशा होगी और जो सजा का प्रोवीजन इसमें है उससे क्या तूफान बरपा होगा। जैसा राणा जी ने कहा कि १९४७ से यह कानून बना हुआ है और केन्द्रीय सरकार ने १९५६ में दाशमिक प्रणाली का ऐक्ट बना कर उसको रिपील कर दिया। तो कानून आप बनाते उसका अमल दरामद न हो, कोई देखरेख न हो तो यह भी एक प्रकार की खामी है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसको सख्ती से लागू करेंगे तो फिर सोच लीजिये कि देहातों में इसके लागू होने से क्या दिक्कतें होंगी। आप व्यापारियों को बांध दें, नाम बाटों के वही रखें जो प्रचलित हैं।

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

दशमलवीकरण उसमें भी जोड़ दीजिये। १०० सेर का मन कर दीजिये, ३२ तोले का सेर कर दीजिये। लेकिन यह क्या तुक है कि आज तक जो सेर, छटांक, मन सभी लोग जानते हैं उसके बदले किलोमीटर, किलोग्राम या जाने कौन-कौन से नाम रख रहे हैं। तो जब विधायक ही नहीं उनके नाम गिना पाते तो देहाती क्या समझेंगे? और फिर इतना सख्त कानून कि घर में अगर पुराना बाट मिल जायगा तो सजा पा जायगा। तौले हुए माल को फिर से तौल कर मिलाया जायगा, अगर कम मिलेगा तो सजा पायगा। यह कौन से न्याय की चीज होगी? देहातों के लिये यह लागू नहीं होना चाहिए, छोटे-छोटे कुजड़ों, खोमचा बेचने वालों पर, १० रुपये की दुकानदारी करने वालों पर लागू नहीं होना चाहिए, यह एक्जम्पशन तो इसमें कहीं भी नहीं है। यह तो वही बेचारे फंसाए जायंगे जो गरीब हैं, और बड़े-बड़े जो व्यापारी हैं उनके पास कोई जाएगा नहीं। उनके पास बड़े-बड़े जाएंगे और चाय बिस्कुट खाकर उनका कुछ नहीं करेंगे, गरीब मारा जाएगा। मैं सदन के सदस्यों से बड़ी नम्रतापूर्वक कहूंगा कि बड़ी नम्रता से विचार करें और कम से कम इसको प्रवर समिति में अवश्य भेज दें। इसमें इस किस्म के सुधार ला दें ताकि जनता पर अभिशाप न बने बल्कि उनकी भलाई के लिये हो सके। जहां तक गलत तौल से माल बेंचने का सवाल है, इसकी रोक-थाम के लिये गवर्नमेंट जो कदम उठाये उसमें हम पूरी मदद करने के लिये तैयार हैं। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा बहुत बड़ा अभिशाप देहातों के लोगों पर, छोटे-छोटे दुकानदारों पर लादा जा रहा है।

जब खाने का ठिकाना नहीं है और उनको मजबूरन नये बाटों को खरीदना पड़ेगा तो किस कदर पैसा बरबाद होगा। अगर इसे लागू करना है तो सरकारी मुहकमों में करें, रेलवे में करें, डाकखाने में करें, लेकिन गरीब लोगों को, छोटे-छोटे बाजार के लोगों को इससे बरी रक्खा जाय वह जैसा करते रहे हैं वही करें। धीरे-धीरे जानकारी होती जाएगी। उसके बाद २-४ साल, १० साल बाद आप से आप यह लागू हो जाएगा। यह एक इतना बड़ा अभिशाप जो जहर का घूंट है और जिसके ऊपर चीनी का मुलम्मा चढ़ा कर पिलाया जा रहा है, इससे प्रदेश बरबादी की तरफ जाएगा। इससे माली हालत तबाह हो जाएगी। हम लोग यहां इसीलिये आये हैं कि उनके भले की बात सोचें। कहा जाता है कि कोई भी सुझाव उधर से नहीं दिया जाता। मुझे तो यह खयाल होता है कि हम दिन को रात किये इस कमरे के अन्दर बैठे हैं, उसका यह नतीजा है। मैं तो कहता हूं कि उस पक्ष से जो कहा जाता है उसको भी सरकार नहीं मानती है। होता यह है कि ऊंचे आफिसर जो कागज दे देते हैं, मंत्रीगण उसे ले लेते हैं और कह देते हैं कि कोई ठोस सुझाव नहीं आया। विरोधी पक्ष के सुझाव तो मैं मानता हूं कि समझ में नहीं आते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि जो ट्रेजरी बेन्चेज से सुझाव दिये जाते हैं उनको भी मंत्रीगण नहीं मानते हैं।

मुझे यही निवेदन करना है कि बाट और माप का जो व्यवहार देहातों और बाजारों में शुरू होने वाला है, जिसके लिये मंत्री जी ने यह सुन्दर विधेयक पेश किया है, इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। आज ११ वर्ष से यह सरकार काम कर रही है। इतने जमाने में जब न तो जमीन फट गई और न आसमान, तो इस बाट माप के विधेयक को तीन रोज के लिये प्रवर समिति के लिये भेज कर इस पर अलग विचार कर लें और कम से कम उन छोटे-छोटे देहातों और देहातियों को इससे एक्जम्प्ट कर दें ताकि वह इस कानून के शिकंजे में फंसकर सिपाहियों के चक्कर में न पड़ें। आज जिस देहाती से कांस्टेबिल नाराज होता है, रिपोर्ट कर देता है कि दरवाजे पर गन्दगी है जब उसको चोरी वगैरह की कोई शिकायत नहीं मिलती है। उधर के बैठने वाले भी इसको खूब जानते होंगे। मंत्री जी भले ही न जानते हैं क्योंकि उनका इलाका पहाड़ी श्रेणी का, सब से ऊंचा है। लेकिन नीचे, खासकर पूर्वी जिलों में इसका बोल-बाला है। अब इतने बड़े अधिकार उन्हें दे दिये गये हैं। हर छोटे बाजार में पुराने बाट मिलेंगे, हर घर में पुराने बाट मिलेंगे। जब किसी की तरफ से पुलिस को नाराजगी होगी वह रिपोर्ट कर देगी, और वे बेचारे हैरान हो जाएंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से फिर कहूंगा कि

इस पर विचार करें और इस संशोधन को मान लें कि प्रवर समिति में इसको भेजा जाय जो तीन दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। इन तीन दिनों में कोई पहाड़ नहीं फटेगा। इसको मान लें यही मेरा कहना है।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जब कभी हम कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिसमें बनी हुई लीक से जरा भी इधर-उधर चलना पड़े तब हमें कुछ अटपटाहट सी महसूस होती है और ऐसा होना स्वाभाविक है। प्रस्तुत विधेयक जो है उसके विषय में मेरा ऐसा विचार है कि इसको लाने की आवश्यकता इसलिये महसूस की गई कि संसार के अन्य सभी सभ्य देशों का एक अनुभव इसके पीछे था। हमारे देश में भी निरंतर कई वर्ष तक विशेषज्ञों ने जो जांच की वही इसका आधार है। हमने अब से कुछ दिन पहले ही अपने यहां सिक्कों की दशमलव प्रणाली को स्वीकार किया और यह भी उसका एक अनिवार्य परिणाम है, यह उसकी एक नेसेसरी कारोलरी है। दशमलव प्रणाली को स्वीकार करने के बाद यदि हम ऐसे बाट और मापों को स्वीकार नहीं करते तो हमारा काम अधूरा रह जाता। हमारे गणितज्ञ आज इस प्रतीक्षा में हैं कि वह इसके स्वीकार होने के बाद नये गुर हिसाब के निकालें जिससे व्यवसाय का काम चल सके।

मुझे माननीय लारी जी और अवस्थी जी के भाषणों को सुनकर थोड़ा ताज्जुब हुआ। जिन लोगों से मुझे आशा थी कि वे इसका स्वागत करेंगे उनसे कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलीं जो उन तमाम सिद्धान्तों के विपरीत हैं जिनकी वह समाज के सामने दोहाई देते हैं। अवस्थी जी को तो तुगलक बार-बार याद आता था जब कि वह इस विषय पर भाषण दे रहे थे। जहां तक इधर का ताल्लुक है हमें कोई शंका और भय नहीं है खैरियत है तुगलक हमसे काफी दूर निकल गये हैं। माननीय अवस्थी जी ने कल कहा था कि इस विधेयक का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसके लिये लाइसेन्स करने वाले अधिकारी बनाये जायंगे। जब वह इस तरह के उदाहरण देते हैं तो वह यह भूल जाते हैं कि इस तरह के सुधारों का असर जन साधारण पर क्या पड़ता है जिनका कि वह प्रतिनिधित्व करते हैं। माननीय अवस्थी जी जिस दल विशेष को बिलान्ग करते हैं उनके मुखारबिन्द से जब मैंने सुना कि लाइसेंस इंसपेक्टर्स बनेंगे और यह बड़ा दोष है तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उनका कहना था कि इससे नये सरकारी कर्मचारी बढ़ेंगे। उनका कहना था कि इसके बड़े भयंकर परिणाम होंगे। मैं नहीं समझता कि समाजवाद की क्या उनकी कल्पना है? कैसे वह सोशल एकनामी लायेंगे और उसको सरकारी कर्मचारियों से किस तरह से अलग रखेंगे? मेरे खयाल से तो किसी भी सोशलिस्ट एकनामी में बहुत काफी भार जनता के सेवकों पर या सरकारी कर्मचारियों पर आयेगा और हमें उन पर विश्वास करना पड़ेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमारे यहां कोई व्यापारी वर्ग कोई अलग वर्ग है जिसके हितों को हमें सामने रखना है या जिससे हमें सर्वदा डरना है, यह ठीक है, वह भी जनता का एक अंग है। मैं कभी भी कल्पना नहीं करता कि व्यापारी वर्ग का कोई भी भाग जो इस बात में विश्वास करता है कि ईमानदारी से जीवन संचालन हो, वह कभी भी उन बातों पर एतराज करेगा जिनकी कि सदन में दुहाई दी गई है। मैं समझ सकता था श्रीमन्, यदि दशमलव प्रणाली का आमूल विरोध किया जाता। मैं समझ सकता था यदि इस पूरे सिद्धान्त का विरोध होता, लेकिन जिन बातों का विरोध हुआ उससे तो मुझे आश्चर्य हुआ।

कहा जाता है कि इंसपेक्टर्स को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वे बाटों को किसी दुकान में, मकान में प्रवेश करके उनकी जांच कर सकते हैं, यह तानाशाही का प्रत्यक्ष प्रतीक है। इससे अधिक वाकयात के खिलाफ, वास्तविकता के विपरीत कौन सी बात हो सकती है मैं नहीं समझ सका। एक तरफ भ्रष्टाचार दूर करने के लिये मांग होती है, एक तरफ इस तरफ के बैठने वालों को इस बात का बार-बार लांछन दिया जाता है कि हम व्यापारी वर्ग के लिये एक साफ्ट कारनर रखते हैं, मुलायम स्थान रखते हैं, दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि यह

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

जो प्रावीजन इसमें है कि हमारे इंस्पेक्टर को यह अधिकार है कि वे उन बाटों की जांच कर सकें यह तानाशाही का प्रतीक है। कुछ ऐसा हो गया है कि तानाशाही हमारे इधर-उधर बहुत छा गयी है और हमारी आंखों और दिमाग पर हौवा सा बनकर हावी रहती है। हम भल जाते हैं कि तानाशाही वास्तव में है क्या और जो जनतंत्र की प्राण-मात्र चीजें हैं उनमें भी कितने ही उसका प्रतिबिम्ब देखने लगते हैं।

यह कहा गया बड़े आश्चर्य के साथ कि कितनी अनाधिकार चेष्टा है कि तुली हुई चीज को फिर तुलाया जा सकता है। मेरे विस्मय की सीमा नहीं रही जब मैंने ऐसा सुना और उन व्यक्तियों से जो सारे सदन को यह चुनौती देने का दावा करते थे कि उन्होंने इस विधेयक को पढ़ा ही नहीं है। श्रीमन्, जिसको अपने ऊपर विश्वास हो उसका पहला कर्त्तव्य है, शिष्टता का भी तकाजा है कि वह दूसरों पर विश्वास करे। यह आशा की जाती है कि यहां के सारे सदस्य अवश्य विधेयक को पढ़ते होंगे, और मैं तो एक कदम और आगे जाना चाहूंगा कि विधेयक को पढ़ना ही काफी नहीं है, समझने का प्रयास भी करना चाहिये और अगर समझें नहीं तो पढ़ना बेकार हो जाता है। यदि वे माननीय सदस्य जिन्होंने ऐसी आपत्ति की इन दोनों बातों का खयाल रखते तो मेरा विश्वास है कि उस तरह की अपत्ति नहीं करते। अगर तुली हुई चीज को दोबारा तोलने का अधिकार न हो तो हम कैसे जांच सकेंगे कि कहीं पर गलती हुई? रोज देखते हैं शुगर मिल्स में। गन्ना तुलता है, तुलने के बाद इंसपेक्टर्स जाते हैं, वह हमारे साथी भी काफी इसमें मदद देते हैं। हम लोगों के प्रयास से, उनके प्रयास से उस गन्ने को तुलवाया जाता है। कम पाया जाता है तो दंड मिलता है। अगर यह अधिकार न हो तो कैसे काम चले?

इस बात की शिकायत की गयी कि इसमें ऐसा प्रावीजन रखा गया है कि साधारण मैजिस्ट्रेट इसका ट्रायल नहीं कर सकेंगे। एक विशेष मैजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास की पावर्स रखेंगे वह केवल इन मुकदमों का ट्रायल कर सकेंगे। श्रीमन्, कुछ ऐसा लगता है कि इधर से अच्छी से अच्छी बात कही जाय, सुन्दर से सुन्दर कल्पना की जाय लेकिन उसको एक विकृत रूप में देखने का प्रयत्न किया जाता है। जो वास्तविक प्रशंसा का विषय था उसी को निन्दा का कारण बनाया गया। इधर से जिन लोगों ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया उनकी सही रूप में यह कल्पना थी कि यह एक नया विधेयक है, इसमें हम लोगों को चोरों और डाकुओं से काम नहीं लेना है, बल्कि उनसे जिनके हाथ में आज समाज की व्यवस्था है, जिनसे समाज को रोज के कार्य में व्यवहार करना पड़ता है। यदि वे इन नियमों का उल्लंघन करें तब उसके जो मुकदमें है उनके लिये एक विशेष प्रकार के मैजिस्ट्रेट जिनको कम से कम दर्जा अव्वल का, प्रथम श्रेणी का अधिकार हो वह उन मुकदमों को चलायें, यह कितना सुन्दर और उचित प्रावीजन है, लेकिन इस पर भी आपत्ति, केवल इसलिये कि जब सरकार की तरफ से एक बात आती है तब विरोध तो होना ही चाहिये और उसमें युक्ति न हो, तर्क न हो यह बात उस समय भुला दी जाती है। श्रीमन्, मेरा विचार है कि यह प्रावीजन भी बहुत महत्व का प्रावीजन है और मेरा इससे आगे यह विचार है कि जो तीन महीने की सजा की बात इसमें रखी गयी है, जिसको समाजवादियों की ओर से तानाशाही कहा गया, व्यापारियों की ओर से कहा गया, वह कम है, उसे और अधिक होना चाहिये। जो ईमानदार व्यापारी हैं उनको इससे क्यों डर हो। .....

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---जो कम तौलता है उसके लिये?

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---उसके साथ इससे भी कड़ा बरताव करना चाहिये।

श्री भगवतीसिंह विशारद---इसमें कहां है?

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---मित्रवर, पूछते हैं कि इसमें कहां है। वे तो हर नुस्खे में अमलतास ढूंढते हैं। वे चाहते हैं कि जो विधेयक आये उसमें सारी दंड-विधि का समावेश

हो। जिस प्रयोजन के लिये जो विधेयक आता है उसमें केवल उसी का ध्यान हो सकता है। यह हमारा और आपका कर्त्तव्य है कि हम जहां भी समाज के अंगों में कमी देखें उसकी ओर ध्यान दिलायें और कानून पास करें।

श्रीमन्, एक बात बहुत ही संक्षेप में कहना चाहूंगा कि इस बात पर बहुत जोर दिया गया कि बाट जो बनेंगे---हमारे एक मित्र ने कहा कि आगरा में तो बहुत बड़ी तादाद में बाट बन चुके। ठीक है, यदि उन्होंने जानबूझ कर कोई गलती की तो या तो उसका कोई कारण होगा, मैं यह नहीं समझता कि वहां के वातावरण का कोई असर होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि यह भी एक प्राविजन होना चाहिये कि केवल वही आदमी जिन के पास लायसेंस हो बाट बना सकें। यदि हर एक आदमी को बाट बनाने का अधिकार होगा तो उसका दुरुपयोग होगा, यह अवश्यम्भावी है।

इतना कहने के बाद मैं कुछ और कहना चाहता हूं और वह विशेषतया मंत्री जी के ध्यान के लिये। जैसा मैंने निवेदन किया, मैं हृदय से इस बिल का स्वागत करता हूं। यह प्रगति की ओर एक कदम है, समय का आह्वान था कि हम ऐसा बिल पास करें। इसमें कठिनाइयां होंगी। माननीय अवस्थी जी को इसमें तूफान की बात दिखलायी पड़ी। ठीक है, हर प्रगति की बात में तूफान होता है। लेकिन तूफान का मुकाबला करना चाहिये, हवा में बह जाना ठीक नहीं है, हवा को रोकना बहादुरी की चीज है। लेकिन यह सब धारण रखते हुये भी मैं बड़े आदर के साथ निवेदन करूंगा कि इसको इतना छोटा न समझा जाय जितना दिखायी देता है। यह बिल निर्दोष है। इसलिये भी ठीक है कि जितना कुछ हो चुका है हमारे देश में केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार द्वारा उसके फलस्वरूप इस सबको होना ही था। इन सब दिशाओं में यह ठीक है, लेकिन चूंकि जन साधारण के जीवन से इसका सीधा वास्ता होगा इसलिये इसका जब संचालन हो उस समय इस बात का ध्यान रखा जाय। अभी हमारे एक मित्र ने इस ओर ध्यान दिलाया था कि कुछ व्यक्ति हमारे समाज में ऐसे होंगे जो कदाचित एकदम इस को ग्रहण न कर पायें और ऐसा कोई प्राविजन इसमें नहीं है कि ऐसे क्षेत्र में वह देर में लागू हो या न लागू हो तो मैंने फौरन इसको देखने का यत्न किया और पाया कि इसमें ऐसा प्राविजन तो है, सरकार को यह अधिकार है कि वह किन्हीं वर्गों में और किसी समय पर इसके किसी अंग को प्रचलित कर सकती है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जिन जगहों में शिक्षा की कमी है उनका इस संबंध में ध्यान रखें। जैसे आज कवाल टाउन्स से राशनिंग की शुरुआत हो रही है, उसके बाद बड़े शहर आ रहे हैं, फिर छोटे शहर आ रहे हैं। इसी तरह से जब इस कानून का इम्पलीमेन्टेशन हो तो जहां पर हम अधिक लोगों को इसके लाभ और दूसरी बातें बता सकते हों वहीं से शुरुआत होनी चाहिये और फिर धीरे धीरे प्रकाश अन्दर की ओर जाय। दूसरी मैं उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि प्रारम्भिक काल में सद्भावना के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाय। मेरा मतलब यह है कि सारे अपराध दंडनीय होते हैं लेकिन इसमें शुरू में ऐसे तरीके हों, ऐसी हिदायतें हों जिन पर विशेष ध्यान दिया जाय। यदि एक व्यक्ति ने जान-बूझ कर नफा उठाने के लिये किसी बात की अवज्ञा की है तो उसको अधिक से अधिक दंड मिलना चाहिये। लेकिन सद्भावना से, ज्ञान की कमी से वह किसी बात का उल्लंघन करता है तो हमारे नियमों में ऐसी गुंजायश हो, इसके इम्पलीमेन्टेशन में ऐसी गुंजायश हो कि हम उसको अधिक से अधिक प्रारम्भिक काल में सहयोग दें।

श्रीमन्, एक बात मैं कहना भूल गया था। कल बार-बार एक बात का जिक्र किया जा रहा था कि क्या इस सदन में मंत्री से लेकर साधारण आदमी तक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो सारे मापों का नाम भी उच्चारण कर दें। ऐसी चुनौती श्रीमन्, इस सभ्य युग में शोभा नहीं देती। कदाचित् यदि यह पूछा जाय कि अ, आ, इ, ई तथा जितने व्यंजन हैं उनका सही उच्चारण, जिसे तीसरे, चौथे दर्जे के बालक अच्छी तरह से जानते हैं, मंत्री से लेकर सदस्य तक वर्णन कर सकते हैं तो हम इस बात को मानते हैं कि प्रश्नकर्त्ता स्वयं तथा बहुत से सज्जन इसमें हो फेल हो जायं। लेकिन यह बात दूसरी है। क्या प्रश्नकर्त्ता ने अपने से यह भी पूछा कि किस आवश्यकता की

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

पूर्ति के लिये यह बिल इस देश में लाया जा रहा है ? हमारे देश में अनेक प्रकार के मेजर्स हैं। किसी का रतल नाम है, किसी का सेर नाम है यानी कहने का मतलब यह है कि भिन्न-भिन्न शहरों में भिन्न-भिन्न इनके नाम हैं। क्या सदन में ऐसा कोई व्यक्ति है जो इन सारे प्रचलित भिन्न मापों का नाम जानता हो जिसको दूर करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। इसको दूर करने के लिये हमें एक कीमत देनी पड़ेगी। हो सकता है कि किसी प्रदेश में मन, सेर, छटांक हों तो भी उसको विभिन्न माप स्वीकार करना पड़े। यदि मुझसे पूछा जाय तो मेरी सम्मति तो यह होती कि इनका नामीकरण देशी नामों से होता। कई महीने पहले मैं देहली गया था और केन्द्रीय मंत्रालय में इसी के ऊपर वार्तालाप हो रहा था और इनके नामीकरण का मामला सामने था तो उस समय उनकी भावना थी कि इनके देशी नाम हों। हर भारतीय के हृदय में ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन वह मजबूर थे क्योंकि तमाम प्रदेशों में विभिन्न नाम प्रचलित हैं। कोई ऐसे नाम नहीं मिल सके जो सब प्रदेशों में प्रचलित हों। निश्चय यह करना था कि सारे प्रदेशों में एक ही नामकरण हो तो यह स्वाभाविक था कि कुछ ऐसे नाम स्वीकार किये जायं जो कुछ प्रान्तों में प्रचलित हों और कुछ में न हों।

श्रीमन्, मैं भी हिन्दी का एक अकिंचन सेवक रहा हूं, परन्तु हमारा विचार है कि हमें अपनी भाषा के दरवाजे को और चौड़ा करना चाहिये और इसमें हमें अन्य भाषाओं के शब्दों का समावेश करना चाहिये जो विज्ञान में प्रचलित हों, उनको स्वीकार करना चाहिये। जब हमें नये शब्द लेने हैं तो ऐसे शब्द लें जो संसार के दूसरे देशों में प्रचलित हों। साइंस के जितने फार्मूले हैं उनको हमें अध्ययन करना होगा। इसलिये हमें इनका अपनी भाषा में समावेश करना चाहिये। मुझे स्वयं यह कड़ुवी घूंट मालूम होती है कि हम ऐसे नामकरण स्वीकार करें जिसमें अंग्रेजियत की छाप लगी हो। और यह मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है कि इससे हमारे मित्रों का जो सरकार को कोसने के उपाय ढूंढते रहते हैं उन्हें सरकार को कोसने का एक अच्छा शस्त्र भी मिलेगा। लेकिन अगर वे अपने उस भाव को छोड़ कर इस बात को सामने रखें कि हमें अपने देश का एकीकरण करने के लिये, विभिन्नता दूर करने के लिये कुछ ऐसी शब्दावली स्वीकार करनी है जिससे विभिन्नता मिट सके तो मैं समझता हूं कि वह स्वयं भी उस कड़ुए घूंट को हलक से उतार सकेंगे और जनता को भी हजम करने में मदद देंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री जी कुछ सुझाव जो मैंने देने का प्रयत्न किया है उनकी ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

*श्री भगवती सह विशारद--अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक माननीय खाद्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसके संबंध में जो उद्देश्य और कारण और इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये उनको मैंने बहुत ध्यान से सुना लेकिन जो कुछ उन्होंने बताया उससे इस विधेयक का जो उद्देश्य है वह पूरा नहीं होता।

मान्यवर, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न प्रान्तों में और एक प्रदेश के अन्दर भिन्न-भिन्न स्थानों में कई तरह की प्रणालियां प्रचलित हैं। हर व्यवसाय में और उसके अन्दर हर एक जिन्स की भी अलग-अलग माप और तौल है। उसी के एकीकरण के लिये पार्लियामेन्ट ने भी एक अधिनियम बनाया। और जब १९४७ में हमारे यहां एक इस तरह का अधिनियम प्रचलित हो गया तो मैं नहीं समझता कि फिर से इस तरह का कोई विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया जाना चाहिये। लेकिन मैं खाद्य मंत्री जी और उनकी सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आम जनता की ओर से, और इस ओर बैठने वालों की ओर से जो आरोप समय-समय पर लगाये जाते थे, यह बिल उसके प्रमाण स्वरूप है। माननीय मंत्री जी ने और सरकार ने तस्कर व्यापारियों से, कम तोलने वालों से और अडल्टरेशन करने वालों से, नक्कालों से अपने सुमधुर संबंध रिन्यू किये हैं। उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। मान्यवर, हम सब को यही शिकायत है कि व्यापारी कम तौलता है। हम सबको यही शिकायत है कि नकली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाट जगह-जगह पर प्रचलित हैं। इस रोग को दूर करने के लिये इस विधेयक में कोई एसी औषधि नहीं रखी गयी है जिससे उनको रोक सकें या सही दंड दे सकें। इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि अगर कोई व्यापारी कम तौलेगा तो हम उसको तीन सौ रुपये की जुरमाने की सजा देंगे। अगर कोई नक्काल नकली ढंग के बाट बनाकर बेंचेगा तो पांच सौ रुपये तक जुर्माना करेंगे, लेकिन इसी विधेयक में यह बात भी रखी गयी है कि अगर कोई व्यापारी जो इस माप तौल के ढंग को नहीं अपनाता है तो उसको पांच सौ रुपये तक का जुर्माना और तीन महीने की सजा देंगे। तो प्रथा न अपनाने पर पांच सौ रुपये तक जुर्माना और तीन महीने की सजा होगी, लेकिन कम तौलने पर, नकली बाट रखने पर केवल तीन सौ या पांच सौ का जुर्माना होगा। यह मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन यह इसीलिये है कि तस्कर व्यापारियों, कम तौलने वालों से, नक्कालों से इस सरकार का जो संबंध है उसी के कारण इस तरह का विधेयक लाया गया। और वह इसलिये लाया गया कि अभी तक भारतीय दंड संहिता में, इंडियन पेनल कोड में, इस बात की व्यवस्था है कि अगर कोई नक्काल है, नकली बाट रखता है तो उसको सजा दी जायगी। अगर कोई कम तौलता है तो भी सजा दी जायगी। उसको मिनिमाइज करने के लिये यह विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया है जिससे जो तस्कर व्यापारी हैं, जो नक्काल हैं वह सजा न पायें और जेलखाने के भीतर न जायें केवल उनको अर्थदंड दिया जाय। इस सदन के अन्दर कई बार इस बात के प्रश्न उठाये गये कि गन्ना मिलों के अन्दर जो कांटे हैं उन पर कम तौला जाता है। अगर किसी गन्ना मिल को कम तौलने में पकड़ा जाय तो उससे ज्यादा से ज्यादा पांच सौ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, लेकिन अगर कोई साधारण दुकानदार इस प्रणाली को नहीं अपनाता है या स्टैंडर्ड मानक नहीं रखता है तो उसको तीन महीने की सजा और पांच सौ रुपये तक जुर्माना हो सकता है। तो यह जो विधेयक प्रस्तुत है इसमें इस तरह की भयंकर त्रुटियां हैं और उसमें जो चोर व्यापारी हैं उनके साथ एक विशेष तरह की रियायत रखी गयी है यह मैं कहने के लिये विवश हूं।

मान्यवर, एक व्यवस्था इसमें रखी गयी है कि अगर कोई कम्पनी कम तौलती हुई पकड़ी जाय तो उसमें उस समय जो कर्मचारी कम तौलता हुआ पकड़ा जायगा या किसी जगह पर स्टैंडर्ड मानक के स्थान पर दूसरे बांट होंगे तो उनको इस्तेमाल करता हुआ जो कर्मचारी पकड़ा जायगा उसको सजा दी जायगी। मैं आपके द्वारा मान्यवर, मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एक तो उसको नौकरी मिलेगी नहीं अगर मिलती है तो काफी परिश्रम करने के बाद मिली तो क्या सबसे पहला काम वह यह करे कि उस कम्पनी के बाटों को तौलावें। तो खंड ३८ और ३९ के अन्दर जो यह बात रखी गयी है कि उस कम्पनी का जो अवधायक होगा उस पर जुर्माने और सजा दोनों की बात रखी जायगी, तो मैं समझता हूं कि यह कर्मचारिवर्ग के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है। इस प्रकार की बात का तो खास तौर से इस बिल में कहीं भी स्थान नहीं होना चाहिये। अगर कोई कर्मचारी इस तरह का काम करता है तो वह अपने मालिक की स्वीकृति से ही कर सकता है क्योंकि उस कर्मचारी को तो उसके इस कृत्य से कोई लाभ होगा नहीं। अगर वह कम तौलता है तो उससे जो लाभ होगा वह तो उस कम्पनी को या दूकानदार को मिलता है। तो बिना कम्पनी की या दूकानदार की स्वीकृति के कोई कर्मचारी इस तरह का काम नहीं कर सकता। इसलिये अगर कोई दंड मिलना चाहिये तो उस दुकानदार को और उस कम्पनी को मिलना चाहिये। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपाकर खंड ३८ और ३९ को देखें और उसका जो कुप्रभाव कर्मचारियों पर पड़ने वाला है वह निकालने की कृपा करें।

मान्यवर, इस विधेयक में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस प्राप्त किये हुये इन बाटों को बेच नहीं सकता। मान्यवर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गज, फीट और दूसरी तरह की जो बेचने की चीजें हैं वे तो सभी जगहों पर बिकती हैं, स्टेशनरी की दूकानों पर बिकती हैं। लेकिन इस बात की क्या आवश्यकता आ पड़ी कि जो निश्चित किये हुये बाट हैं उनको जब तक कोई लाइसेंस न

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

प्राप्त कर ले तब तक वह बेच नहीं सकता । आज फ्री ट्रेड का जमाना है । हर व्यक्ति को इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिये कि वह अपना व्यवसाय कर सके । उसके ऊपर किसी तरह का प्रतिबन्ध लगाना कि जब तक सरकार से किसी तरह की स्वीकृति न प्राप्त कर ली जाय या कोई लाइसेंस न बनवा लिया जाय तब तक कोई व्यक्ति इन मानक बाटों और मापों को नहीं बेच सकता है, मैं समझता हूं कि यह गलत बात है और इसको इस विधेयक के अन्दर नहीं होना चाहिये ।

मान्यवर, इसी तरह इसके खंड १३ में यह प्रस्ताव किया गया है कि कोई चीज जो पैकेट के अन्दर है जब तक उस पैकेट के बाहर कितनी चीज उसके अन्दर है उसकी कितनी कीमत है यह न अंकित कर दी जाय, तब तक कोई व्यक्ति उसको बेच नहीं सकता और अगर बेचेगा तो उसको दंड दिया जायगा । मान्यवर, इस सम्बन्ध में इसकी शब्दावली पर विचार किया जाय कि उसमें कितनी शब्दों की कमी है । उसमें कितनी कठिनाई है वह मैं आपको पढ़कर सुना देना चाहता हूं । इसमें यह है कि—"प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के उपबन्ध उस वस्तु की बिक्री या उसके बिक्री के लिये प्रस्तुत अथवा प्रदर्शित किये जाने या बिक्री के लिये कब्जे में रखे जाने पर लागू न होंगे जो साधारणतया व्यापार या वाणिज्य के व्यवहारों में भार या माप के अनुसार न बेची जाती हो ।" मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि व्यापार में कुछ चीजों को छोड़कर जिनका वजन नहीं हो सकता है वे सब भार के हिसाब से या माप के हिसाब से बेची जाती हैं । तो कोई व्यक्ति इन चीजों को अपने कब्जे में नहीं रखेगा, इसका तात्पर्य क्या है ? जहां तक उनकी मन्शा हो सकती है वह यह हो सकती है कि वह पैकेट के अन्दर नहीं रख सकता । किन्तु कहीं भी इस प्रतिबन्ध के अन्दर इस बात का संकेत नहीं है ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं यह अनुरोध करूंगा कि माननीय गौरी शंकर जी राय ने जो यह प्रस्ताव सेलेक्ट कमेटी में जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है उसको वह स्वीकार करने की कृपा करें और इसको स्वीकार करते हुये जो इस बिल में खामी है, उसको दूर करने के लिये फिर से सोचें और इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें । जो इसमें ज्यादती की बातें हैं उनको अलग किया जाय । जब इस पर फिर नये सिरे से विचार होगा तो उसको सब लोग स्वीकार करेंगे क्योंकि हमको तस्कर व्यापारियों के हित की बातों को न सोचकर व्यापार के हित की बातों को सोचना चाहिये । मैं बड़े संकोच के साथ यह बात कहता हूं कि माननीय मंत्री जी व्यापारियों के मित्र हो सकते हैं, लेकिन व्यापार के सम्बन्ध में उनकी सही जानकारी नहीं है और वह इसलिये कि अगर उनकी सही जानकारी होती तो कभी भी इस तरह से विधेयक को वह सदन में प्रस्तुत न करते । आज जीरे की क्या दर है और किस तरह से उसकी तौल होती है और किराने में दूसरी चीजों की तौल किस तरह से होती है उनको पता नहीं है । यहीं नहीं बाहर से भी जो दूसरी चीजें यहां पर आती हैं उनकी तौल भी विचित्र ढंग की होती है । जो आप यह प्रतिबन्ध लगाने जा रहे हैं उससे व्यवसाय के ऊपर धक्का लगेगा । इसमें व्यापारियों का प्रश्न नहीं है । अगर आप व्यापार को सरसब्ज रखना चाहते हैं तो उससे व्यापारी भी सरसब्ज रहेंगे और फिर देश भी सरसब्ज होगा । इस बात को हमें सामने रखना जरूरी है । तभी हमारा देश भी समृद्धिशाली होगा । इसलिय मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक के अन्दर जो फोर्स की धारायें है कि अगर कोई माप या बाट को स्वीकार नहीं करता हैं तो उसको ३ महीने की सजा और ५०० रुपये तक दंड दिया जा सकता है, इसको नहीं रखना चाहिये । यदि ऐसा इसमें रहेगा तो व्यापार को काफी क्षति पहुंचेगी क्योंकि जिस तरह से हमारा व्यवसाय चल रहा है उसको वैसे ही चलाने की चेष्टा करेंगे । यह खरीदने वाले की रुचि पर है कि जो चीज वह खरीदता है वह उसी भाव के हिसाब से ले । जिस भाव को वह पूछना चाहता है उसी भाव से वह ले और उसी भाव को वह समझ ले । लेकिन अभी तक जो परम्परा चली आ रही है

और जिस तरह से यह नाप तौल चल रहा है उसमें यकायक परिवर्तन करना चाहते हैं तो मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जो यह दाशमिक प्रणाली चला रहे हैं इसमें अधिक गड़बड़ हो सकती है। हम लोग सब जानते हैं कि जो लोगों की नीयत है उसमें एक पैसे के लिये नीयत खराब हो सकती है। अर्थशास्त्र में यह कहा गया है कि "बैड मनी ड्राइव्ज़ गुड मनी आउट आफ सर्कुलेशन" अर्थात् बुरा पैसा अच्छे पैसे को चलने से निकाल देता है। आज जो नये सिक्के की प्रणाली चालू है उसमें एक आने के स्थान पर ६ पैसा दिया जाता है और जहां दो आने का सवाल उठता है वहां पर १२ पैसा दिया जाता है। उसी प्रकार इस प्रणाली से भी व्यापार में धक्का पहुंचेगा। इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में जल्दबाजी न की जाय। जब केन्द्रीय कानून इसके सम्बन्ध में लागू है तो फिर कोई आवश्यकता इस बात की नहीं मालूम होती कि यहां पर भी एक बिल लाकर उसको लागू किया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, मैं पुनः अनरोध करूंगा कि इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, वहां पर इस पर हम विचार करें, वह भी समझें और हमको भी समझायें और फिर हम किसी निश्चित राय पर पहुंचें।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अधिष्ठाता जी, इस समय सदन के सामने जो बिल उपस्थित है उस पर माननीय मोतीलाल जी ने प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मन्त्री जी ने विधेयक को पेश करते समय जो बातें कहीं उनपर मैंने बहुत विचार किया और माननीय अग्रवाल जी ने इसके समर्थन में आज जो तर्क पेश किये उनको भी मैंने बड़े ध्यान से सुना। जहां तक जनता में इस विधेयक की मांग का प्रश्न है और जनता की आवश्यकता की बात है मैं उसे स्वीकार करता हूं। हम इस विधेयक के विरोधी नहीं हैं बल्कि हम यह चाहते हैं कि वह प्रवर समिति मे जा करके इसमें हमारा और ट्रेजरी बेन्चेज का जो विरोध है वह वहां पर दूर कर दिया जाय और तब यह विधेयक आवे और ऐसे परिवर्तनों के साथ आवे जोकि जनता को ग्राह्य हों। इस समय इस विधेयक में जो बातें सम्मिलित हैं उनमें कुछ ऐसी हैं जोकि जनता को ग्राह्य नहीं होंगी और उनसे हमारे व्यापार के प्रचलन में बाधायें पड़ेंगी। इसलिये अवस्थी जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करते हुये मैं आपके द्वारा मन्त्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

यह बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे प्रान्त में और हर जिले के भिन्न-भिन्न भागों में भी भिन्न-भिन्न प्रकार के माप और बाट चल रहे हैं और इस बात की जरूरत है कि प्रान्त भर में एक ही प्रकार के बाट हों और एक ही प्रकार की नाप हो, इससे हमको कोई भी मतभेद नहीं है, लेकिन जो प्रथा इस समय चल रही है उसमें इन सब भिन्नताओं को दूर करके एक स्टैंडर्ड वेट, एक स्टैन्डर्ड प्रणाली अपना करके फिर मानक प्रणाली चलाई गई होती तो मैं उसको ज्यादा अच्छा समझता। अभी जबकि प्रान्त में भिन्न-भिन्न प्रकार की तौलें चल रही हैं और उनमें एक तौल ऐसी है जो सरकारी तौल कही जाती है जिसमें ८० तोले का सेर., ४० सेर का मन शुमार किया जाता है इसलिये यदि पहले तौलों की और सब भिन्नतायें हटाकर केवल इसी एक तौल को प्रान्त भर में चालू कर लिया गया होता और उसके पश्चात् उसमें सुधार किये गये होते . . . . .

(इस समय २ बजकर ६ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

तो हमारा मार्ग अधिक सुगम हो जाता। आज पहले से ही किसी ऐसी प्रणाली को प्रचलित करने का प्रस्ताव रखना कि जिसके बारें में जनता के किसी अंग को विशेषतः व्यापारी वर्ग को कोई भी अनुभव नहीं है, इसके परिणाम हमारे लिये हानिकारक हो सकते हैं।

मैं इस बारे में अपना सुझाव यह रखना चाहता था कि हम प्रवर समिति में इस बात पर विचार करते कि आया हमको पहले से ही एक बिलकुल नई प्रथा का चलन कर देना है अथवा जितनी भी विभिन्न तौलें और नापें हमारे प्रान्त में प्रचलित हैं उन सबमें सर्वमान्य

[श्री देवनारायण भारतीय]

तौल और नाप को पहले सारे प्रान्त में प्रचलित करें। हमारे प्रान्त में कहीं ८० तोले का, कहीं १०० रुपये भर का, कहीं ११० रुपये भर का और कहीं १२० रुपये भर का भी सेर होता है। इसी प्रकार कहीं ३६ इंच का गज है, कहीं ४० इंच का है। जरूरत थी कि हम ३६ इंच का गज और ८० तोले का सेर पहले करते। ऐसा परिवर्तन पहले करके हमको आगे चलकर दाशमिक ढंग को अपनाने में सुभीता होता।

श्रीमन्, मैंने विधेयक के खंडों को पढ़ा। खंड १४ के भाग (३) को देखने से पता चलता है कि इस विधेयक के मातहत प्रान्त में और हर जिले में कुछ नियंत्रक, उप-नियंत्रक, सहायक नियंत्रक और निरीक्षक होंगे। ये वे लोग होंगे जो एक प्रकार से अधिकारी कहला-वेंगे। उनके ठीक प्रकार से कार्य संचालन के लिये हमें कर्मचारी भी रखने होंगे और चपरासी भी होंगे जो सब दफ्तरों में काम करेंगे। इस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों का एक नया दल भी इस प्रान्त में इस विधेयक के जरिये बढ़ने जा रहा है। वैसे तो सरकारी कर्मचारियों को चाहे वह किसी भी विभाग का हो सन्देह से ऊपर होना चाहिये कि उस पर कोई किसी प्रकार का आक्षेप कर ही न सके, और ऐसी भावना सरकार को अपने कर्मचारियों में उन पर लगाये हुये प्रतिबन्धों द्वारा पैदा करनी चाहिये, मगर आज जनता के हृदय में सरकारी कर्मचारियों के बारे में ऐसी भावना प्रायः लुप्त हो गई है। प्रत्येक सरकारी कर्म-चारी के बारे में, चाहे वह मार्केटिंग विभाग का हो, चाहे सेल्स टैक्स या सप्लाई का हो, जनता आज यह समझती है कि अपने वेतन से कहीं अधिक वह कर्मचारी अनुचित उपायों के द्वारा, भ्रष्टाचार के द्वारा, आमदनी करता है। जब हमारी जनता में सरकारी कर्मचारियों के प्रति ऐसी भावना फैली हुई है तो कर्मचारियों की एक और सेना बढ़ाना जनता की कानूनी लूट करने वालों की संख्या में वृद्धि करने के बराबर मैं मानता हूं। मैं समझता हूं कि पहले जो सरकारी कर्मचारी हैं उनमें सरकार अपने पूर्णतया अधीन लोगों में पहले यह भ्रष्टा-चार दूर कर लेती, तब और सेना बढ़ाने की सोचती तो अच्छा होता। मुझे इसमें कोई आपत्ति न होती। परन्तु वर्तमान स्थिति में जहां भ्रष्टाचार का साम्राज्य हो, कर्मचारियों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं हो, जहां सरकारी कर्मचारी ही सरकार के द्वारा बनाई हुई योजनाओं को भ्रष्टाचार करके असफल कर देते हों, वहां पर मैं नहीं समझता कि सरकार कैसे इन कर्मचारियों द्वारा इस विधेयक के उद्देश्य को सफल बनाने की आशा रखती है।

अभी हाल में थोड़े दिन पहले सरकार ने स्टेट ट्रेडिंग का फैसला किया और उसके मातहत जिले-जिले में चावल की खरीदारी के लिये नियुक्तियां कीं। मेरी अपनी सूचना है और उसे मैं मंत्री जी की सेवा में श्रीमन् के जरिये रखना चाहता हूं कि मार्केटिंग विभाग में ऐसे कर्मचारी मौजूद हैं, मैं उनका नाम, पद और जिला बता सकता हूं, जिन्होंने हजारों रुपया रिश्वतें लेकर चावल की जगह धान बोरियों में भरवा कर सरकारी गोदामों में रखा है और जब वह धान बिकेगा चावल के भाव में और जनता उसे खरीदेगी तो वह प्रान्तीय सरकार को और ऐसी स्टेट ट्रेडिंग को क्या कहेगी? वह कर्मचारी तो अपना काम पूरा करके न जाने कहां के कहां होंगे। इसी प्रकार इस विभाग में भी सरकारी कर्मचारियों को अनेकों प्रकार के अधिकार दिये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनका दुरुपयोग होगा और इस विधेयक की, जिसके लिये मंत्री जी की बड़ी सद्भावना है, धूल उड़ जायगी। इसलिये मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति में जाने दें जहां यह विचार हो सके कि इसकी गतिविधि क्या हो और कितने समय में पूरे तरीके पर ये बातें लागू की जावें। मैंने इसके खंड २२ को पढ़ा जिसमें है कि ३ मास के अन्दर यह विधेयक, कानून बनने के बाद, पूरे प्रान्त भर में लागू कर दिया जायगा। मैं इस ३ मास की अवधि को पढ़कर बड़ा स्तम्भित हुआ और मैं चाहता हूं कि यह अवधि बढ़ाकर ३ वर्ष कर दी जाय।

(कोरम न होने पर घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि इस ३ मास की अवधि को बढ़ाकर ३ वर्ष कर दिया जाय तो अनुचित नहीं होगा। इस पर विचार-विमर्श करने के लिये इससे प्रवर समिति में जाने दें। मैं ३ वर्ष की अवधि इसलिये भी चाहता हूं कि जैसा मुझसे पहले बोलते हुये विशारद जी ने बतलाया, हम यह चाहते हैं कि इस विधेयक का सबसे पहले अमल नगरों में हो, उसके बाद कस्बों में हो और उसके बाद दूर देहातों में हो, बजाय इसके कि सब जगह एक साथ ही उसको लागू किया जाय। मैं इसलिये भी इसके लिये ३ वर्ष की अवधि ठीक समझता हूं कि एक वर्ष में शहरों में और दो वर्ष में कस्बों में और तीसरे वर्ष में देहातों में उसको लागू कर दिया जायगा। मैं समझता हूं कि यह जो आपने ३ मास का समय रखा है इसमें तो शहर के व्यापारी भी उसको समझ नहीं पायेंगे। इससे बड़ा भारी खतरा हो जायगा। देहात का तो मेरा अनुभव यह है, क्योंकि मैं नगर से दूर ४० मील देहात का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं, कि वहां पर अभी भी पत्थर के बाटों का प्रयोग होता है जब कि इतने पुराने समय से लोहे के बाट प्रचलित रहे हैं। जो पिछले समय में भी लोहे के बाटों का प्रयोग न कर सके उनके लिये भी इसको लागू कर देना बड़ा मुश्किल होगा और एक असंभव सी बात मालूम होती है।

दंड के सम्बन्ध में जो खंड २८ और २९ विधेयक में रखे गये हैं, मैं उनका भी विरोध करता हूं। बाटों के बारे में तो सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिये कि जिन लोगों के पास पुराने बाट हैं वे उनको लेकर सरकारी कार्यालय में जायं और उतने ही वजन के नये बाट उनको दे दिये जायं और अधिक से अधिक मुद्रांकन का मूल्य उनसे ले लिया जाय तो कोई अनुचित न होगा। मैं समझता हूं कि सम्पूर्ण प्रान्त में करोड़ों रुपये के ऐसे पुराने चलन के बाट प्रचलित हैं जिन से जनता अब तक अपना काम चलाती रही है। उन बाटों का क्या होगा, इस बात का इस विधेयक में कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। इसका इसमें अवश्य ही समावेश होना चाहिये। इसके लिये मंत्री जी को मेरा यह सुझाव है कि वे इसमें ऐसा प्रतिबन्ध लगायें कि जिन लोगों के पास पिछले बाट हैं या नाप-तोल के गज वगैरह हैं वे उनको लेकर सरकारी कार्यालय में जमा कर दें और उनके बदले में नये नाप-तोल के साधन सरकार की ओर से उनको मुहइया कर दिये जायं और उन पर थोड़ा बहुत कमीशन के तौर पर बोझा डाल दिया जाय। इससे उनको पिछले बाटों के जमा करने का भी सुभीता हो जायगा और उसके बदले में जनता को नये बाटों के लेने में परेशानी नहीं होगी। इस विधेयक में इस बात की कमी मैं महसूस करता हूं।

इसके अलावा दंड के लिये आपने ३००, ५०० रुपया जुर्माना तथा ३ महीने, ६ महीने और १ वर्ष की सजा का विधान रखा है, मैं इस दंड की व्यवस्था को बहुत अनुचित समझता हूं। जहां तक तस्कर व्यापार रोकने का प्रश्न है यदि आई०पी०सी० के मातहत उस दंड को आप अपर्याप्त समझते हैं तो आप उसके लिये विधेयकों में प्राविजन कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी के पास कोई छोटा-सा बाट कम पाया गया या बाटों के बदलने में किसी ने असावधानी बरती या किसी के पास नये बाट नहीं पाये गये और आपने यदि उसके लिये इतना दंड दे दिया तो जनता को यह असह्य होगा।

श्रीमन्, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जहां तक तस्कर व्यापार को रोकने का प्रश्न है उसके लिये हम भले ही कुछ सजा इंडियन पेनल कोड की अपेक्षा बढ़ा लें, लेकिन जैसा कि अभी मुझ से पहले माननीय विशारद जी ने कहा कि सरकार तो तस्कर व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिये ही इस कानून को बना रही है। सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि तस्कर व्यापार को रोकने के लिये ही यह कानून बनाया जा रहा है, मैं भी चाहता हूं कि तस्कर व्यापार रुके और मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि तस्कर व्यापार को रोकने के लिये और भी सख्त कानून बनाया जाय। लेकिन जहां तक इस बाट व माप का प्रश्न है उसके लिये जो दंड का विधान रखा गया है उसको मैं बहुत सख्त समझता हूं। उसके लिये जो ६ महीने, ३ महीने और १२ महीने की सजा की अवधि रखी गयी है, उसके बदले में उतने ही दिन की अवधि सजा के लिये रख दी जाय, यह मैं सुझाव देता हूं। इसके अलावा जो ५०० रुपये और ३०० रुपये जुर्माने की सजा रखी

[श्री देवनारायण भारतीय]

गयी है, उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देता हूं कि उसे ५ रुपये और ३ रुपये के रूप में ही रखा जाय, ताकि जनता को वह सह्य हो सके और उसको बर्दाश्त कर सके। यदि आप इस विधेयक के द्वारा जनता को दबा कर कुचलना चाहते हैं, यदि आप उसकी कमाई को इस दंड विधान के द्वारा छीन लेना चाहते हैं तो मैं इस विधेयक का समर्थक नहीं हूं। इन सुझावों के साथ माननीय मोतीलाल अवस्थी जी ने जो यह प्रस्ताव रखा है कि इस विधेयक को एक मास के लिये प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय जिसे उसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो, मैं उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे सुझावों पर जरूर विचार करेंगे।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं अवस्थी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरे देखने में और इस बिल के पढ़ने में जो खामियां नजर आयीं उस सिलसिले में मैं भी चाहूंगा कि सरकार को जल्दी में काम नहीं करना चाहिये। एक तो इसकी अवधि बहुत कम है। यह सही है कि स्वराज्य होने के बाद किसी भी स्वतंत्र मुल्क के लिये एक भाषा हो, एक प्रकार का बाट और माप हो, यह बहुत आवश्यक है। किन्तु जहां तक अपने प्रदेश की हालत है यहां अब भी सैंकड़ों किस्म के बाट प्रचलन में हैं और यह भी सही है जैसा कि भारतीय जी ने कहा कि मेरा दावा है कि ५० प्रतिशत से अधिक लोग मिट्टी, ईंट या पत्थर और अन्य प्रकार के इसी तरह के कुछ बाट रखते हैं और उनसे अपना काम करते हैं। उनके सामने यदि कोई यह बाट रखे तो उनको समझने में कठिनाई होगी। इसके लिये मैं केवल इतना चाहता हूं कि जिस प्रकार अन्य सिक्कों के प्रचलन के मुकाबले में समानान्तर सरकार ने तालिका दी है, उसी प्रकार जो सेर वगैरह हैं, उनके बारे में उसी अनुपात में सबसे पहले लोगों में अमल करावे और उनके प्रचलन की अवधि कम से कम एक साल होनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि इसकी छानबीन के लिये एक विभाग की आवश्यकता सरकार को महसूस हो रही है। मैं इसके बारे में भी सुझाव देता हूं सरकार को और माननीय सदस्यों को। आप देख रहे हैं कि यह मुल्क गरीब है और दिन प्रति दिन सरकारी खर्च बढ़ता जाता है। मेरा सुझाव है कि नियंत्रक अधिकारियों की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर ये किसी अवधि के लिये रखे जाते तो बात समझ में आ सकती थी, लेकिन अब यह पर्मानेंट विभाग सरकार की तरफ से चलेगा जो हर ५ वर्ष में इन्क्वायरी करेगा, घर-घर जांच करेगा और यह उसके लिये खासी आमदनी का जरिया होगा, जो किसी तरह जनता में शान्ति प्रदान नहीं कर सकता। आखिर गवर्नमेंट को नया विभाग खोलने की क्या आवश्यकता है? जब पब्लिक संस्थायें गांव सभा से लेकर केन्द्र तक बनी हुई हैं तो यह काम उनके सुपुर्द किया जाय ताकि वे प्रचलन का काम ठीक से कर सकें। गांव सभायें हैं, शहरों में टाउन एरियाज व म्युनिसिपैलिटीज हैं और जिले के स्तर पर अन्तरिम जिला परिषदें हैं, यदि इनकी देख-रेख में काम हो तो ज्यादा सहूलियत से काम हो सकेगा बजाय इसके कि आप और विभाग कायम करें और इस प्रकार जनता पर उसके खर्च का बार और पड़े। इसके लिये जरूरी है, जैसा कि इस विधेयक में प्राविजन है, लाइसेंस का नियम बने। लेकिन यह भी आप देखें कि गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर दूसरे लोग भी इस तरह के बाट तैयार कर सकते हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। एक ही सरकारी विभाग से बाटों को तैयार किया जाना चाहिये और किसी को लाइसेंस दे कर एक नया रोजगार उसके जिम्मे नहीं किया जाना चाहिये।

जहां तक नियंत्रक का पद है उसे समाप्त करना चाहिये और मैं समझता हूं कि यह मल्क के प्रति अधिक आदरसूचक होगा अगर लोकल संस्थाओं के जिम्मे यह काम कर दिया जाय। इससे यह काम ज्यादा आसानी से हो सकेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो इसमें जुरमाने तथा सजायें रखी गयीं हैं उनका मैं विरोध करता हूं और विरोध इस मानी में करता हूं कि उनको पहले कोई सूचना न दी जाय, उनके लिये कोई अवधि न दी जाय जब कि आप इसे एक जगह सेंट्रालाइज कर रहे हैं। मेरे खयाल से जो नियंत्रक अधिकारी होंगे वे इतने अधिक पैमाने पर हों जिनकी शाख गांव-गांव में हो। अगर थोड़े से हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा सिवाय इसके कि वे काम गड़बड़ करें और निजी आमदनी का जरिया ढूंढें और लोगों में एक आतंक पैदा करें और लोगों के दिन प्रति दिन के काम में कठिनाई पैदा करें। दंड तो निश्चित रूप से कम हो जाना चाहिये। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि जो सामान बेचा जाय वह ठीक से तौला जाय और खरीदने वाला उचित मात्रा में सामान पा सके, लेकिन इसके लिये जरूरी नहीं है कि आप किसी ऐसे अधिकारी को नियुक्त कर दें जो तानाशाही मनोवृत्ति के आधार पर जिसे चाहे दंडित करे, जिसे चाहे मुकदमें में फंसा ये और इस प्रकार अपनी आमदनी का जरिया निकाले। इसके लिये सरकार अधिक समय बढ़ाये, मुकाबले के लिये दोनों बाट प्रचलित रखे और अधिकारियों को नियुक्त न करके लोकल संस्थाओं के जिम्मे यह काम करे, इससे काम आसानी से चल सकेगा। इन शब्दों के साथ में प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---क्यों विरोध करते हैं, यह बतलाइये।

श्री उग्रसेन---इसलिये विरोध करता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है, इस पर सभी माननीय सदस्यों ने पूर्ण रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं किये।

यह वह विधेयक है जिससे प्रदेश की साढ़े छै करोड़ जनता का संबंध है और जिस पर गहरा असर पड़ेगा और हर एक मेम्बर भी संबंधित है। तो जो बोलने वाले हैं उन्हें कम से कम कुछ थोड़ा और समय दे दें जिससे वे अपने विचार व्यक्त कर सकें। यों तो संख्यासुर उनके पास है ही, अगर समय नहीं देना चाहते तो नहीं मिल सकता।

श्री उपाध्यक्ष---मेरे खयाल में केवल मुंशी टीका राम जी ही ऐसे सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं। उसके बाद यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं यह प्रस्ताव ले लूंगा।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---शहर की तो सब ने कह ली अब जरा गांव की भी सुन लो। जब जनतन्त्र का राज्य चला तो देहात से शुरू होता है और देहात से चल कर फिर ऊपर को आता है। और प्रतिनिधि भी नीचे से चुन कर आये हैं। अब आप लाद रहे हैं ऊपर की ओर से, नीचे वालों को पूछ नहीं रहे हैं। तो तुम्हारे कानून की क्या इज्जत होगी? हम देख रहे हैं शराब का कानून चला, जिले बन्द किये, लेकिन शराब १० गुनी बढ़ गई। आप का कानून किताब में रखा रह गया वहां अमल हो ही नहीं रहा है। राहजनी, डकैती इन सब के कानून किताबों में हैं, सजायें भी मौजूद हैं, लेकिन अमल की हालत यह है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। अगर यही हालत है कि इस विधेयक की तो इसका भी वही हाल होगा जो और कानूनों का है। आपका कहना है भ्रष्टाचार रोकेंगे, यह सबसे पहली बुनियाद आपने उठाई, ताकि तरह-तरह के जो प्रदेश में बांट प्रचलित हैं उनको बदलेंगे और एक नाप करेंगे। जब आप एक नाप करना चाहते हैं तो पहले जो गांव इकाई है उस इकाई से चलिये और वहां से शुरू कीजिये। आपके इन नापों को गांवों में कौन पूछेगा? एक चीज ले गये और अपनी जरूरत की चीज बाजार से उसकी दुगुनी ले आये। आपके बाट धरे ही रह गये। गेहूं बाजार ले गये और उसके बदले में नमक, मिर्च ले आये। आप पकड़ेंगे क्या? वहां बाट से तौल ही नहीं होती है। जो यह नया सिक्का चलाया गया तो दो तो दो आने में १२ पैसे और काटो १३। लाखों, करोड़ों रुपया का घाटा इस प्रणाली से हो गया। यही हाल इस बाट और नाप में होगा। उधर आप कहते हैं कि हम भाषा को बढ़ायेंगे, माननीय जगदीशशरण जी बोले

[श्री टीकाराम]

कि हम इसलिये दरवाजा खोल रहे हैं भाषा का कि भाषा बढ़े ताकि अंग्रेजी भाषा का भी उसमें समावेश हो जाय। क्यों भाई, ऐसे शब्द बढ़ाओ न जो हम भी समझ लें। नाम रखेंगे मीटर, सेन्टीमीटर, मिलीमीटर जिसको गांव वाले समझ ही नहीं पायेंगे। रुपये के बजाय पैसा कर दिया, आना तोड़ दिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि नाम वही रहे। लेकिन तुम तो मन, सेर, छंटाक, तोला, माशा, रत्ती, खस-खस, चावल शब्द हटा कर न मालूम कहां की इंगलैन्ड की भाषा ला रहे हो और कहते हो हम अंग्रेजी हटा रहे हैं, हिन्दी बढ़ा रहे हैं .....

श्री उपाध्यक्ष---इंगलैन्ड का नहीं है, फ्रांस का है।

श्री टीकाराम---फ्रांस का ही सही उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता। मैं तो गांव की बात कह रहा हूं।

भाई सब बातें भले ही लो, लेकिन भाषा तो अपनी रक्खो, चाहे प्रणाली दशमलव की रक्खो, चाहे पांच लव की रक्खो लेकिन भाषा अपनी ही रक्खो। इस में नाम---तोला, माशा, रत्ती जैसे रक्खें। ८ खसखस का चावल होता है चाहे उसे १० का कर लो। ८ रत्ती का माशा होता है चाहे उसे १० का रख दो। ५ तोले की छटांक होती है उसकी जगह चाहे १० तोले की छटांक रख दो, लेकिन नाम ऐसे रखो जिन्हें हम भी जानें। ऐसे नाम मत रखो जो हमें १० वर्ष तक सिखा न पाओ, जिसका हम उल्लंघन करें और जेल काटें। हमें आपका कानून ऐसा मालूम होता है कि सन् १९५७ की कारतूस। अगर यह नाम आपने लागू कर दिये तो हम जेल काटते-काटते मर जायंगे, क्योंकि हमें उल्लंघन करना पड़ेगा। हम तो अंग्रेजी भाषा का विरोध करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---सोशलिस्ट पार्टी का सत्याग्रह तो और आसान हो जाएगा।

श्री टीकाराम---सब कुछ करो लेकिन देशी चाल में आओ। भाषा का इतना दरवाजा न बढ़ाओ कि हम भी भूल जायं।

जगदीशशरण साहब ने एक बात और कही कि भाई मजिस्ट्रेट बढ़ा दिये, खास मजिस्ट्रेट होंगे, इस्पेक्टर होंगे। इसमें भी लिखा है कि तीन तरह के आफिसर मुकर्रर करेंगे। हम तो ऐसा सुझाव देते हैं कि तुम्हें आफिसर रखने ही न पड़ें, न पैसा ही खर्च करना पड़े, अपने आप काम चल जाए। तुम हमारी मानो भी तो। हम तो यह कहते हैं कि इस काम के लिये तुम जो आफिसर मुकर्रर करने जा रहे हो, इसे गांव के प्रधान के जिम्मे कर दो। वहां गांव पंचायत मौजूद है, सेक्रेटरी मौजूद है, आफिसर क्यों मुकर्रर कर रहे हो और रुपया खर्च करने के लिये? तुम तो ऐसे बन गये हो कि दिवालिया घर के बेटे हो। गांव पंचायत वाले लाइसेंस अलग मांगते हैं और आप भी लाइसेंस मांगते हैं उस बनिये से जो १० रुपये की पूंजी लगाये बैठा है, और ५० रुपये के बांट लाये वह तो वही बदलेंगे, गेहूं से नोन और मिर्च। बाट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह बात है नेगी जी समझ लो। गांव की ओर भी जाओ। इ के लिये हमारा सुझाव मान लें तो गांव सभा की तरफ चलें। यह इंस्पेक्टर मत रखो, यह बहुत रिश्वत लेंगे। हमने देखा तम्बाकू के इंस्पेक्टर जब बाजार में जाते हैं तो लोग तम्बाकू छोड़-छोड़ कर भाग जाते हैं। वही हाल इंस्पेक्टर यहां करेंगे। बनियां दूकान छोड़ कर भाग जाएगा, छ महीने की कैद और पांच सौ रुपया जुर्माना दे। यह हाल होगा देहातों के बाजारों का। देहातों के बनिये दुकानें छोड़कर भाग जाएंगे। ५०० रुपये कहां से देंगे १५ रुपये के बाटों पर यह सुझाव अच्छा है कि उनके बाट ले लें और बाटों को बदल दें, यह ठीक है। उन्हें भी संतोष हो जाय। जैसे पुराने वक्त में बादशाहों के यहां होता था कि चांदी दे दी और सिक्का छपवा लिया, वैसा ही कर लो कि बांटों की छपाई ले लो। यह सूरत करो और इस सूरत से काम चलेगा और ज्यादा करोगे तो भैया लड़ना पड़ेगा और इसमें आगे जंग है। अब हमारी सरकार तो रावण बन गई है, जहां है वहां दश मुंह। भैया रावण क्यों बन रहे हो। दश मुंह वाले तो हमेशा खत्म ही हुए हैं,

भाई रावण मत बनो। जितने कर रावण ने लगाये ऋषियों का खून लिया वही तुम भी ऋषियों का खून ले रहे हो। टैक्स लगाते-लगाते हद कर दी। १४ करोड़ का बजट होता था वह पिछले साल १ अरब १२ करोड़ का हो गया और अब इस साल देखिये कितने का बजट आता है। ८ गुना ७ साल में बढ़ा दिया।

श्री उपाध्यक्ष—अब विषयान्तर हो रहा है।

श्री टीकाराम—बस अब विषयान्तर खत्म हुआ।

*खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मुझे यह दोनों संशोधन जो राय जी ने तथा अवस्थी जी ने प्रस्तुत किये हैं, उनका विरोध करना पड़ रहा है। इसके बहुत कुछ कारण तो शायद गलतफहमी पर आधारित हैं, जिनके कारण माननीय सदस्यों ने और खासकर लारी जी (हंसी) ने जो भाषण दिया, अब्दुल रऊफ लारी से मतलब नहीं है, आपको कुछ भ्रम है वह मैं स्पष्ट कर दूंगा और मेरी बात वह मान जायंगे। श्री राय से तो मैं आशा करता हूं कि वह अपना संशोधन वापस ले लेंगे क्योंकि वह तो बहुत ही माकूल आदमी हैं और बात को समझते भी हैं लेकिन लहरी जी ने जो अपना भाषण दिया उससे तो मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा कि उन्होंने क्या कहा, समय तो उन्होंने सदन का अधिक अवश्य लिया इस वास्ते उनका उत्तर देने में तो मैं अपने को असमर्थ पाता हूं। मेरा कार्य तो बहुत कुछ हल्का राणा साहब ने, श्री जगदीशशरण अग्रवाल ने और शास्त्री जी ने कर दिया। शास्त्री जी भी सहमत थे उनको थोड़ी सी ही आपत्ति रही। कुछ आपत्ति मुन्शी टीकाराम जी को भी रही।

जहां तक हिन्दी भाषा का सम्बन्ध है हमारे मुख्य मंत्री जी ने और हमारी सरकार ने इस बात पर जोर दिया था कि इसके नाम हिन्दी भाषा में रखे जायं लेकिन पार्लियामेंट ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ने बहुत कुछ सोच विचार के बाद उन तमाम स्टेट्स की भाषा सम्बन्धी इस सिफारिश को नहीं माना और इन्हीं नामों को अपनाया गया। यही हमारी मजबूरी है, संसद ने इन्हीं शब्दों को अपनाया और चूंकि हमारे देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में अलग-अलग भाषायें बोली जाती हैं इसलिये उन्होंने इन्हीं शब्दों को रखना उचित समझा जो कि शायद फ्रेन्च भाषा के हैं जैसा कि अभी उपाध्यक्ष जी ने कहा। इसलिये इसके लिये हम दोषी नहीं ठहराये जा सकते क्योंकि यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का फैसला है।

यह भी कहा गया कि एक दम से जेलखाने जाना पड़ेगा, इसको देहातों में कैसे लोग समझेंगे। लहरी जी कह रहे थे कि ऊपर से नीचे तक कोई उनके नाम का उच्चारण नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने सन् १९५६ में यह ऐक्ट पास कर दिया कि वह सर्वत्र लागू होगा और जहां जहां उसके विरोध में कोई कानून होगा वह सब रिपील हो जायगा। उन्होंने अपने ऐक्ट में रखा है कि यह सारे भारत में दस साल में लागू होगा और धीरे-धीरे नोटिफिकेशन के बाद यह लागू किया जायगा और जिन-जिन इंडस्ट्रीज में और विभागों में यह लागू होगा वहां उन बाटों और नापों का प्रचलन होगा। यहां उत्तर प्रदेश में १ अक्तूबर, सन् १९५८ से कुछ म्युनिसिपैलिटीज में इनका प्रचलन हो रहा है। यह अभी मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मुरादाबाद और बरेली में लागू होगा और उस पर भी दो वर्ष तक दोनों बाट चलेंगे, और यह आप्शनल है। तो कोई प्रश्न नहीं उठता कि देहात में तुरन्त ही कोई आफत आ रही है या मुंशी टीकाराम जी के जेल जाने की बात आ रही है। अभी तो यह कुछ म्युनिसिपैलिटीज में लागू होगा और उनमें भी दो साल तक दोनों नाप-तोल के बाट चलेंगे और जैसा कि ब्रजनारायण तिवारी जी कह रहे थे कि उसका कन्वर्जन हो तो जैसे नये पैसे और पुराने पैसे का कन्वर्जन कार्ड तैयार हुआ है वैसे ही कन्वर्जन कार्ड तैयार होंगे, लोग उसको आसानी से समझ सकेंगे।

श्री देवनारायण भारतीय—मैं मंत्री जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—बाद में कीजियेगा ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जैसा कल लहरी जी कह रहे थे कि सारे संसार में यह कहीं लागू नहीं है, हिन्दुस्तान में क्या आफत आ गयी है, टीकाराम जी भी कह रहे थे, तो अगर आप देखें तो इंगलैन्ड, कैनेडा, यूनाइटेड स्टेट्स और थोड़ा सा हिन्दुस्तान के अगल-बगल के हिस्से को छोड़ कर यह प्रणाली सभी जगह लागू है । यूरोप, स्कैंडीनेविया, रूस, चीन में, सब जगह लागू हो गयी है । तो अगर सारे संसार के नक्शे को देखें तो काला हिस्सा बहुत थोड़ा सा है जहां यह नहीं है, सफेद हिस्सा बहुत बड़ा है ।

एक सदस्य—काले में आ जाइये ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—काले में तो पहले से ही थे, अब क्या आयेंगे ? तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी । भारतीय जी की बातों की मैं बड़ी कद्र करता हूं और उन्होंने ठीक ही कहा कि तस्कर व्यापारियों के ऊपर जितनी ज्यादा से ज्यादा सख्ती की जाय उतना ही अच्छा है । अभी वह भी इसी भाषा में बोल रहे थे—भगवती सिंह जी, मगर साथ साथ कह रहे थे कि व्यापारियों को मार दो मगर व्यापार को रखो । तो व्यापार को कौन मार रहा है और तस्कर व्यापारियों को कौन पनाह दे रहा है, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी ।

जहां तक गलत काम करने वालों, ऐडल्ट्रेशन करने वालों का ताल्लुक है वह उस विधान में है जो उसके लिए है, जैसा कि अग्रवाल जी ने कहा कि जिस चीज के हेतु जो हो उसी में वह आता है । यहां पर तो नकली और गलत बाटों के रखने के सम्बन्ध में बातें रखी गयी हैं ।

यह कहा गया कि साहब नये आदमी रखे जा रहे हैं, नया विभाग खोला जा रहा है । खैर, हर काम में जब स्टेट ट्रेडिंग हो या कोई चीज नेशनलाइज्ड हो, समाजवादी व्यवस्था लाने की अगर कोशिश की जायगी तो निश्चित बात है कि उसके लिए कारकुनिन्दों की भी आवश्यकता होगी । या तो आप स्पष्ट तौर पर कहिये कि हमारे देश के नागरिकों का चरित्र इतना गिरा हुआ है कि हमारे देश में समाजवादी व्यवस्था आनी ही नहीं चाहिए, तब तो ठीक है, लेकिन जब आप यह कहते हैं कि समाजवादी व्यवस्था भी आये और साथ-साथ यह कहें कि उसके लिए कारकुनिन्दे जितने हैं सब बेईमान हैं और बदमाश हैं तो समझ में नहीं आता कि समाजवादी व्यवस्था कैसे आयेगी । इसलिए युक्तिसंगत तर्क देने की आवश्यकता है, सरकार तो हठवादिता पर कभी नहीं रही । अगर आप अपनी ही बातों का स्वयं विवेचन करें और समझें तो मैं समझता हूं कि आप स्वयं इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमारे लिए बड़ी कठिनाई हो जाती है कि हम आपकी बात को मान सकें । जितने भी भाषण हुए विशेषकर विरोधी दल की तरफ से आप देख लीजिये एक-एक भाषण को, एक का विरोध दूसरे ने किया है । भले ही सरकार के प्रस्ताव के विरोध में सब रहे हों मगर बातें सब अलग-अलग कर रहे हैं, एक की बातों को दूसरे ने काटा है ।

एक सदस्य—समर्थन किया है ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—हां, आखिरी समर्थन यह जरूर है कि डिले हो जाय मामले में, बस इतने पर आ गयी है बात । रहा इस बात का सवाल कि तीन दिन में क्या कोई आकाश फट जायगा यदि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय । एक तरफ आप कहते हैं कि इसके सिद्धान्त से हमें कोई विरोध नहीं है और फिर कहते हैं कि इसमें सजा बहुत कम रखी है । कोई कहता है कि इसमें सजा ज्यादा....

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—मैंने यह नहीं कहा ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—आपने नहीं कहा मगर औरों ने तो कहा । भगवतीसिंह जी ने भारतीय दंड विधान का संकेत करते हुये कहा कि इसमें सजा कम रखी गयी है और लोगों को बचाने के लिये सरकार ने यह रखा है । हमने कोई नयी चीज नहीं रखी है, जो बातें पुराने ऐक्ट में थीं लगभग वही बातें इसमें हैं । फिर सेलेक्ट कमेटी में जा कर क्या होगा ? हम तो केवल शहरों में और जहां की जनता पढ़ी लिखी है वहीं उसे लागू कर रहे हैं मगर हमारे पड़ोसी प्रदेश बिहार में तो सब-डिवीजनों में भी लागू हो गया है और बम्बई

में तो एक आर्डिनेन्स जारी किया गया, वहां लेजिस्लेचर के बैठने का इन्तजार भी नहीं किया गया। दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि दो साल तक तो यह आप्शनल है, और दोनों बाट चलगे। एक मित्र कह रहे थे कि इसमें बड़ा भारी घपला पड़ेगा। घपला काहे का? घपला पड़ेगा या नहीं वह तो इसके कनवर्जन टेबिल से मालूम हो जायगा। १० की यूनिट है और १० के बाद १०० पर हेक्टोमीटर है, और फिर किलोग्राम हजार में जाकर होता है। किलोग्राम के बाद टन आ गया। उस कन्वर्जन टेबिल में लिखा है कि वर्तमान टन और नये टन में और एक सेर में और किलोग्राम में क्या फर्क है।

(व्यवधान)

इसके लिये तो मुझे रात्रि पाठशाला लगानी पड़ेगी मगर हाउस में मैं ऐसी धृष्टता नहीं कर सकता कि उसका (हाउस का) समय लूं। उसके लिये उपयुक्त स्थान पाठशाला ही है। इससे अधिक इनोसेंट बिल कोई हो नहीं सकता। इसमें इतने वाद-विवाद की कोई आवश्यकता नहीं। अभी तो जो हमारे कंट्रोलर हैं उन्हीं को ऐडीशनल ड्यूटी दे देंगे। थोड़ा बहुत तो खर्च होता ही है हर काम में जो इसकी लाइसेंसिंग फीस से पूरा होगा। मगर हमारी यह नीयत नहीं है कि हम इससे कोई पैसा कमायें हालांकि बम्बई वाले तो इससे कुछ फायदा उठा भी रहे हैं। इसको लागू करने के लिये हम मजबूर हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के सन् १९५६ के ऐक्ट में लिखा है कि इट एक्सटेंड्स टु दि होल आफ इंडिया। हमारे १२ टाउन्स को उन्होंने निकाल दिया है और जिन-जिन विभागों पर लागू होने को है वे भी उनके शेड्यूल में है कि किन-किन विभागों में लागू होगा। यह तो निश्चित बात है कि लागू होगा और होकर रहेगा। पार्लियामेंट इसको तय कर चुकी है और इसको अपना चुकी है। हम केन्द्रीय सरकार से मिन्नत करते रहते हैं कि धीरे धीरे दस वर्षों में कहीं जाकर यह हो पायेगा क्योंकि प्रदेशीय सरकार पर भी खर्च का बोझा पड़ता है तो हम भी कोई इसको जल्दी लागू करने के लिए विशेष उत्सुक नहीं थे। लाला जी का कहना ठीक है कि हमें इसे पहले ही लागू कर देना चाहिये था उनके हित में और जनता के हित में। अवस्थी जी कल कह रहे थे कि प्रदेश के बाटों के बारे में उन्हें खयाल नहीं है और उनकी जानकारी में ऐसा नहीं है। ठीक है, हर एक आदमी अपना-अपना विचार रखता है। एक तोल होती है मानापाथा (व्यवधान) छोटे बड़े का सवाल नहीं होता है। यदि अक्ल बड़ी है तो छोटा भी बड़ा हो जाता है और यदि अक्ल नहीं है तो लम्बा होना बेकार होता है। जहां तक मैं समझता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें इसमें खुशी नहीं होती है कि हम खामख्वाह परेशानी उठायें और जनता को परेशानी में डालें। यह नीयत हमारी कभी नहीं हो सकती है।

यह हमारे ही हित की बात है। हमारे प्रदेश में केवल तोल की वजह से लोगों को दुख होता है, कष्ट होता है। व्यापारी कम तोलते हैं और जो यह विधेयक है इसमें कठिन से कठिन दंड रखना आवश्यक है। अब सेलेक्ट कमेटी में यही तो होगा कि तीन महीने के बजाय पांच कर दें जैसे कि संशोधन हैं। उनमें लिखा है कि पांच दिन की सजा कर दी जाय या पांच रुपये जुरमान की सजा रखी जाय। एक तरफ तो कहा जाता है कि एक्जेम्प्लरी पनिशमेंट रखा जाय और दूसरी ओर कहते हैं पांच रुपये जुरमाने की सजा रखी जाय। अगर कोई लाख रुपये पैदा करता है उसको पांच रुपया जुरमाना कर द तो क्या होगा? एक लखपती थे उन्होंने कहा कि जेल जाने में और न जाने में क्या फर्क पड़ता है। इसका जवाब उनको मिला कि जेल जाने में एक पैसे की बचत होती है तो उन्होंने कहा कि जल जाना ही ठीक है। जब तक शारीरिक दंड देने का विधान नहीं रखेंगे तब तक इस तरह के लोग रुक नहीं सकते। इसलिये मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है जो दिक्कत पैदा करने वाली हो। अक्तूबर, १९५८ से रेलवे पर और पोस्ट आफिस पर लागू है। एयर लाइन्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऐंड कामर्शल अंडरटेकिंग्स कंट्रोल्ड बाई गवर्नमेंट, इन पर लगा रहे हैं। तीन दिन के लिए जो कहा गया, उस सम्बन्ध में यह कहना है, आज सुबह ही कह रहे थे, कि बजट के लिए समय नहीं है तो इस बीच में तो अवकाश नहीं मिलेगा। जो संशोधन अपना रखना चाहें जैसे पांच सौ जुरमाने के स्थान पर दो हजार जुरमाना हो

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

या तीन महीने की सजा के स्थान पर पांच महीने की सजा हो, वह संशोधन आप दे सकते हैं। अतएव इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने से कोई लाभ नहीं होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गौरी शंकर राय जी और अवस्थी जी अपने संशोधन वापस लेंगे क्योंकि वह भी समझदार व्यक्ति हैं और समझते हैं। मुमकिन है कि पहले किसी गलतफहमी में हों। भारतीय जी ने कहा कि तीन महीने के अन्दर लागू कर दिया जायगा। उसमें यह है कि दस साल के अन्दर होना है। शनैः-शनैः होगा। इसका भय नहीं है कि सारा तीन महीने में लागू हो जायगा। काफी मौका सोचने समझने का है। आपको मैं इतमीनान दिलाता हूं जैसा कि जगदीश जी ने कहा जनता या किसी को भी इसकी एप्लीकेशन में हानि न हो इसका खयाल रखेंगे।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—पुराने बाटों को बदल देंगे या नहीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जैसा मैंने कहा मान लिया दस शहरों में मीटर प्रणाली चलायी उसमें दो साल तक पुराने भी चलते रहेंगे। कुछ लोग धीरे-धीरे और क्षेत्रों में भी भेजते रहेंगे। दस-पांच साल में बाट घिस भी जायेंगे। इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी कोई फौरी नुक्सान होने वाला भी नहीं है। इन बातों को देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे अपने संशोधनों को वापस लेने की कृपा करेंगे।

श्री देवनारायण भारतीय—माननीय उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी के भाषण में और विधेयक के खंडों में हम परस्पर विरोध पाते हैं। इसलिए मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। मंत्री जी ने अभी अपने भाषण में कहा कि तीन मास की अवधि जो खंड ७ के उपखंड (२) में है, जिसमें कहा गया है—"इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीन मास बाद किया गया कोई व्यवहार, अथवा संविदा, जहां तक वह उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करता हो, शून्य होगा।" यह तीन मास की अवधि रखी गयी है। मंत्री जी ने अभी कहा कि केवल आठ या दस म्युनिसिपैलिटीज में यह लागू होगा और वहां पर ही केवल यह बाट दिये जायंगे। यह मैं समझा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—आप खंड १ का उपखंड (३) पढ़ें। उसमें यह लिखा है—"यह उस दिनांक से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे, तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों अथवा विभिन्न क्षेत्रों, अथवा व्यवसाय संस्थाओं के विभिन्न वर्गों अथवा माल के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।"

विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न दिनों में सरकारी गजट में विज्ञप्ति होगी और जिस क्षेत्र के लिए विज्ञप्ति हो जायगी उसके तीन महीने के बाद तक लागू हो जायगा। इसलिए माननीय मंत्री जी ने जो कुछ कहा वह ठीक है। कोई विरोधाभास नहीं है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) विधेयक, १९५९ इस आदेश के साथ एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय कि वह तीन दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) विधेयक, १९५९ को एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जावे जिसे विधेयक की सीमा को विस्तृत करने का भी अधिकार हो और जो अपना प्रतिवेदन आगामी एक मास में प्रस्तुत कर देवे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—२०,

विपक्ष में—५६।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) विधेयक, १९५९ [The U. P. Weights and Measures (Enforcement) Bill, 1959] पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २—७

२—प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न होने पर इस अधिनियम में— परिभाषायें

(क) "केन्द्रीय सरकार" का तात्पर्य जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १८९७ की धारा ३ (८) में यथापरिभाषित सेंट्रल गवर्नमेंट (Central Government) से है; ऐक्ट १० १८९७,

(ख) "व्यापारिक बाट या माप" का तात्पर्य उस बाट अथवा माप से है जो व्यापार अथवा वाणिज्य के किसी व्यवहार में प्रयुक्त मानक बाट अथवा माप समझा जाता हो;

(ग) "नियंत्रक" का तात्पर्य धारा १४ के अधीन नियुक्त बाट तथा माप नियंत्रक से है तथा उसके अन्तर्गत उप-नियंत्रक अथवा सहायक नियंत्रक भी होंगे;

(घ) "निरीक्षक" का तात्पर्य धारा १४ के अधीन नियुक्त बाट तथा माप के निरीक्षक से है;

(ङ) "मापक यंत्र" का तात्पर्य तोलने के यंत्र से भिन्न किसी भी मापक यंत्र से है तथा लम्बाई, क्षेत्रफल, आयतन अथवा धारण-शक्ति मापने का कोई भी यंत्र इसके अन्तर्गत है;

(च) "टकसाल" का तात्पर्य केन्द्रीय सरकार की टकसाल (mint) से है;

(छ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(ज) "मानक बाट या माप" का तात्पर्य स्टैन्डर्ड्स आफ वेट्स ऐंड मेजर्स ऐक्ट, १९५६ की धारा १३ की उपधारा (१) में उल्लिखित धन अथवा माप की किसी इकाई से है तथा पूर्वोक्त ऐक्ट की धारा १४ की उपधारा (१) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग के लिये अनुज्ञात कोई भी अन्य बाट तथा माप भी इसके अन्तर्गत है; ऐक्ट ८९, १९५६।

(झ) "निर्देश मानक" का तात्पर्य स्टैन्डर्ड्स आफ वेट्स ऐण्ड मेजर्स ऐक्ट, १९५६ की धारा १५ की उपधारा (२) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिये गये मानक बाटों तथा मापों के सेट (Set) से है; ऐक्ट ८९, १९५६

(ञ) "मुद्रांकन" का तात्पर्य ऐसी रीति से चिन्ह बनाने से है कि वह यथासाध्य अमिट हो जाय तथा ढलाई, नक्कासी, अम्ल लेखन और छाप लगाना भी इसके अन्तर्गत है;

(ट) बाट या माप अथवा तौलने या मापने के यंत्र के सम्बन्ध में प्रयुक्त, व्याकरण-सम्बन्धी परिवर्तनों सहित, "परीक्षण" के अन्तर्गत बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र की तुलना, जांच अथवा परीक्षा की प्रक्रिया है तथा पुनः परीक्षण भी इसके अन्तर्गत है;

(ठ) "तोलने का यंत्र" का तात्पर्य तोलने के किसी यंत्र से है, तथा तुला और उसके बाट, तुला दंड, तराजू, स्प्रिंगदार तराजू लोहे के गज तथा तोलने की अन्य मशीनें भी इसके अन्तर्गत हैं।

कार्यमानक

३—(१) व्यापारिक बाटों और मापों तथा व्यापार या वाणिज्य के व्यवहारों में प्रयुक्त तोलने या मापने के यंत्रों की शुद्धता के परीक्षण के लिये राज्य सरकार जितने आवश्यक समझे उतने प्रमाणीकृत मानक बाटों तथा मापों के सेट तैयार करा सकती है जिन्हें "कार्यमानक" कहा जायगा और चांदी-सोने तथा रत्नों के लिये कार्यमानकों के विशेष सेट तैयार किये जा सकते हैं।

(२) कार्यमानक ऐसे पदार्थ से तथा ऐसी प्ररचनाओं तथा विशिष्टताओं के अनुसार बनेंगे तथा ऐसे माध्यम द्वारा तैयार किये जायंगे तथा ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से मुद्रांकित तथा प्रमाणीकृत किये जायेंगे, जो नियत किये जायं।

(३) कार्यमानक ऐसे स्थानों पर, ऐसी अभिरक्षा में तथा ऐसी रीति से रक्खे जायेंगे जो नियत किये जायं।

(४) कार्यमानक का द्वितीय मानक से परीक्षण होगा तथा उसे ऐसे व्यक्तियों द्वारा, ऐसे स्थानों पर, ऐसे समयान्तर से तथा ऐसी रीति से चिह्नित किया जायगा जो नियत किये जायं : प्रतिबन्ध यह है कि सोने-चांदी तथा रत्नों के लिये विशेष कार्यमानक का परीक्षण निर्देश मानक से किया जायगा।

(५) कोई कार्यमानक जो नियत अवधि के भीतर इस प्रकार परीक्षित तथा चिन्हित नहीं हुआ हो वैध नहीं माना जायगा और इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त नहीं किया जायगा।

(६) कोई कार्यमानक जो दोषपूर्ण हो गया हो, उस समय तक वैध नहीं माना जायगा और इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त न होगा जब तक कि वह नियत रीति से परीक्षित तथा चिन्हित न किया गया हो।

द्वितीय मानक

४—(१) कार्यमानकों की शुद्धता के परीक्षण के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार टकसाल में जितने आवश्यक समझे उतने प्रमाणीकृत मानक बाटों तथा मापों के सेट तैयार करा सकती है। ये "द्वितीय मानक" कहलायेंगे।

(२) द्वितीय मानक ऐसे पदार्थ से तथा ऐसी प्ररचना तथा विशिष्टिताओं के अनुसार बनेंगे जो नियत की जाय तथा ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा जिसका केन्द्रीय सरकार निदेश दे, मुद्रांकित तथा प्रमाणीकृत किये जायेंगे।

(३) द्वितीय मानक ऐसे स्थानों पर ऐसी अभिरक्षा में और ऐसी रीति से रक्खे जायेंगे जो नियत किये जायं।

(४) द्वितीय मानक का प्रति पांच वर्षों में कम से कम एक बार निदेश मानक से परीक्षण किया जायगा तथा उस पर नियत रीति से ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा, जिसका राज्य सरकार निदेश दे, परीक्षण का दिनांक अंकित किया जायगा।

(५) द्वितीय मानक, जो पूर्वोक्त अवधि के भीतर इस प्रकार परीक्षित तथा अंकित न हुआ हो, वैध नहीं माना जायगा तथा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त नहीं किया जायगा।

निर्देश-मानक

५—निर्देश-मानक ऐसे स्थानों पर, ऐसी अभिरक्षा में तथा ऐसी रीति से रक्खे जायेंगे जिनका राज्य सरकार निदेश दे।

तोलने तथा मापने के मानक यंत्र

६—(१) व्यापारिक बाट तथा माप और व्यापार या वाणिज्य के व्यवहारों में प्रयुक्त तोलने तथा मापने के यंत्रों की शुद्धता के परीक्षण के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार तोलने तथा मापने के यंत्रों के उतने सेट तैयार करवा सकती है जितने वह आवश्यक समझे।

(२) ये यंत्र ऐसे प्रकार के होंगे और उतनी संख्या में रक्खे जायेंगे तथा ऐसी रीति से परीक्षित तथा मुद्रांकित किये जायंगे, जो नियत किये जायं।

(३) ये यंत्र ऐसे सभी स्थानों में रक्खे जायंगे जहां द्वितीय मानक या कार्यमानक रक्खे जाते हैं।

मानक बाटों तथा मापों से भिन्न बाटों तथा मापों के प्रयोग का निषेध।

७—(१) किसी अन्य विधि या रुढ़ि, प्रथा या चलन में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे क्षेत्र में, अथवा माल या व्यवसाय-संस्थाओं के ऐसे वर्ग के जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त हो गया हो, व्यापार या वाणिज्य के किसी व्यवहार में या किसी व्यवहार या संविदा या किये जाने वाले किसी कार्य में अथवा बेंचे जाने वाले या दिये जाने वाले किसी माल के लिये मानक बाटों या मापों के अतिरिक्त कोई धन अथवा माप की इकाई प्रयोग में नहीं लाई जायगी।

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तीन मास बाद किया गया कोई व्यवहार, अथवा संविदा, जहां तक वह उपधारा (१) के उपबंधों का उल्लंघन करता हो, शून्य होगा।

(३) ऐसी कोई रूढ़ि, प्रथा, चलन या रीति चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, जो किसी व्यापार में किसी व्यापारी, विक्रेता अथवा क्रेता को उस बाट अथवा माप के अनुसार, जिसके आधार पर उस वस्तु के सम्बन्ध में संविदा या व्यवहार हुआ हो, निश्चित मात्रा से अधिक अथवा कम मात्रा में उक्त वस्तु मांगने या प्राप्त करने अथवा मंगवाने या प्राप्त कराने की अनुमति देती हो, शून्य होगी।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ से ७ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ७-अ

*श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नांकित संशोधन उपस्थित करता हूं :

खंड ७ के पश्चात् खंड ७-अ निम्न प्रकार से बढ़ा दिया जाय :

"यदि किसी व्यक्ति या संस्था के पास इस अधिनियम के लागू होने के समय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बाट व माप के मानकयंत्र हों तो वह उन्हें तीन मास के अन्दर जमा करके उनके समान नये बाट व माप के मानक-यंत्र राज्य सरकार से निशुल्क प्राप्त कर सकता है।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर मैं आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि अभी तक जो प्रणाली प्रदेश और देश में है उसके अनुसार जब सरकार कोई नया परिवर्तन करती है, नया सिक्का लाती है तो उसके पूर्व के जो सिक्के होते हैं उनको ले लेती है। अभी हमारे देश में सिक्कों में नया परिवर्तन हुआ। दाशमिक प्रणाली को अपनाया गया और उसके साथ ही साथ जितने पुराने सिक्के हैं वह सरकार ले रही है। ऐसा कहीं नहीं है कि पुराने सिक्के बेकार हो जायं या पुराने सिक्के समाप्त करने के बाद नये सिक्कों के लिये जनता को कोई नया मूल्य देना पड़ेगा। यह एक काफी सीधी सी बात है।

माननीय मंत्री जी को अब मैं क्या कहूं। दो प्रकार की बातें उन्होंने अपने भाषण में कहीं। एक तो यह कि समाजवादी व्यवस्था का नारा उन्होंने दिया और शायद इसको बहुत बड़ी समाजवादी व्यवस्था का बिल मान कर यहां पर पेश कर दिया और तुरन्त ही अपनी स्मरण शक्ति को भुला कर और अक्ल का दावा करके यह बात कही कि यह बिल नया नहीं है। सन् १९३९ में जो पहला बिल था उसी प्रकार का यह बिल यहां रखा गया है। इसमें कोई नई बात नहीं है। एक तरफ इसको समाजवादी व्यवस्था में साथ देने की बात और दूसरी तरफ यह कि यह पुराने की तरह बना हुआ है। ऐसा माननीय मंत्री जी मानते हैं। मुझे सन्देह है कि यह बिल बनकर कोई काम कर सकेगा। वह अक्ल का दावा जरूर करें लेकिन मैं उनसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि वह अपनी स्मृति को साफ कर लें। इसके बाद माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि दोनों बाट साथ-साथ दो वर्ष तक चलेंगे और फिर दो वर्ष के बाद इस प्रणाली को लागू किया जायगा। यह बात उन्होंने भविष्य के लिये बतलाई जैसा कि सरकार का विचार है। लेकिन श्रीमन्, जो बाट दो साल तक लगातार चलेंगे तो उसके बाद उन बाटों को कहां रखा जायगा इस बात को सरकार ने नहीं बतलाया। इस विधेयक में भी उनका कोई सुझाव नहीं है कि वह बाट जितने जिनके पास हैं वह दो साल तक चलते रहेंगे और दो साल के बाद सरकार उन बाटों को खरीदे।

सरकार के लिये एक बात आम तौर पर यह कही जाती है कि सरकार हमेशा लापरवाही के साथ एक बात को टाल देती है, लेकिन यह बात इतनी सही है कि इसको लापरवाही के साथ टाला नहीं जा सकता है। इस प्रदेश की जनता भली-भांति इस लापरवाही से परिचित हो गई है। बात यह है कि जब कोई विधेयक यह सरकार लाती है तो जनता के नाम पर लाती है, लेकिन जो उसका दुरुपयोग होता है उससे उसका मंशा छिप जाता है। सरकार कुछ स्वार्थ को लेकर सोचती है। अगर इस संशोधन को नहीं माना जाता है तो इसका मंशा यही है कि इससे एक तो सरकार का फायदा होगा। जो लोहा इस तरह से बेकार हो जायगा वह बाटों के रूप में बाहर निकलेगा और दूसरे यह कि माननीय मंत्री जी या दूसरे अधिकारियों के जो रिश्तेदार होंगे उनको इसका लाइसेंस मिलेगा। वह बाट बेचा करेंगे। यह दोनों काम सरकार के फायदे में होंगे। खरीदने वाली जनता होगी उससे पैसा खूब पैदा किया जायगा। सरकार का यही निश्चित मन्शा मालूम होता है और इसी आशय को लेकर जनता में इस प्रणाली को लाया जा रहा है। इसलिये इस सम्बन्ध में मुझे यह भी निवेदन करना है जब कभी सरकार के सामने समानता का प्रश्न आता है उसमें सरकार बिल्कुल मौन रहती है और यह सरकार उस सम्बन्ध में कुछ नहीं सोचती। एक प्रश्न मूल्य निर्धारित करने की नीति का था। आज प्रदेश में करोड़ों व्यक्तियों की जिन्दगी और मौत का सवाल जिसके ऊपर निर्भर है उसके लिये कोई प्राथमिकता सरकार के दिमाग में नहीं है। क्या इस सरकार ने प्रदेश की जनता के लिये कोई मूल्य के सम्बन्ध में नीति निर्धारित की है? जनता के ऊपर नाजायज दबाव डाल कर सरकार आज जनता की जेब कतर रही है। यह सरकार, जो अन्न पैदा करती है, उसको कम दाम दिलाती है और जो मुनाफा खाते हैं उनको ज्यादा दाम दिलाती है।

श्री उपाध्यक्ष—विषयान्तर हो रहा है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--एक सार्वजनिक हित के नाम पर वह कानून तो लाना चाहते हैं लेकिन उसका अंदरूनी मंशा जो है उसे मैं बताना चाहता हूं। अगर यह संशोधन न माना जाय तो इस विधेयक में जनता का स्वार्थ बिलकुल निहित नहीं रहता और उसके लिये ही मैं उदाहरण दे रहा था। मंत्री जी ने बार-बार कहा कि यह बहुत आवश्यक है, इसको पार्लियामेंट ने पास कर दिया है और हमारे प्रान्त का भी अधिकार है कि इसको पास करें। पार्लियामेंट के पास करने के बाद किसी विधेयक को प्रान्त इसीलिये पास करता है कि वह समझ लेता है कि अब उसके लिये समय आ गया है। क्या आज ऐसी अवस्था है कि इसको लाये बिना काम न चले ? आज अच्छे-अच्छे कामों के लिये जिनमें जनता का अधिक हित है, सरकार कह देती है कि पैसा नहीं है ,लेकिन मैं नहीं जानता कि इस प्रणाली के लागू करने से जनता का कौन सा लाभ होने वाला है कि जिसके लिये सरकार ६ लाख रुपया सालाना खर्च करती रहेगी। मंत्री जी के भाषण में किसी युक्ति-युक्त बात का पता नहीं लगा। उन्होंने इसका जवाब भी नहीं दिया कि इसके लागू करने पर जनता का किस प्रकार से हित होगा। यह सही है कि इससे एक यूनिफार्मेटी आयेगी, लेकिन जैसे लखनऊ में आसमान में फूल खिलाने वाली प्रणाली आयी और इस सदन में शायद ही कोई ऐसा सदस्य हो कि जिसने हृदय से उसका विरोध न किया हो, उसी प्रकार की यह भी स्कीम है। चन्द सड़कों को सजा कर हमने प्रदेश के बहुत से स्थानों को वंचित किया है। तो यह जो परस्पर विरोधी बातें हैं कि अनावश्यक कार्य को कर के जनता के कोष पर बोझ डाला जा रहा है और आवश्यक कामों को टाला जा रहा है, इस प्रकार के तर्क न तो शोभा ही देते हैं और न सदस्यों के मस्तिष्क में प्रवेश ही पा सकते हैं। यह दूसरी बात है कि पार्लियामेंट के कानून के नाम पर सदन में मंत्री जी अनुमति प्राप्त करने की कोशिश करें, लेकिन मेरा विश्वास है कि अगर उसमें जनता के हित का सामान्य सिद्धान्त भी निहित नहीं होता है तो उसको सदन स्वीकार करने में असमर्थ होगा। यह एक साधारण सी बात सभी देशों में हुआ करती है। आखिर इस विधेयक में यह धारा क्यों नहीं आयी कि जो पुराने बाट हैं उनको निःशुल्क तरीके पर सरकार बदल देगी ? इसके बाद अगर यह सब आया होता तो मेरी समझ में बात आती कि सरकार उस जन-सिद्धान्त को स्वीकार करती है कि जो संसार के हर देश में और हमारे देश में भी कहीं-कहीं लागू है। मंत्री जी ने बताया नहीं कि ऐसा करने में उनको क्या कठिनाई है ? यह मैं नहीं समझ पाता कि यह जनता का पैसा खींचने का एक उपाय है अथवा एक नयी व्यवस्था लाने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है, और यही प्रश्न हमारे सामने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी के साथ-साथ एक बात और आप के द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों के समक्ष रखना चाहता हूं कि बाटों के प्रचलन में, शास्तियों के बारे में, दंड के बारे में मंत्री जी ने कहा कि अगर कारावास न हो तो दंड-दंड नहीं रहता। मैं समझता हूं कि अगर वह दंड की व्यवस्था इस प्रकार की करने पर तुले है कि जिससे सरकारी कोष में पैसा आये, जो कानून से वाकिफ न हों उनको दंडित कर के, उन पर जुर्माना करके सरकारी कोष भरा जाय और जेलों को उनसे सुशोभित किया जाय। अगर इस प्रकार का उनका मंशा है तो ठीक है, मुझे उनसे कुछ कहना नहीं है। मैं उनसे सहमत नहीं हूं, लेकिन अगर उनका यह मंशा है कि ऐसे बाट न चलें कि जो गड़बड़ हों और जिससे जनता का नुकसान हो सके तो उनको सीधे-सीधे इस सिद्धान्त को मान कर हमारा संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये कि जिनके पास पुराने बांट मौजूद हैं उनको सरकार बदल दे और जो लोग नये बाट लेना चाहें वह लें। अगर ऐसा नहीं होता तो इससे यही नतीजा निकलता है कि सरकार शास्तियों के द्वारा पैसा पैदा करना चाहती है। जिस प्रदेश के लोगों के पास खाने के लिये पैसा न हो वे किस प्रकार इन नये बाटों को खरीद कर अपना काम चलायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--बार-बार-आप एक ही बात कह रहे हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा--श्रीमन्, आप बात कर रहे थे, मैं तीसरी बात . . . .

श्री उपाध्यक्ष--मैं अच्छी तरह सुन रहा था।

श्री रामस्वरूप वर्मा—इस प्रकार की धारा का विधेयक में समावेश न करके सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह व्यापारिक तरीके पर चलना चाहती है और जनहित को दृष्टि में रख कर इस बिल को नहीं ला रही है। हम कुछ नहीं बल्कि तमाम बातों पर विचार करें और मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसे ध्यान में रखते हुये वे मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे और सदन भी इस संशोधन के पक्ष में अपनी राय देगा क्योंकि इस संशोधन के स्वीकृत होने पर सरकार का मंशा बहुत साफ हो जाता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार सचमुच में इस प्रणाली को इस दृष्टि से ला रही है कि जन-साधारण में एकरूपता आ जाय और एक तौल जारी हो ताकि लोगों को कठिनाई न हो। मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन को प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

***श्री जगमोहनसिंह नेगी**—उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी पर किसी प्रकार का आक्षेप करूं और इसमें कोई शक नहीं है। अभी जो बात रामस्वरूप जी ने कही वह भी ठीक है, वह आक्षेप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, मगर मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यह अभी केवल १० टाउन्स में ही लागू हो रहा है। वहां पर पुराने बाट भी चलते रहेंगे, अभी दो साल तक तो चलेंगे ही। उसके बाद वह दूसरी जगह पर चले जायेंगे। उन बांटों को लेने का कोई सवाल नहीं है। इसके बाद गवर्नमेंट उनको खुद नहीं बना रही है, यह स्पष्ट है। तो जब हमारी कोई फैक्ट्री नहीं है तो हम उनसे लें क्यों? और अंत में १० वर्ष के बाद जब उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी तो वह रा मैटीरियल की शक्ल में तो रहेंगे ही, खुद फैक्टरी वाले ही उनसे वह पुराने बाट ले लेंगे। तो मेरी समझ में उनकी बात नहीं आ रही थी। मैं नहीं कहता कि मेरी बात आपकी समझ में आ रही है या नहीं, लेकिन मेरी समझ में आपकी बात नहीं आ रही है। सिक्के को तो सरकार बनाती है इसलिये उसको वह ले लेती है, बदल देती है। इन बाटों से और सिक्के से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसमें जो खर्च होगा उसका ५० परसेंट सेंटर कंट्रीब्यूट करेगा और ५० परसेंट लोन के लिये कहा है। आपने जो बदलाव की बात कही उसके लिये मैंने यह कहा, लेकिन इसका सिक्के से मुकाबिला नहीं किया जा सकता। आप जनहित की बात कह रहे थे। कल जब मैंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया था उस समय शायद आप न रहे होंगे.....

श्री रामस्वरूप वर्मा—मैं था।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अगर आप थे तो उस समय यह जनहित में किस प्रकार है जो मैंने बताया उसे आपने सुना नहीं होगा, और अगर सुना होगा तो आपकी समझ में नहीं आया होगा या आपको पसंद न आयी होगी वह बात। तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है और मैं उस बात को फिर दुबारा दोहराना पसंद नहीं करता। यह तो छोटी सी बात है कि यह जनहित में है या नहीं और इस पर आप स्वयं विचार कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि हमारे मुल्क में कोई पत्थर का बाट ले कर ही कह दे कि यह ६ छटांक का है? तो यह उसके नियंत्रण के लिये, उसके सुधार के लिये है या नहीं इसको साधारण बुद्धि से भी विचारा जा सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि रामस्वरूप जी जो कि एक बड़े समझदार व्यक्ति हैं वे समझ लेंगे कि इस संशोधन से कोई लाभ होगा या नहीं होगा। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे इसको वापस ले लेंगे।

श्री देवनारायण भारतीय—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामस्वरूप जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मन्त्री जी ने अभी स्पष्टीकरण देते हुये जो बातें कहीं मैं वास्तव में उन्हें नहीं समझ सका कि वे अपने समर्थन में क्या कह रहे हैं, उसका क्या सारांश है। मैं तो माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो बाट व्यापारियों के पास, जनता के पास म्युनिसिपैलिटियों में होंगे जहां पहले दो वर्ष के लिये आप इस अधिनियम को लागू करेंगे उनके पास पुराने बाट भी होंगे, नये भी होंगे जो उनको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मजबूरन खरीदने पड़ेंगे अपना व्यापार चलाने के लिये, तो दो वर्ष के बाद जब पुराने बाटों को वहां आप बन्द कर देंगे तब उन पुराने बाटों का क्या होगा। एक म्युनिसिपैलिटी में अगर हजारों की संख्या में ऐसे व्यापारी हुये और व्यापारियों को जाने दीजिये मेरा अपना अनुभव यह है कि नगर में रहते हुये प्रत्येक सभ्य व्यक्ति को बाट अपने घर में रखने पड़ते हैं ? तो यूं कहना चाहिये कि प्रायः प्रत्येक नागरिक उन बाटों को जो कि उसके पास पहले से होंगे उनका वह क्या करेगा। क्या वह उनकी सम्पत्ति जो कि उन बाटों के खरीदने में लगी होगी वह बर्बाद नहीं जायगी। क्या इस विधेयक द्वारा माननीय मन्त्री जी कोई ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे उनकी वह सम्पत्ति बर्बाद न जाय और उसका एक मात्र साधन यह है कि उन पुराने बाटों को लेकर के सरकारी तौर पर उनको ढलवाया जाय। प्रत्येक नागरिक को ऐसा सुभीता प्राप्त नहीं होगा कि वह उन बाटों को ऐसी जगह पर बेंच सके जहां पर वह फिर नये सिरे से ढल जायं। लिहाजा इसका एक ही तरीका है कि किसी सरकारी साधन के द्वारा वे सारे बांट जो उस समय बेकार हो जायेंगे सरकार ले ले और उनके बदले में या तो मूल्य जनता को दे या उनके बदले में नये बांट दे ताकि उनका प्रचलन और बढ़ जाय। वह व्यापारी पहले से नये बाटों को खरीद चुका होगा और उसको दूसरे मिल जायंगे वह दूसरों के हाथ उसे दे देंगे इस तरह से उनका प्रचलन और बढ़ता जायेगा।

मेरा सुझाव इस संशोधन के समर्थन से यह है कि जो पुराने बाट हों उनका मूल्य जनता को प्राप्त हो जाय और जनता का वह धन बर्बाद न जाय और सरकार का जो जनहित का दावा है वह पूरा हो। मौजूदा सूरत में यदि वह धन बरबाद जाता है तो मैं उसको उचित नहीं समझता। मैं नहीं कह सकता कि माननीय मन्त्री जी की समझ में और मेरी समझ में कितना अन्तर है लेकिन मैं अपनी समझ को ही छोटी मानकर कहता हूं—मैं यह नहीं समझ पाया कि माननीय मंत्री जी जनहित का भी दावा करते हैं और यह भी कहते है कि उन बाटों को बर्बाद करा देंगे। मैं पूछता हूं कि जो पुराने बाट होंगे उनको क्या वे तालाब में फेंक देंगे क्योंकि फेंकने तो जरूर पड़ेंगे क्योंकि अगर वे पकड़े गये दो वर्ष के बाद तो उनको सजा होगी और जुर्माना भी होगा। इसलिये ऐसी सूरत में वे उनको फेंकेंगे ही। इसलिये अगर बजाय फेंकने के वे सरकारी खजाने में जमा हो जायं, सरकार उनको ढलवाने की जगह पर भेज दें और उनके नये बाट बन जायं। लोहा, जिसके कि बाट बने हुये हैं जो कि देश की सम्पत्ति है वह अगर बर्बाद जाय तो मैं नहीं समझता कि इसको माननीय मंत्री जी क्यों उचित समझते हैं और वे इस विधेयक में इसके लिये कोई प्रतिबन्ध करने के लिये क्यों तैयार नहीं होते। इसलिये मैं फिर उनसे निवेदन करूंगा कि वे अच्छी तरह विचार करें और अगर वास्तव में उनका जनहित का दावा है तो वे सोचें कि लाखों रुपये की सम्पत्ति जो कि जनता की होगी उसको बर्बाद करा देने में वे जनहित कैसे समझते हैं। इस पर वे पुनः विचार करें।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत डरते-डरते अपनी पार्टी की तरफ से जो संशोधन पेश हुआ है, उस पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्ष---यहां डरने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री बंशीधर शुक्ल---डरने की इसलिये आवश्यकता पड़ गयी कि जो हमारी पुरानी लिखावट मन, सेर छटांक की है वह सब रद्द होने जा रही है, गज की नाप तथा जो अब तक का पैमाना प्रचलित था वह सब रद्द होने जा रहा है, सरकार आलिया की कृपा से कितनी बड़ी गड़बड़ी इस देश में होने जा रही है। उसको किसी काम को बनाना तो है नहीं, लेकिन हर काम को बिगाड़ने का उसने ठेका-सा ले लिया है और इस प्रकार आप देश का कल्याण करने के बजाय अकल्याण ही करते जा रहे हैं। आपके द्वारा देश किसी तरह से एक इंच भी आगे तो बढ़ा नहीं है, कहीं पर कोई पैदावार तो बढ़ी नहीं है, फिर आप मन, सेर और छटांक को खतम करने जा रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य किसके लिये "आप" शब्द का प्रयोग करते हैं, अगर उनका मतलब सरकार से हो तो वे माननीय मन्त्री जी कहें या सरकार कहें।

श्री बंशीधर शुक्ल---मैंने आपके लिये ही "आप" शब्द का इस्तेमाल किया है। जब मैं सरकार से कोई बात कहता हूं तो उसके लिये सरकार शब्द का ही प्रयोग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---तो आपने बिगाड़ने की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही डाल दी। उसके लिये तो मन्त्री जी ही जिम्मेदार हैं।

श्री बंशीधर शुक्ल---तो मैं सरकार से ही कहना चाहता हूं कि वह इस प्रकार के कुकृत्य क्यों कर रही है। इस तरह के सिक्के चला कर गरीबों के साथ कितनी ज्यादती की जा रही है। आज तो हालत यह है कि जहां हम पहले पैसे को अपनी टेंट में, अपनी जेब में रख लिया करते थे वहां अब नये पैसे को रखना एक बोझ सा मालूम होता है। आज तो कोई सिवा कागज के नोट के और कोई सिक्का अपने पास रखना पसन्द नहीं करता है। इसी तरह से बाट के मामले में सरकार यह कर रही है कि जो सदियों से नाप तोल का पैतृक सिक्का लोगों के घरों में चला आ रहा है उसको सरकार कानून के द्वारा रद्द करने जा रही है। जब कि सरकार द्वारा देश एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा है बल्कि सरकार द्वारा इस देश का सत्यानाश ही होने वाला है। यह सरकार दिन पर दिन नीचे की ओर लिये जा रही है, इस तरह से बाट को बदल कर कोढ़ में खाज पैदा कर देना है। इस सरकार के राज्य में देश में गरीबी, मंहगाई और भुखमरी बढ़ती जा रही है। लड़ाई के जमाने में जब मंहगाई थी तो हम समझते थे कि वह जल्द ही दूर हो जायगी, लेकिन वह और बढ़ी अब सिक्के के बदलाव द्वारा तो भयंकर गड़बड़ी पैदा हो जायगी, जिससे देश का विनाश हो सकता है। इसलिये मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि वह इस प्रकार की भलमनसाहत न करे। देश की जनता इस सरकार को दिन प्रतिदिन घृणा की दृष्टि से देखती जा रही है। अभी तक तो ये सिक्के बदलने की बात देहातों में नहीं पहुंच सकी हैं, लेकिन जब यह हवा देहातों में पहुंच जायेगी तो गांव वालों को एक वज्र का गोला सा लगेगा। मैं समझता हूं कि इस नये बाटों का प्रचलन करना कोई अच्छी बात नहीं होगी। हमारे कहने का मंशा यह है कि सरकार भले की कल्पना ही नहीं करती है, उसके द्वारा देश में एक नये तरह की आफत पैदा होने वाली है।

श्री उपाध्यक्ष---आप उसी बात को बार-बार न दोहरायें।

श्री बंशीधर शुक्ल---मेरे कहने का मतलब यह है कि इससे जो गड़बड़ी पैदा होने वाली है उसका नतीजा सरकार को सन् १९६२ में मालूम होगा। इतना ही मुझे कहना था।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्यों से मैं निवेदन कर दूं कि जो बात पहले कही जा चुकी है उसको बार-बार दोहरायें नहीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमान्, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बीच में बोलना नहीं चाहता था, लेकिन श्रीमान् मंत्री जी के कुछ शब्दों को सुन कर मुझको आश्चर्य-सा हुआ। शायद वे इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। भारतीय जी ने स्पष्टरूप से कह दिया है, फिर से उसको दोहराना मैं ठीक नहीं समझता हूं। श्रीमन्, मंत्री जी को यह जान लेना चाहिये कि जो लोहे के बाट हैं वे १० साल में घिस-घिस कर बर्बाद हो जायेंगे ऐसी बात नहीं है। लोहा इतना ज्यादा नहीं घिसता है। मुश्किल से तोला दो तोला भले ही घिस जाय लेकिन वह इतना नहीं घिस सकता है कि बेकाम हो जाय। मंत्री जी ख्वामख्वाह इस तरह से एक स्वप्न की बात सोचते हैं। उनको यह मान लेना चाहिये कि जितने भी बाट चल रहे हैं उनकी कुछ कीमत होती है और देश हमारा ऐसा निर्धन है कि चन्द पैसा खर्च करना भी उसके लिये बोझिल बन जाता है। इस चीज को वह नहीं मानेंगे। उनका कहना है कि धीरे-धीरे इस कष्ट को जनता सह ले और सरकार इसके लिये कोई तेजी नहीं कर रही है। लेकिन जरा सोचा जाय कि जब सिक्का बदला जाता है तो सरकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके लिये अवधि देती है, लेकिन बाटों के बदलने में सरकार कुछ समय नहीं देना चाहती, बल्कि अपनी तरफ से स्टैंडर्ड माप रख देगी और बाकी सभी लोगों को उसी के मुताबिक खरीद कर लाना पड़ेगा। इस तरह से जनता पर ज्यादा खर्च पड़ेगा। इससे तो साफ-साफ कहिये कि हम नया टैक्स लगाना चाहते हैं, लेकिन यह बात न कह कर घुमा कर कहते हैं कि इसमें कोई प्रतिक्रिया या परेशानी नहीं होगी। यह क्यों नहीं कहा जाता कि जनता पर हम एक नया बोझ डाल रहे हैं जो उसे सहना होगा, लेकिन ऐसी हालत में आप यह समझ लें कि जल्दी यह चीज ग्राह्य भी नहीं हो पायेगी, न चल पायेगी।

सिक्के के चलाने में एक चीज बुद्धिमानी की सोची गयी कि पैसा-पैसा ही रहेगा। ६४ पैसे की जगह १०० पैसे रखे गये लेकिन पैसा-पैसा ही बना रहा। मंत्री जी ने यह कहा कि एक टेबिल है। हो सकता है कि वह टेबिल किन्ही खास खास संस्थाओं के पास दिया हो लेकिन विवाद करते समय मेरे पास कोई टेबिल नहीं है और न वह यह समझा सके कि वह टेबिल कहां तक ग्राह्य है। मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि टेबिल उनका चाहे जो कुछ हो लेकिन वह इतना अमान्य है, इतना गैर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उसे नहीं समझा जा सकता जब तक कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों से चलने वाले पैमाने मन, सेर, छटांक, तोला, मासा, रत्ती और गिरह, गज के समवर्ती कोई चीज न लाई जायगी। जब तक यह न किया जायगा कि जनता उसे जल्दी समझ ले तब तक जनता के लिये इसे समझना दुरूह हो जायगा, लेकिन यहां तो लक्ष्य केवल यह है कि सारी चीज देश की इंटरनेशनलिज्म के साथ जोड़ दी जाय, यह भावना जो है पं० जवाहर लाल जी की वह काम कर रही है, हमारे देश की संस्कृति व सभ्यता इसको हज्म कर पाये या न कर पाये, यह उनके लिये सोचने की बात नहीं है। उनका तो यही सोचना है कि दूसरे देशों के साथ हमारा घोड़ा भी दौड़े, चाहे वह अटक जाय लेकिन दौड़े जरूर। मैं समझता हूं कि अन्य बातों में दौड़ते तो ज्यादा अच्छा था। देश में खाद्य की उत्पत्ति होती, देश में सम्पन्नता आती तो अधिक अच्छा होता।

श्री उपाध्यक्ष—आप पुराने बाटों के इस्तेमाल पर ही सीमित रहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं बाटों की ही बात कह रहा था। बाटों के लिये यह सरकार बड़ी उतावली है। कल कामरोको प्रस्ताव के जरिये सरकार के सामने यह चीज रखी थी कि लोग भूखों मर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन बाटों को समवर्ती करने के लिये बड़ा सुन्दर बिल ला कर सरकार बड़ी जल्दबाजी करना चाहती है। माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें कि यह गरीब देश है, अगर पैसे के रूप में जरा सा भी बोझा डाला जायगा तो जनता उसका विरोध करेगी। इस चीज को समझ कर अगर कुछ सुधार किया जाय तो ठीक है। सुधार के लिये मैं स्वागत करता हूं लेकिन सुधार ग्राह्य होना चाहिये, ऐसा न हो जिसे हम हज्म न कर सकें। इसलिये इस छोटे संशोधन में यही बात अन्तर्निहित है। आशा है कि खाद्य मंत्री जी इसको सोचेंगे और देखेंगे कि अदल-बदल के चीज मिलने में जनता की हानि नहीं होगी यदि हमें बटखरे मिलते हों और थोड़े चार्जेज उसके ट्रांसफरेंस में सरकार ले, ऐसी कोई व्यवस्था होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहां कोई ट्रांसफरेंस की बात नहीं है। वह कहते हैं कि हमारे लाइसेंसी होंगे जिनके द्वारा बाट तैयार किये जायेंगे। लेकिन जो हजारों और लाखों की कीमत के बाट छोटे से लेकर बड़े तक मौजूद हैं वह जनता के लिये धीरे-धीरे करके उनको बरदाश्त करना पड़ेगा। लेकिन धीरे-धीरे ही सही यह चीज जनता के लिये दुखदाई होगी और अनुचित होगी।

श्री मदनमोहन वर्मा (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस छोटे से प्रश्न पर हमारे विरोधी मित्रों ने सारे देश विदेश की जो नीति है उसको कह डाला। यहां तक कि माननीय नेहरू जी नहीं छूटे हैं। प्रश्न तो कुछ संख्या का है। उसे भारतीय जी ने बहुत स्पष्ट रूप से रखा किन्तु हमारे मित्र-गण विरोधी पक्ष के, इधर-उधर स्वयं बहकते हैं और मंत्री जी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वह उनकी बात समझते नहीं। केवल प्रश्न इतना है

[श्री मदनमोहन वर्मा]

कि पुराने बाट जो बेकार हो जायेंगे, उनका कम्पेन्सेशन लोगों को दिया जायगा। भारतीय जी का कहना है कि दिया जावे। अतः विचारणीय प्रश्न यह है कि गवर्नमेंट, उन व्यापारियों का जो नुकसान होगा उसको पूरा करे या न करे। इतना ही प्रश्न है।

श्रीमन्, सरकार के पास धन स्वयमेव तो आता नहीं वह भी जनता से कर द्वारा आता है। तो जो इस समय हमारे सामने प्रस्ताव है उसका अर्थ यह है कि जनता से लेकर सरकारी कोष से जनता को दिया जावे। व्यापारी को जिन बाटों के बारे में हम उनसे कहेंगे कि अब यह बाट प्रचलित नहीं है, यह बेकार हो गये, उनके स्थान पर दूसरे बाट वह लें और पुराने बाट बेकार हो गये उन पुराने बाटों के लिये गवर्नमेंट प्रतिकर दे। गवर्नमेंट कहां से देगी? टैक्सेशन जो सरकार करती है उसी कोष में से देगी। तो कोई ऐसा न्यायोचित कानून होना चाहिये कि कम्पेन-सेशन देना सरकार के लिये अनिवार्य हो तभी यह प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। इसका सही पहलू और है, वह यह है कि प्रत्येक दूकानदार जिसके पास बाट होते हैं वह किसी न किसी समय तो घिस जाते ही हैं। माननीय अवस्थी जी कहते हैं, कि दस वर्ष में तोला, दो तोला घिस जाते हैं, मान लिया जाय कि १२ वर्ष में वह घिसने पर बदलते हैं। तो कभी न कभी तो वह बाट बदलेंगे, और जब व्यापारी अपने बाट बदलता है उसका कुछ खर्च होता है या नहीं? होता है। और जब खर्च होता है, तो उसके सम्बन्ध में वह कोई व्यवस्था अपने वस्तु विक्रय मूल्यों में कर लेता है या नहीं कर लेता है। वह तो अपना सारा खर्चा दूकान की बिक्री से निकाल ही लेता है। तो प्रश्न यह रह जाता है, अगर यह उचित मान लेने पर जैसा कि सदन ने मान लिया है, जैसा कि हमारी पार्लियामेंट ने मान लिया है, कि इस नई प्रणाली को हमें प्रचलित करना है देश में, जब यह सिद्धान्त स्वीकार हो गया है, तो उसके साथ-साथ अवश्यमेव आने वाली अड़चनें जो हमारे व्यापारी जन के सामने उपस्थित होंगी उनके बावजूद नई बाट प्रणाली सिद्धान्त स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि क्या वे अड़चनें ऐसी हैं जिसके लिये हम जनता को प्रतिकर दें, कम्पेन्सेशन दें? यह प्रश्न है और यह प्रश्न ऐसा है जिसके सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया कि जो हमारे व्यापारी जिन बाटों का प्रयोग करते हैं, उन्हें बदलते हैं, उसके लिये वह अपनी बिक्री द्वारा व्यवस्था कर लेते हैं या तो क्षति पूर्ति हम दें तो वह जनता का धन और या दुकानदार जनता से वसूल कर ले, बात एक रही तरीके दो। मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सी ऐसी बात है, जिस पर हम यह निश्चय से विचार कर लें कि यह विधेयक जो हमारे सामने उपस्थित हुआ है वह उचित नहीं है या अनुचित है। यह प्रश्न समाप्त हो चुका। अब तो औचित्य मान लिया सदन ने, अब तो विधेयक के ऊपर विचार करना है, इसे पारित करना है। सिद्धान्त स्वीकार करने के बाद, प्रश्न ओछा-सा रह जाता है, कि इसके सम्बन्ध में जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा है उस प्रस्ताव को गवर्नमेंट किस प्रकार से स्वीकार करे, प्रतिकर किस प्रकार और कैसे दें। कैसे उसका प्रतिकर दिया जावे यह भी प्रश्न है। इसमें सिवाय कन्फ्यूजन और परेशानी के और किसी का लाभ नहीं हो सकता। तो मेरा निवेदन यह है कि जहां तक इस संशोधन का प्रश्न है, उसमें वस्तुतः न महत्व है, न गुरुता है और न कोई न्याय ही विशेष है जिसके लिये हम इतने परेशान हों। यही मुझे कहना है।

श्री उग्रसेन—माननीय पाध्यक्ष महोदय, माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने जो संशोधन पेश किया है, उसके सम्बन्ध में मदनमोहन वर्मा जी की बात सुनने के बाद केवल दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। अब मदनमोहन वर्मा जी ने फरमाया कि इसमें है क्या। जनता से लेकर जनता को देना। यह बात उन्हें खलती है कि जनता से लेकर और फिर जनता को दें। यह काम नहीं होना चाहिये, ऐसा उनके भाषण से टपका। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रजातंत्र का सिद्धान्त है कि जो सरकार जनता से लेकर कुछ सूद सहित जनता को लौटाती नहीं है वह सरकार प्रजातांत्रिक होने का दावा कर नहीं सकती। यह डेमोक्रेसी का उसूल है। अगर आप उनको बाट देते हैं तो दाम पर देंगे। तो आपके सामने पहले यह प्रश्न आता है, उपस्थित हो जाता है सरकार के सामने कि आखिर उनके पास जो निधि है बाटों की

उनका क्या होगा । श्रीमन्, विज्ञान का भी सिद्धान्त है, जब हवा उड़ती है, गर्मी की वजह से वैक्यूम क्रिएट होता है, तो उस स्थान को भरने के लिये बाहर की हवा आती है । तो जब इस देश और प्रदेश में जिनको रिप्लेस करना है, जिनकी जगह पर दूसरी चीज देनी है, उस वस्तु का कोई प्रबन्ध सरकार नहीं कर सकती है तो सरकार को कोई हक नहीं है कि आगे की व्यवस्था लागू करे या आगे की व्यवस्था के बारे में विधेयक लाये । तो सरकार को जनता के पास जो बाट है उनका कुछ प्रबन्ध करना पड़ेगा ।

एक बात और माननीय मदनमोहन वर्मा ने कहीं कि यह तो मुआविजे की बात होगी । माननीय मदनमोहन वर्मा जी एक बहुत बड़े कानून के विशेषज्ञ हैं और उनके भाषण अक्सर कानून सम्बन्धी मसलों पर हुआ करते हैं । हमारे भारतीय संविधान में इस बात का प्राविजन है, धारा रखी है कि अगर कोई चीज किसी की लेते हैं तो उसका मुआविजा देना पड़ता है । हमने तो मांग की थी कि जमींदारी बिना मुआविजे के तोड़ी जाय । सोशलिस्ट पार्टी ने मांग की थी, लेकिन सरकार ने नहीं माना और मुआविजा दिया जमींदारों को । तो मुआविजे से क्यों घबड़ा रहे हैं । जब गरीबों को देना होता है तो नहीं देना चाहिये और राजा महाराजाओं को, सरदारसिंह मजीठिया को देना होगा तो देना चाहिये । मंत्री जी ने एक बात कही कि हम क्या करें । हम तो मापक यंत्र उदाहरण के तौर पर रखेंगे और लोगों को लाइसेंस देंगे कि वह अपने यहां बांट बनाये । तो मैं तो यह सुझाव देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि जब आप नगरपालिका क्षेत्र में लागू करने जा रहे हैं तो वहां पर क्या नगरपालिका क्षेत्र में एक डुग्गी पिटवाकर या अखबारों में शाया करेंगे कि अपने अपने बाटों को सब लोग जमा करें ? क्या उन लाइसेंसिंग अथारिटी को माननीय मंत्री जी यह हुकुम नहीं दे सकते हैं कि इतना आप खर्च करें और इतना सरकार देगी, और यह जो बाट का हिसाब और माप है वह बनाकर उन्हें दे दें ? इसके लिये तो शायद सरकार को एक पन्ना कागज की भी जरूरत न होगी और उसमें भी शायद एक दो वाक्य से अधिक न लिखना पड़ेगा । लेकिन सरकार तो जब उसकी इच्छा होती है तो रास्ता निकाल लेती है, लेकिन यहां तो सरकार की स्वयं इच्छा ही नहीं है । मंत्री जी फरमाते हैं कि हम क्या करें यह कानून तो केन्द्र ने बना दिया, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर इस प्रदेश की सरकार एक प्रजातान्त्रिक सरकार होती और एक दमदार सरकार होती तो जब वह राय के लिये घुमाया गया था और इस सरकार की राय मांगी गई थी तो उस वक्त इस सवाल को बहुत सख्ती के साथ उठाना चाहिये था और जवाबतलब किया होता । मगर उस वक्त कोई चीज नहीं उठाई गई ।

हमने इतिहास में पढ़ा था कि जब मोहम्मद तुगलक दिल्ली से दौलताबाद को अपनी राजधानी ले गया था तो उसने आदेश दिया था कि दिल्ली वालों सब चलो, सारी फौज चली और कुत्ते बिल्ली भी ले जाये गये और उसने खयाल रखा कि कुत्ते बिल्लियों को भी तकलीफ न हो । उसको इतिहासकार और लोग पागल कहते हैं, लेकिन यह सरकार जो इस तरह के कानून बना रही है, इन्सानों पर सत्य बात के लिये गोली चलाई जाती है, घेरा डालो आन्दोलन के लिये जेल में बन्द किया जाता है । अगर दो रुपये मन गन्ने की बात कही जाती है और चीनी ३२ रुपया मन बिकती है तो गिरफ्तार किया जाता है । इसके लिये भी सरकार से कहते हैं कि दो आने और दो । हमारी सारी पंचवर्षीय योजनायें टैक्सेज की योजनाएं बनती चली जाती हैं । हमारा कहना है कि मैट्रिक बाटों को पुराने बाटों के बदले में दिया जाय । आप ११२ करोड़ ३० बरस में ले सकते हैं, लेकिन २ आने के बाटों का प्रबन्ध नहीं कर सकते । आप कहते हैं कि पुराने बाटों को गोमती में, समुद्र में और त्रिवेणी में फेंक दो और हमारे बाटों को लाइसेंसिंग अथारिटी से दाम देकर खरीदो । जब कि हमारे यहां उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की आय १९८ से १९२ रह गई, लेकिन सरकार उन्हीं किसानों पर यह बोझ डालना चाहती है ।

श्री उपाध्यक्ष—आप बजट के विवाद को यहां न छेड़ें ।

श्री उग्रसेन—इस तरह से बाटों का काम जिनको दिया जायगा उन भ्रष्टाचार की गुंजायश होगी . . .

श्री उपाध्यक्ष--संशोधन केवल इतने का ही है कि पुराने बाटों का क्या होगा, आप मूल विधेयक के सिद्धान्तों पर न जांय।

श्री उग्रसेन--जब सरकार अपनी तमाम कम्पनियां खोल रही है और तरह तरह का सामान वहां बनाने की योजनायें हैं ....

श्री उपाध्यक्ष--आप संशोधन पर ही बोलें। आप मना करने पर भी असंगत बोल रहे हैं और नहीं मान रहे हैं।

श्री उग्रसेन--मैं केवल यही कह रहा था ...

श्री उपाध्यक्ष--जी नहीं, आप केवल संशोधन पर ही बोलें।

श्री उग्रसेन--मैं कह रहा था कि चेकोस्लावाकिया में जेटर्स ट्रैक्टर्स स्क्रेप्स से बन सकते हैं तो यहां की सरकार क्या कोई कम्पनी स्क्रेप्स से बाट बनाने की नहीं खोल सकती और गरीब लोगों को इस हानि से नहीं बचा सकती ? आप रेहन्ड डेम बना सकते हैं, बड़े काम कर सकते हैं तो यह कौन बड़ा काम है। सरकार तो भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहती है। बस मंत्री जी ने लच्छेदार भाषण दे दिया और सारी अक्ल का ठेका ले लिया, बदकिस्मती से वह हमारे सिर पर बैठे हैं। अब देखना है कि सन् १९६२ में क्या होगा। अभी १३ छटांक दाल तक साढ़े ३५ हजार वोट का कार्टून निकला तो बाट के नीचे ७०,००० वोट का कार्टून निकलेगा, यह मैं बतलाये देता हूं। मुझे कहना वहीं चाहिये, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी जो कहती है वह करती है, ईमानदारी के रास्ते पर चलती है, इसलिये निवेदन करता हूं कि हमारे संशोधन को अब भी मान लें।

*श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बाट की जो बात चल रही थी वह मसला सिर्फ हमारे सन्मुख इतना ही है कि जो पुराने बाट हैं उनका क्या होगा। तो पुराने बाट सरकार लेने तो नहीं जा रही है। अगर सरकार की तरफ से यह बात होती कि पुराने बाट सरकार के कोष में जमा कर दिये जायं और सरकार उसका मुआवजा नहीं देगी तब तो हमारे माननीय सदस्य जो अभी भाषण दे रहे थे वह कह सकते थे कि एक चीज सरकार ले रही है और उसका मुआवजा नहीं दे रही है, लेकिन जिस चीज को सरकार ले नहीं रही है तो भी माननीय सदस्य चाहते हैं कि सरकार उसका मुआवजा जरूर दे। कहां तो पहले यह बात थी कि बिला मुआवजे के चीजें ली जांय और अब इतनी उसमें दिलचस्पी हो गयी है, सरगर्मी हो गयी है कि जो चीज ली नहीं जा रही है उसके मुआवजे का प्रबन्ध किया जाय।

जैसा अभी माननीय मदनमोहन जी ने कहा था कि जो पुराने बाट हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं वह किसी न किसी रूप में तो बदल जाते हैं, या कोई न कोई किसी प्रयोग में लिये जाते हैं, तो जो पुराने बाट होते जा रहे हैं उनके लिये और फैक्टरियां खुली हुई हैं, और भी व्यवस्था है जिसमें दे करके उसकी कीमत कुछ न कुछ वसूल कर सकते हैं। कोई ऐसी जरूरत तो नहीं मालूम होती कि यह बोझा सरकार के ही ऊपर लादा जाय कि वह उसको लेकर के किसी न किसी सूरत में उसको सर्फ करे। जैसा अभी दोहराया गया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। यह बोझा तो असल में आम जनता के ऊपर ही आकर के लदेगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरी समझ में यह चीज बिलकुल ही गर जरूरी मालूम होती है कि यह बोझा आम जनता पर लादा जाय जो कि चन्द व्यापारियों की चीज है। वह जैसा चाहें उसको अदल-बदल सकते हैं, किसी फैक्टरी में दे सकते हैं और उसकी कीमत वसूल कर सकते हैं। मेरी समझ में इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है और माननीय सदस्य इसको वापस लेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, बोलने का तो कोई इरादा था नहीं, इसलिये कि काफी लोग इस पर बोल चुके और काफी तफसील के साथ बात सदन में आ गयी। सिर्फ मसला इतना ही है कि पुराने बाट जो हैं उनका क्या हो। अभी मुझ से पहले जो साहब बोले हैं उन्होंने एक बात जो कही उसी पर कुछ बोलने की इच्छा हुई कि कहां तो मसला था कि बिला मुआवजे चीज ली जाय और अब मुआवजा देने पर इतना आ गय कि बाटों पर भी चाहते हैं। बात तो असल में यही है कि "तुम को लाहासिल है मेरी हसरतों का पूछना, तुम करो आखिर वही जो कुछ तुम्हारे दिल में है" जिस वक्त मुआवजा नहीं चाहते थे उस वक्त तो आपने दिया और जब चाहते हैं कि दिया जाय तो कहते हैं कि नहीं देंगे। जैसा कि वर्मा जी ने कहा कि आखिर पुराने बाट कुछ दिन के बाद घिसते हैं तो वह बदले जाते हैं, वह बदले नहीं जाते हैं बल्कि फिर से उन पर मुहर लगती है, पत्ती लगती है और फिर पूरे किये जाते हैं। बदले नहीं जाते हैं।

अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर यह सरकार है किस लिये? जनता की कोई चीज, आप ही के कौल से, जब लेंगे तो कुछ देंगे। आपने कहा कि कुछ थोड़े से लोगों के पास बाट हैं। आपकी यह बात मेरी समझ में कतई नहीं आयी। पता नहीं आप कौन से इलाके में रहते हैं या कौन से देश में रहते हैं। कोई घर और कोई दुकान ऐसी नहीं निकलेगी जिसके पास छोट-मोट, २,४,१०,२० बाट न हों। मान लीजिये कि आप हमारे बाट का पैसा नहीं देंगे लेकिन वह राष्ट्र की सम्पत्ति है या नहीं। हमने अगर उसे समुद्र में फेंक दिया इस डर से कि अगर वह हमारे पास पाया गया तो ५०० रुपये जुर्माना या ३ महीने की सजा काटनी पड़ेगी तो वह राष्ट्र की सम्पत्ति खराब हुई या नहीं?

आपने एक बात यह कही कि सरकार तो ले ही नहीं रही है इसलिये सरकार क्यों मुआवजा दे। बात तो असल में इस संशोधन में यही है कि दूसरों को लाइसेन्स दे कर नये बाट न बनवाइये बल्कि सरकार खुद नये बाट बनवाये और हमारे पुराने बाट ले और जो कुछ नये बाटों की कीमत हमारे पुराने बाटों से ज्यादा हो वह हम से ले ले ताकि हमारी चीज भी काम में आ जाये और सरकार की चीज भी काम में आ जाये। मेरी समझ में संशोधन का यही मन्शा है आप समझें या न समझें यह आपकी मरजी क्योंकि आप समझ कर भी अपने मतलब की बात के आगे नहीं मानत। आप यह समझते हैं कि गरीब की चीज है। .....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य एक सदस्य के लिये नहीं कह सकते। वे कह सकते हैं कि सरकार यह समझती है।

श्री बालकराम—तो सरकार यह समझती है कि यह गरीब की चीज है और राष्ट्र की चीज है लेकिन चूंकि गरीब को और गरीब बनाना है इसलिये उसका मुआवजा नहीं देंगे और इस संशोधन का मन्शा यह है कि गरीब की गरीबी और न बढ़े। हम यह चाहते हैं कि गरीब का नुक्सान न हो।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि इस विधेयक पर जिस ढंग से सदस्यों को दिलचस्पी लनी चाहिये थी वह सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ कर बाकी लोग नहीं ले रहे हैं, इधर सब खाली ही दिखाई पड़ रहा है। अक्सर लोग समझ लेते हैं कि इसम कुछ है ही नहीं। मैं आपको एक वाकया बतलाऊंगा। बिहार के सूबे में बाट का परिवर्तन हो चुका है। मैं गया जिले के एक बड़े कस्बे जहानाबाद में था और एक डाक बंगले में ठहरा हुआ था। उस समय लाइसेंसिंग अथारिटीज वहां पहुंचे हुये थ। वहां यह दुर्दशा हुई कि सारे के सारे व्यापारी बनिया हमारे पास आ गये। जिसने उनको १००, ५० टिका दिये उसके तो बांट सही हो गये और जिन्होंने कहा कि ऐसा हम नहीं कर पायेंगे उनके ऊपर वह मुसीबत आयी कि उनको मुश्कें बांध-बांध कर हवालात में भेज दिया गया। पता नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

कि सरकार को क्या हो गया है कि लोगों का पेट भरे, उनको कपड़ा मिले इसका तो प्रबन्ध नहीं करेगी पहले बाट ही बन जांयं, यानी सामान हो चाहे न हो मगर उसकी तौल हो जाय। यह सरकार ऐसा शोषण कर रही है कि हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसको क्या संज्ञा दी जाय।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—आप समझ भी नहीं सकेंगे।

श्री राजनारायण—ये सज्जन हैं, अबोध हैं, बेचारे पड़ गये हैं किसी फेर में, क्या किया जाय। मेरी दृष्टि में आपका भी शोषण कर रही है यह सरकार मगर आप समझ नहीं रहे हैं। आप समझेंगे बाद में। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो परिवर्तन हो रहा है अगर अन्ततोगत्वा हमारी कोशिशों के बावजूद भी सरकार तुली हुयी है कि इसको करे तो जहां तक न्याय हो पाये वह हो। रामस्वरूप जी का जो संशोधन है वह बहुत छोटा सा है मगर बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग जिनके पास तोलने के यंत्र हैं, बाट हैं और मशीन हैं वह आखिर उनका क्या करेंगे। खरीदने में उनका काफी रुपया लग जायगा। इसमें करोड़ों रुपया लग जायगा। यह भी देखा जाय कि इस विधेयक का मकसद तो केवल यही है कि तोलने में एकरूपता हो जाय तो इस एकरूपता को लाने के लिये कितने ही आदमियों को नये बाट खरीदने पड़ेंगे और उनका पैसा खर्च होगा तो उनको पैसा मिलना चाहिये। जो प्रणाली चल रही है हम उसको कोई रुचिकर नहीं समझ रहे हैं। लेकिन जब नाचीज ही खुदा बन बैठे तो हम क्या कर पायेंगे। इसके लिये तो जनता शक्तिशाली हो और वह नई शक्ति का सृजन करे तब यह चीज हो सकती है। लेकिन यहां पर तो हम ज्यादा समय न लेकर इतना ही निवेदन करेंगे कि यदि इस छोटे से संशोधन को मान लिया जाय तो क्या ऐसी मुसीबत हो जायगी। हमारे माननीय मित्र रईस फैजाबाद चले गये। वह तो बेचारे सीधे सादे आदमी हैं। उनको यह बारीकी महसूस नहीं होती है। लेकिन जब वह कल बाजार में जायेंगे या दुकानदार के पास जायेंगे तो उस समय वह देखेंगे कि क्या आफत आई है। तब उनको मालूम होगा कि क्या हो गया है। सरकार पहले समझती नहीं है। बाद को समझती है और जब सरकार समझती है तो उसकी प्रेस्टिज का सवाल आ जाता है। इसलिये हम उनको पहले से ही सचेत कर देना चाहते हैं। सरकार उनके संशोधन को माने और मुआवजा या कम्पेन्सेशन जैसे बड़े बड़े शब्दों को यहां लाकर अर्थ का अनर्थ करने की जरूरत नहीं है। सवाल सिर्फ इतना ही है कि जो तौल में एकरूपता लाने की व्यवस्था है उसको करने में जो लोगों को घाटा होगा उसके लिये सरकार कुछ प्रबंध कर दे। उनका संशोधन केवल इतना ही है। इसलिये हम इसका समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि उनमें बैटर सैंस प्रिवेल हो, उनमें सद्बुद्धि जाग्रत हो कि वह इस संशोधन को मान लें।

*श्री हरीसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो विधेयक पर काफी वादविवाद हो चुका है और मैं बोलना भी नहीं चाहता था क्योंकि मेरा गला पड़ा हुआ है। परन्तु विरोधी दल के श्री राजनारायण जी ने एक ऐसी बात कह दी जिससे मुझे बोलना पड़ा। सर्वप्रथम जो मुआवजे का सवाल था वह देश की एक ऐसी जटिल समस्या थी कि उसका देना अनिवार्य था। लेकिन जहां तक बाटों का सम्बन्ध है उसका सम्बन्ध चन्द व्यक्तियों से है, जो तौल का काम करते हैं, आम जनता उसे नहीं करती है। जो दूकानदार करते हैं उन्हीं से सम्बन्ध है। जहां तक दूकानदारों का सवाल है उसमें जब उनके बाट घिस जाते हैं तो न तो उसमें पत्ती लगायी जाती है न कुछ किया जाता है। दूसरी बात यह कि जब जब बाट बदलते हैं तब तब कोई कीमत नहीं दी जाती। सरकार ने एक ऐसी नीति निर्धारित कर दी कि बाटों में परिवर्तन होगा और मुझे अपने बाट बदलने होंगे तो पुराने बांट लोहे के खरीददार आज भी खरीदते हैं उस वक्त भी खरीदेंगे। नये बाटों को उसी कीमत से खरीदेंगे जो प्रचलित बाट आज जिस कीमत पर खरीदते हैं। तो जनता को कोई हानि नहीं है। मुआवजा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनता का यह प्रश्न नहीं है। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और मैं श्री राजनारायण जी को पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि जिस बात से उनका सम्बन्ध न हुआ करे, उस पर वह ज्यादा दखल अन्दाजी न किया करें। हम अबोध नहीं हैं। हम जानते हैं की श्री राजनारायण जी नहीं जानते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा फिर उनसे प्रार्थना करूंगा और भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि वह उन्हें सद्बुद्धि दे और वह हर मामले में कृपा करके टांग न अड़ाया करें।

श्री मुहम्मद हुसैन (जिला बरेली)---उपाध्यक्ष महोदय, इरादा तो मेरा नहीं था, कि वादविवाद में कुछ हिस्सा लूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी कही गयीं जिनका उत्तर देना मैंने जरूरी समझा। एक माननीय सदस्य ने कहा कि जिस वक्त इस बात को करना था उस वक्त पंक जवाहर लाल नेहरू ने प्रान्तीय सरकार से जरूर पूछा होगा, उस वक्त यह बात नहीं रखी गयी। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि दुनिया तो आगे बढ़ रही है। यह नहीं कहा गया कि विदेशी राज्य हवाई जहाज, समुद्री जहाज और दूसरी चीजों का फायदा उठायें, और अपने देश के लोग इसका फायदा न उठायें, इसमें समझदारी की बात नहीं है। हमें अन्य देशों के स्तर पर खड़ा होना है। इसलिये जो नयी चीजें की गयी हैं हमें उनको इस्तेमाल करना है। वे तंग नजरी से देख रहे हैं। सिर्फ इतनी बात उठायी गयी कि इन बाटों का क्या उपयोग हो। मैं बड़ी मामूली सी बात आपके सामने रख रहा हूं। कोई पुरानी चीज बेकार नहीं जाती। उसकी भी कीमत होती है। कूड़े की भी कीमत होती है। लोहा जो सोने से ज्यादा कीमती है वह बेकार जाने वाली चीज नहीं है। माननीय सदस्य यह कहते हैं कि उसे समुद्र में डाल दिया जाय या कुयें में डाल दिया जाय ऐसी कोई बात नहीं है। कई टुकड़े बनाकर लोग उसे अपने पास रख सकते हैं, बेंच सकते हैं लेकिन यह कहा जाय कि वह बेकार हो जायगा तो ऐसी बात नहीं है।

मामूली सी बात है। फैशन की वजह से बहुत सी चीजें बदल जाया करती हैं। औरतें अपने जेवरात बात की बात में फैशन में आकर बदल देती हैं। हम अपने कोट, पतलून वगैरह फैशन की वजह से खुशी में आकर बदल डालते हैं लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होता। मैं तो माननीय सदस्य से कहूंगा कि जो यहां पर है उसको मानना चाहिये और उन्हें अपना संशोधन वापस ले लेना चाहिये।

***श्री रामस्वरूप वर्मा**---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो उन उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे संशोधन के पक्ष में अपने तर्क उपस्थित किये हैं और अपने विचारों से लोगों को अपने पक्ष में ले आये हैं।

मैंने जब सरकारी पक्ष के लोगों के तर्कों को सुना तो मुझे बड़ी निराशा हुई। आश्चर्य तो इस बात पर हुआ कि जो सरकारी पक्ष के लोग बोले उन्होंने इस संशोधन को पढ़ा ही नहीं। अगर पढ़े होंगे तो समझे नहीं।

श्री फतेहसिंह राणा---सब समझ गये हैं। पढ़ा भी सब ने है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---आप तो बोले ही नहीं इसलिये क्या पता कि आपने पढ़ा भी है या नहीं। लेकिन जिन लोगों ने बोलने का प्रयास किया है उन्होंने मेरे संशोधन को पढ़ा नहीं है। मैंने पुराने बाट की बात कहां कही है? मेरा मतलब पुराने बाटों से नहीं है। उसमें लिखा गया कि अधिनियम के लागू होने के समय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बाट या माप या मानक जहां पर हों उनको तीन महीने के अन्दर जमा कर दें। हमारे प्रदेश में जो बाट चल रहे हैं वह सन् १९४७ के कानून के अनुसार प्रदेश में चल रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि जो पुराने हो गये हैं बाट उनको ले लिया जाय। जो बाट सन् १९४७ के कानून के अनुसार इस अधिनियम के लागू होने से पहले चल रहे हैं जैसे पंसेरी है या गज वगैरह हैं या दूसरी ऐसी चीजें हैं उनको बदलने का फर्ज

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

सरकार का है क्योंकि जब सरकार दूसरे बाटों को बाजार में लाना चाहती है तो उन बाटों को सरकार ले ले। इसमें मुआविजे और कम्पेन्सेशन की बात कहां है? किसी ने श्रीमन्, उधर से कोई तर्क तो दिया नहीं जो मैं उन तर्कों का जवाब देता लेकिन बिना समझे ही बातों को कह दिया गया है। इसीलिये मैं उनको समझा रहा हूं कि आज देहातों में हजारों आदमी इस तरह के हैं कि जिनके घरों में तौलने के बाट होते हैं नाप करने के यंत्र होते हैं उन यंत्रों को बेकार करने के बाद वह क्या करेंगे। उनका प्रतिनिधित्व वह कैसे कर सकेंगे। क्योंकि प्रदेश की बहुत बड़ी संख्या इससे प्रभावित होगी।

श्री हरीसिंह--सिर्फ चन्द दुकानदार ही प्रभावित होंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा--मालूम होता है कि हरीसिंह जी शहर में रहते हैं या कहीं विदेश से यात्रा करके आ रहे हैं क्योंकि अगर किसी गांव में पांच सौ आदमी रहते हैं तो वहां १०,२०,४० घरों में कोई न कोई तौलने या नापने के यंत्र जरूर हैं।

श्री हरीसिंह--मैं खूब जानता हूं कि देहातों में ऐसा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय हरीसिंह जी, यह तरीका उचित नहीं है कि जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो उनको बीच में इस तरह से टोका जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा--अगर हरीसिंह जी कुछ कहना चाहें तो श्रीमन् में बैठकर उनको सुनने के लिये तैयार हूं। क्योंकि अगर वे समझ गये होते तो बोलने के लिये न खड़े होते। क्योंकि इस बात को समझकर कोई बोला नहीं है, जब यह बात सामने आ गई तो यह निश्चय हो गया कि उनके पास कोई तर्क नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि सरकार जिस चीज को मानती है और सरकार की मान्यता प्राप्त है अगर उनका चलन सरकार बन्द कर दे तो क्या वह खराब हो जायेंगे। सरकार उनको बदलने के लिये नहीं कहती है। मैं यह कहता हूं कि जो बाट अभी तक कानून की रू से लागू हैं और जो आज तक उचित बतलाये जाते हैं उनको अगर सरकार आगे चलाना नहीं चाहती है तो उनको बदल दे। इसमें माननीय मंत्री जी को क्या कठिनाई है यह उन्होंने नहीं बतलाया। मेरे एक मित्र ने कहा कि कठिनाई नहीं है। मुझे इससे मतलब नहीं है कि सरकार जो यह लोहे के कारखाने खोल रही है। वहां वह भेजकर लोहा बना ले या अगर सरकार दूसरे आदमियों को लाइसेंस देकर बाट बनाने के लिये कहती है जो कि सरकार के जो मान्यता प्राप्त होंगे तो उनको नये बाटों में बदलने के लिये कहे। बस इतनी सी बात है। इसमें मंत्री जी को क्या कठिनाई हो रही है। क्या यह कानून जो ढलाई करने वाले लोग होंगे उनके ऊपर लागू नहीं होगा अगर सरकार इस तरह का नियम बना दे कि टाउन एरिया या म्युनिसिपैलिटी में किसी जगह भी जो बाटों को आज मान्यता प्राप्त है अगर वह उन बाटों को जमा कर दें तो उनके बदले में सरकार बाट दे दे तो बस मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह एक बहुत ही सामान्य सिद्धांत का प्रश्न है इसमें कोई खास विवाद की बात मुझे दिखाई नहीं देती। इसलिये मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसको मान लें ताकि इसका मंशा साफ हो जाय।

***श्री जगमोहनसिंह नेगी**--उपाध्यक्ष महोदय, इस सीधे से प्रश्न पर काफी विवाद हो गया। मैंने पहले यह बात कही थी कि १०,१२ वर्ष में यह बाट घिस जायेंगे। मगर उस बात को सुना नहीं गया और इस बात को काटकर अवस्थी जी ने अपनी बात कह दी। भारतीय जी ने कहा कि मैं उसको समझ नहीं पाया। यह हो सकता है कि जो बात मैंने कही है वह उनको पसन्द न आई हो। मैंने इस बात को स्पष्ट कहा था कि पुराने बाटों का जहां तक ताल्लुक है यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसी काम में तो आयेंगे नहीं और यह आयरन या स्क्रेप मैटीरियल में रह जायेंगे । अगर वह लोहे के व्यवसाय के लाइसेंस वालों के काम आ सकते हैं तो कुदरतन वहां पर ढलने के लिये चले जायेंगे । जैसे आपके घरों में पुराने बरतन होते हैं तो आप उनको बाजार में बदल लेते हैं क्योंकि वह भी तो हमारा नेशनल लास है । अगर मान लीजिये कि कोई चीज ऐसी हो जाय कि जो हानिकर हो, जैसे पब्लिक हेल्थ वाले अल्मोनियम को अगर यह कह दें कि जो आदमी इसको इस्तेमाल करेगा और जो इसमें खाना खायेगा उसको टी० बी० हो जायगा तो बहुत मुमकिन है कि प्रोहिबिट करना पड़े तो वे बेकार होंगे । तो क्या उनको सरकार खरीदेगी ? यह बहुत बड़ी कठिनाई का प्रश्न है । यह भी कहा गया कि कम्पेन्सेशन के बिना कोई चीज नहीं लेना चाहिये । मगर जब इसका जवाब दिया गया तो राजनारायण जी ने कहा कि यहां पर सिद्धांत का प्रश्न न लाइये । दूसरे सदस्य ने कहा कि जब हमने कम्पेन्सेशन मांगा तब आपने दिया नहीं और जब हमने नहीं कहा तब दिया । गवर्नमेंट जहां पर यह समझती है कि कम्पेन्सेशन दिया जाना चाहिये वहां पर कम्पेन्सेशन दिया गया और वैधानिक तौर पर दिया गया जैसे जमींदारी उन्मूलन की बात थी । अगर आर्गूमेन्ट आपकी समझ में न आये तो मेरा दोष नहीं है ।

(श्री उग्रसेन द्वारा व्यवधान किये जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष---उग्रसेन जी, यह बड़ी खराब बात है । हर एक माननीय सदस्य को स्वतंत्र होकर अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिये ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---सोशलिस्ट पार्टी की यह नीति थी और उन्होंने जमींदारी उन्मूलन के समय कहा भी कि सारी जमींदारी ले ली जाय और कोई कम्पेन्सेशन न दिया जाय हम तो संविधान से बंधे हुये थे कि बगैर कम्पेन्सेशन के किसी की चीज न लें । आपने तो अपनी नीति बना रखी है कि बिना कम्पेन्सेशन के ही किसी की चीज ले सकते हैं । तो जब बड़ी चीज सामने थी, हर एक से उसका टच था, हर एक पर उसका असर पड़ता था उस समय तो आपने आपत्ति नहीं की और आज जिनकी चीज भी हम नहीं ले रहे हैं, बल्कि उनको पूरा मौका है कि वह अपने पुराने बाटों को लेकर लाइसेंस फाउन्ड्रीज में रिकास्ट करा लें तो आपको परेशानी है । आजकल घर-घर में पुराने डब्बे खरीदने वाले लोग फिरा करते हैं, ऐसा होने से ही दो चार लोगों को इम्प्लायमेंट मिल जायगा । तो नेशनल लास रत्ती भर भी नहीं है ।

सिक्कों का जहां तक सवाल है, उनको सरकार ढालती है और इसलिये सरकार की जिम्मेदारी है कि पुराने सिक्कों को वह ले । यह बात रीजिनेबिल भी है । अगर सरकार इन बाटों की फाउन्ड्रीज को खुद खोलती तो सरकार को निश्चय ही उन पुराने बाटों को ले लेना चाहिये था और उनके बदले नये बाट देती या वे पैसा दे कर नये बांट खरीद लेते, लेकिन चूंकि सरकार खुद यह काम नहीं कर रही है इसलिये ऐसा नहीं किया गया । अगर आप कहें कि हम फाउन्ड्रीज भी चलायें और पुराने बाटों को लेकर बदलें भी, तो वही भ्रष्टाचार के बढ़ने की बात फिर आ जायगी । हम एक झमेला और ले लेंगे । तो इस वक्त जितनी कुव्वत है, जितनी ताकत है, जितना काम करने की शक्ति है उसी को हम कर रहे हैं ।

अब कुछ इंडस्ट्रीज हमारे प्रदेश में हैं जो इस काम को कर रही हैं । वह जब बाटों को बना रही हैं तो उन्हीं के द्वारा अगर इस काम को चलाया जाय तो क्या हर्ज है ? इसमें नुकसान किसका हो रहा है ? अगर हरी सिंह जी की बात मान भी ली जाय कि बाट इतने हैं तो क्या बुराई है । वह तो दुबारा ढल जायेंगे । अगर ढल नहीं सकते तो मैं नहीं समझता कि उन बाटों की कीमत क्या होगी, लेकिन उनका दूसरा क्या उपयोग हो सकता है इसको ढूंढने की कोशिश की जायगी और इस विषय पर इस असेम्बली में इस संशोधन के आने के पूर्व ही हमारी बातचीत सेंट्रल गवर्नमेन्ट की मिनिस्ट्री आफ कामर्स से चल रही है कि इनका डाईवर्जन लाइसेंस्ड फाउन्ड्रीज में किया जा सकता है या नहीं । अगर ऐसा हो सकता है तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अगर इस्तेमाल न किये जा सके तो मैं यही कहूंगा कि उनके उपयोग का उपाय सोचा जाय । यह टैक्स पेयर का पैसा है, हम उसको बेकार में क्यों टाल दें यह समझ में नहीं आता । लेकिन

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

जहां तक मैं समझता हूं, यह फाउन्ड्रीज में काम आ जायेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जहां तक यह कहा गया कि इस विधेयक के अन्दर यह रखा जाय कि सरकार उन बाटों को ले, मैं यह कहना चाहता हूं कि कम से कम सोशलिस्ट पार्टी के अनुभवों के अनुसार जो कि कम्पेन्सेशन देने के विरोध में रहे हैं उनकी तरफ से ऐसा संशोधन नहीं आना चाहिये नहीं तो आगे उनका भी रिकर्ड खराब हो जायेगा। इसलिये मैं उनको सुझाव के तौर पर यह बात बता रहा हूं कि वे चाहे इसको मानें या न मानें....

एक सदस्य--यह संविधान के अन्दर है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--ठीक है, जो संविधान के अन्दर है उसी के अनुसार वे चलें। लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि हम कहीं किसी की चीज का कहां अपहरण कर रहे हैं, बिना पैसा दिये हुये कर रहे हैं। उनको पूरा मौका है कि फाउन्ड्रीज में जाकर उनको बदल लें।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ के पश्चात् खंड ७-अ निम्न प्रकार से बढ़ा दिया जाय :

"यदि किसी व्यक्ति या संस्था के पास इस अधिनियम के लागू होने के समय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बाट व माप के मानक-यंत्र हों तो वह उन्हें तीन मास के अन्दर जमा करके उनके समान नये बाट व माप के मानक-यंत्र राज्य सरकार से निःशुल्क प्राप्त कर सकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--२४,

विपक्ष में--१०१।)

खंड ८-१५

कुछ दशाओं में केवल बाट अथवा केवल माप का प्रयोग नियत करने का अधिकार

८--(१) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, यह निदेश दे सकती है कि किसी निर्दिष्ट व्यापार अथवा व्यापारों के वर्ग में कोई व्यवहार, अथवा संविदा, यथास्थिति, बिना बाट अथवा माप के नहीं किया जायगा।

(२) इस धारा के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति ऐसे क्षेत्र में, ऐसे दिनांक से और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जो उसमें निर्दिष्ट किये जायं, प्रभावी होंगी।

अध्याय ३

बाटों तथा मापों का परीक्षण तथा मुद्रांकन

व्यापारिक बाटों तथा मापों पर अभिधान अंकित करना

९--व्यापारिक बाट अथवा माप के रूप में प्रयोग के लिये निर्मित प्रत्येक बाट तथा माप पर उस भार अथवा माप का वर्णन, ऐसी रीति से जो नियत की जाय, सुपाठ्यरूप में अंकित होगा।

अमुद्रांकित व्यापारिक बाटों तथा मापों की बिक्री तथा प्रयोग का निषेध

१०--कोई भी बाट अथवा माप अथवा तोलने या मापने का यंत्र तब तक न बेचा जायगा, न दिया जायगा और न व्यापार या वाणिज्य में प्रयुक्त किया जायगा, जब तक कि वह नियत रीति से परीक्षित अथवा पुनः परीक्षित न हो गया हो तथा उसे निरीक्षक ने नियत रीति से परीक्षण-मुद्रा से मुद्रांकित न कर दिया हो।

राज्य सरकार का विमुक्ति का अधिकार

११--यदि किसी व्यापारिक बाट अथवा माप का आकार ऐसा हो कि उसके कारण उस पर धारा ९ के उपबन्धों के अधीन अभिधान (denomination) का अंकन अथवा धारा १० के उपबन्धों के अधीन मुद्रांकन अव्यवहार्य हो, तो राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, ऐसे बाट अथवा माप को उस अंकन अथवा मुद्रांकन से विमुक्त कर सकती है।

बिना लाइसेंस के बाट या माप के निर्माण आदि का निषेध

१२--नियत रीति से प्राप्त लाइसेंस के बिना, कोई भी व्यक्ति, किसी व्यापारिक बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र का निर्माण, अथवा उसकी मरम्मत या उसका विक्रय नहीं करेगा।

सीलबंद पात्र पर भार अथवा माप का अंकन

१३--कोई भी व्यक्ति सील बंद पैकेट अथवा पात्र में कोई वस्तु तब तक न बेचेगा, न बिक्री के लिये प्रस्तुत अथवा प्रदर्शित करेगा, और न बिक्री के लिये अपने कब्जे में रक्खेगा, जब तक कि उस पैकेट अथवा पात्र पर अथवा उस पर सुरक्षित रूप से लगे लेबिल पर उसमें बन्द वस्तु का शुद्ध भार अथवा माप अंकित न हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के उपबन्ध उस वस्तु की बिक्री या उसके बिक्री के लिये प्रस्तुत अथवा प्रदर्शित किये जाने या बिक्री के लिये कब्जे में रखे जाने पर लागू न होंगे जो साधारणतया व्यापार या वाणिज्य के व्यवहारों में भार या माप के अनुसार न बेची जाती हो।

नियंत्रक, उप-नियंत्रक, सहायक नियंत्रक तथा निरीक्षकों की नियुक्ति

१४--(१) इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बने नियमों द्वारा अथवा उनके अधीन उन्हें प्राप्त अथवा उन पर आरोपित अधिकारों के प्रयोग तथा कर्त्तव्यों के पालन के लिये राज्य सरकार राज्य के लिये एक बाट तथा माप नियंत्रक तथा आवश्यक संख्या में बाट तथा माप के उप-नियंत्रक और सहायक नियंत्रक तथा निरीक्षक नियुक्त कर सकती है।

(२) राज्य सरकार, साधारणतया विशेष आदेश द्वारा उन स्थानीय सीमाओं को परिभाषित कर सकती है जिनके भीतर प्रत्येक उप-नियंत्रक, सहायक नियंत्रक तथा निरीक्षक इस अधिनियम या इसके अधीन बने नियमों द्वारा या उनके अधीन उसे प्राप्त अथवा उस पर आरोपित अधिकारों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

(३) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, बाट तथा माप के समस्त उप-नियंत्रक, सहायक नियंत्रक और निरीक्षक अपने कृत्यों का सम्पादन, नियंत्रक के सामान्य अधीक्षण तथा नियंत्रण में करेंगे, और बाट तथा माप के नियंत्रक, उप-नियंत्रक और सहायक नियंत्रक इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उन्हें प्राप्त अथवा उन पर आरोपित अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के अतिरिक्त, किसी भी ऐसे अधिकार का प्रयोग अथवा कर्त्तव्य का पालन कर सकेंगे, जो इस प्रकार निरीक्षकों को प्राप्त हो अथवा उन पर आरोपित किया गया हो।

निरीक्षकों द्वारा परीक्षण तथा मुद्रांकन ऐक्ट ८९, १९५६।

१५--(१) प्रत्येक निरीक्षक बाटों तथा मापों और तोलने तथा मापने के यंत्रों के परीक्षण के लिये अपने अधिकार-क्षेत्र के भीतर ऐसे स्थानों में और ऐसे समय पर उपस्थित रहेगा जो नियंत्रक तदर्थ निश्चित करे।

(२) निरीक्षक परीक्षण के लिये अपने पास लाये गये प्रत्येक बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र का परीक्षण करेगा और यदि वह ऐसे बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र को शुद्ध तथा स्टैंडर्ड्स आफ़ वेट्स ऐंड मेजर्स ऐक्ट, १९५६ के तथा उसके अधीन बने नियमों के अनुरूप पाता है तो वह उसे नियत रीति से, परीक्षण की मुद्रा से मुद्रांकित कर देगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ से १५ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १६

निरीक्षण आदि करन का अधिकार

१६--(१) निरीक्षक अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र में समस्त उचित समयों पर ऐसे बाट, माप तथा तोलने और मापने के यंत्रों का, जो व्यापार या वाणिज्य के व्यवहार में प्रयुक्त होते हों या जो ऐसे प्रयोग के लिये किसी व्यक्ति के कब्जे में हों या जो ऐसे प्रयोग के लिये किसी भू--गृहादि में हों, निरीक्षण कर सकता ह, तथा प्रत्येक ऐसे बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र का, द्वितीय अथवा कार्यमानक बाट अथवा तोलने या मापने के यंत्र से परीक्षण कर सकता ह ।

(२) किसी व्यवहार में प्रयुक्त किसी बाट या माप की शुद्धता का परीक्षण करने के प्रयोजनार्थ निरीक्षक व्यवहार के दौरान में बेची गई अथवा दी गई किसी वस्तु के भार अथवा माप का भी परीक्षण कर सकता है ।

(३) निरीक्षक, समस्त उचित समयों पर, किसी व्यापारी या किसी व्यापारी के किसी कर्मचारी अथवा अभिकर्ता से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उन समस्त बाटों, मापों, तोलने अथवा मापने के यंत्रों को, जो उसके द्वारा प्रयोग किये जाते हों अथवा जो उसके कब्जे में हों अथवा जो व्यापार के लिये प्रयुक्त होने वाले किसी भू--गृहादि में रक्खे हुये हों, तथा तत्सम्बन्धी समस्त लेख्यों और अभिलेखों को निरीक्षण के लिये उसके प्रस्तुत करे, तथा उक्त व्यापारी, कर्मचारी, अथवा अभिकर्ता ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा ।

(४) निरीक्षक किसी ऐसे बाट अथवा माप या तोलने अथवा मापने के यंत्र का, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया प्रतीत हो अथवा जो कोई ऐसा अपराध करने में प्रयुक्त किया गया प्रतीत हो या प्रयुक्त किया जा सकता हो, अभिग्रहण कर सकता है और उसे रोक रख सकता है और ऐसे बाट अथवा माप या तोलने अथवा मापने के यंत्र द्वारा बेची गई अथवा दी गई अथवा बिकवाई या दिलाई गयी किन्हीं वस्तुओं का भी, तत्सम्बन्धी लेख्यों अथवा अभिलेख सहित, अभिग्रहण कर सकता है तथा उन्हें रोक रख सकता है।

(५) जब निरीक्षक के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि सील बन्द पैकेट या पात्र में किसी वस्तु का वास्तव में उतना शुद्ध भार या माप नहीं है जो उसमें होना प्रकट होता है, तो निरीक्षक सील बन्द पैकेट या पात्र को खोल सकता है और उसके भीतर की वस्तु का परीक्षण कर सकता है और यदि ऐसा परीक्षण करने पर उक्त वस्तु का शुद्ध भार अथवा माप ठीक पाया जाय और यदि उसमें रक्खी वस्तु को बिना क्षति पहुंचाये ऐसा करना संभव हो, तो निरीक्षक उक्त पैकेट या पात्र को फिर से सीलबन्द कर देगा, तथा उसके साथ एक प्रमाण--पत्र संलग्न कर देगा जिसमें उस वस्तु का शुद्ध भार या माप दिया होगा, परन्तु यदि उस वस्तु का शुद्ध भार अथवा माप ठीक न पाया जाय तो निरीक्षक उक्त पैकेट अथवा पात्र को तथा उसमें रक्खी हुई वस्तु का अभिग्रहण कर सकता ह तथा उसे रोक रख सकता है ।

(६) ऐसे निरीक्षण के प्रयोजन के लिये निरीक्षक, समस्त उचित समयों पर, किसी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है, जहां बाट, माप अथवा तोलने या मापने के यंत्रों को व्यापार या वाणिज्य के व्यवहारों में प्रयुक्त किया जाता हो अथवा प्रयोग के लिये रखा जाता हो, तथा ऐसे बाटों तथा मापों और तोलने तथा मापने के यंत्रों का निरीक्षण कर सकता है ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी---उपाध्यक्ष जी, मैं इस खंड के पास किये जाने का विरोध करता हूं। यह एक बड़ा सा खंड है और इसमें ५ उपखंड भी हैं। यह खंड निरीक्षकों को निरीक्षण के अधिकार देने का है। मैंने इस विधेयक के प्रस्तुत किये जाने के समय विरोध में अन्य बातों के साथ यह भी कहा था कि इसमें विशेष त्रुटि यह होगी कि इस नये कानून के बनने में इसके अन्तर्गत बहुत से अधिकारी बनाये जावेंगे जिन्हें बहुत निरंकुश अधिकार दिये जावेंगे। निरीक्षक एक बड़ा पावरफुल और बहुत ही अधिकारों से युक्त होगा। खंड १५ में भी जो पास हो चुका है उससे निरीक्षकों को कुछ अधिकार दिये गये ह, मुझे उनसे कोई उलाहना नहीं है। खंड १५ में लिखा है कि निरीक्षक परीक्षण के लिये अपने पास लाये गये प्रत्येक बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र का परीक्षण करेगा और यदि वह ऐसे बाट या माप अथवा तोलने या मापने के यंत्र को शुद्ध तथा स्टैंडर्ड्स आफ वेट्स ऐण्ड मेजर्स ऐक्ट, १९५६ के तथा उसके अधीन बने नियमों के अनुरूप पाता है तो वह उसे नियत रीति से, परीक्षण की मुद्रा से मुद्रांकित कर देगा। एक प्रकार से परीक्षण का अधिकार उसे खंड १५ से दिया है। उसके अधिकार व्यापक, आर्बिट्रेरी बनाने के लिये खंड १६ जोड़ा जा रहा है। ये अधिकार एक प्रकार से घातक भी हैं। खंड १६ के पहले ही भाग में कहा गया है कि निरीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में किसी भू-गृहादि में निरीक्षण कर सकता है। एक प्रकार से उसे हर हिस्से में जाने का अधिकार दिया गया है। खंड १५ में भी वह किसी स्थान पर जा कर निरीक्षण कर सकता है। फिर १६ में निरीक्षण और परीक्षण दो बातें रखकर बड़े व्यापक अधिकार उसे दिये जा रहे हैं।

दूसरे भाग में फिर बताया गया है कि किसी व्यवहार में प्रयुक्त किसी बाट या माप की शुद्धता का परीक्षण करने के प्रयोजनार्थ निरीक्षक व्यवहार के दौरान में बेची गयी अथवा दी गयी किसी वस्तु के भार अथवा माप का भी परीक्षण कर सकता है। आप देखें कि किसी भू-गृहादि में घुसकर वह बाट या माप का निरीक्षण करे, केवल यही नहीं है बल्कि जो चीज उसके किसी बाट से तौली जा चुकी हो, और बेची जा चुकी हो, उसका भी परीक्षण करने का अधिकार उसको दिया गया है। श्रीमन्, मैं अन्य बातों में न जा कर पहले इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि आजकल जो हमारे गवर्नमेंट आफिशियल्स का व्यवहार है वह क्या है। प्रैक्टिकल रूप में वे क्या क्या साधन उपयोग में लाते हैं उनको ध्यान में रखकर ही इस बात को सोचना पड़ेगा। अगर मैं दो एक इंस्टेंसेज आपके सामने रख सकूं तो अत्युक्ति न होगी। देखा यह गया है चाहे वे छोटे आफिशियल्स हों चाहे हायर आफिशियल्स हों, उनको इतने वास्ट पावर्स दे दिये गये हैं जिनकी आड़ में वे रिटेलिएट भी करते हैं, टाइरेनी भी करते हैं और तरह-तरह के उपद्रव करते हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों की हालत तो यह है कि इन इंस्पेक्टरों के द्वारा वहां के जो सरदार आदमी हैं वे अपने यहां की पार्टीबन्दी में लाभ उठाते हैं। मुझे ऐसे इंस्टेंसेज याद हैं कि राजनीतिक पार्टीज में भाग लेने वाले कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध किसी न किसी तरह से चार्ज लगा कर उनको फंसा लिया जाता है। एक मेरा साथी जो मेरे साथ काम कर रहा था और मेरे दौरे में पुलिस वालों की शिकायती नोट लिख रहा था वह ठीक तीसरे दिन ही पकड़ लिया गया और एक पासी जिसका कत्ल हो गया था उस सिलसिले में उसे फंसाने की कोशिश की गयी।

इसी तरह से इंस्पेक्टर लोग देहातों में जाकर सेल्स टैक्स आदि के नाम पर लोगों के साथ किस तरह से मनमानी करते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। तम्बाकू वाले जो इंस्पेक्टर होते ह वे भी देहातों में जाकर लोगों को बहुत परेशान करते हैं। इन लोगों को तो इतना पावर दे दिया गया है कि अगर उनको इस बात का सन्देह भी हो कि पुराने बाट से किसी चीज को तौला गया है या उसे प्रयुक्त किया गया है तो वह उसका निरीक्षण कर सकता है और उसे हर तरह से परेशान किया जा सकता है। यहीं तक नहीं उसे उसके तमाम डाकुमेंट्स, यानी लेखों और अभिलेखों के निरीक्षण करने का भी अधिकार है। चौथे उपखंड में तो यह कहा गया है कि निरीक्षक किसी ऐसे बाट अथवा माप या तोलने अथवा मापने के यंत्र का, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोतीलाल अवस्थी]

के अधीन अपराध किया गया प्रतीत हो अथवा जो कोई ऐसा अपराध करने में प्रयुक्त किया गया प्रतीत हो या प्रयुक्त किया जा सकता हो, अभिग्रहण कर सकता है और उसे रोक रख सकता है और ऐसे बाट अथवा माप या तोलने अथवा मापने के यंत्र द्वारा बेची गयी अथवा दी गयी अथवा बिकवाई या दिलायी गयी किन्हीं वस्तुओं का भी, तत्सम्बन्धी लेख्यों अथवा अभिलेख सहित, अभिग्रहण कर सकता है तथा उन्हें रोक रख सकता है ।

मैं आपके सामने एक उदाहरण रखूं कि हो सकता है कि नये बाट के प्रचलन होने के बाद कुछ दिनों तक लोग अपने घरों में पुराने बाटों को भी रखे रहें, भले ही उससे बिक्री न करें, तो इसकी सम्भावना हो सकती है कि ऐसे लोगों को भी पुराने बाट रखने पर कहा जा सकता है कि इसे प्रयुक्त करने के लिये ही रखा गया है । अब आप देखें कि बाट के सम्बन्ध में पक्ष और विपक्ष दोनों तरह से उसे परेशान किया जा सकता है । इतनी ज्यादा पावर्स हैं कि आरोप लगाने पर उसके बाट सीज किये जा सकते हैं और डाक्युमेंट्स तक सीज किये जा सकते हैं ।

उपखंड ५ में यह पावर्स दी गयी हैं कि निरीक्षक सीलबन्द चीजों पर अगर माप नहीं लिखा हुआ है तो वह सील खोल सकता है । अभी तक मैं नहीं जान पाया हूं कि जितने भी पैकेजेज थे उनमें भार लिखे जाने की बात अनिवार्य रूप से रखी गयी हो लेकिन ठीक पहले जो दफा पास की है १३ उसमें यह रखा गया है कि प्रत्येक बिक्री के लिये जो भी पैकेट रखा गया है उसका जो भार है वह उस पर अंकित किया जाय । इसके न किये जाने पर संदेह मात्र से वह खोला जा सकता है और अगर सही पाया जाय तो फिर रिसील किया जा सकता है । यह बड़ा विस्तृत अधिकार है । पता नहीं किस तरह से कहां पर यह सेंसर किया जायगा और किस स्टेज पर यह सीलबन्द चीजें खोली जायंगी और सीलबन्द की जायेंगी ? यह बड़ा भारी अधिकार दिया हुआ है ।

छठे उपखंड में जो अधिकार दिया गया है वह सर्वोपरि है । इसमें प्रवेश करने का अधिकार खूब फ्रीली दिया हुआ है । यह इस प्रकार है "ऐसे निरीक्षण के प्रयोजन के लिये निरीक्षक, समस्त उचित समयों पर, किसी ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है, जहां बाट, माप अथवा तोलने या मापने के यंत्रों को व्यापार या वाणिज्य के व्यवहारों में प्रयुक्त किया जाता हो अथवा प्रयोग के लिये रखा जाता हो, तथा ऐसे बाटों तथा मापों और तोलने तथा मापने के यंत्रों का निरीक्षण कर सकता है ।" ऐसा मालूम होता है कि पुलिस की तरह परेशान करने के लिये किसी भी समय यह अधिकार इंस्पेक्टर्स को प्रदान किया गया है । इन अधिकारों की सूची देखने से पता चलता है कि ऐसा कोई भी अधिकार नहीं रह जाता है जो उसे न मिला हो ।

प्रश्न यह है कि क्या इन अधिकारों को देने की आवश्यकता है ? दफा १५ इससे पहले है जिसमें परीक्षण करने तथा किसी भी स्थान पर बाटों को मंगाने का अधिकार दिया गया है और ठीक इसके बाद दफा १७ भी है जिसमें बाटों, मापों, तोलने अथवा मापने के यंत्रों का समायोजन करने का अधिकार दिया गया है । तो बीच में दफा १६ जो है यह मुझे अनावश्यक दिखाई देती है जिसके जरिये से इतनी अधिक पावर्स प्रदान की जायं जो बहुत ज्यादा हैं और जो आजकल के आफिशियल केटेगरी के लोगों के व्यवहार को देखते हुए गैर जरूरी मालूम होती है ऐसा मालूम होता है कि सरकार अपने हाथ में यह हथियार लेना चाहती है जिसकी आड़ में वह आये दिन उन लोगों को परेशान कर सकेगी जो उसकी गुड बुक्स में न हों ।

कभी-कभी सरकार को धनी लोगों से रुपया खूब मिलता है । टाटा से लाखों रुपये मिलते हैं । यह भी खुली चीज है कि इन व्यापारियों से धमका कर पैसा लेने की जरूरत पड़ती है । यह भी सही है कि इंस्पेक्टरों के जरिये यह रास्ता और सुलभ हो जायेगा और जब कभी चन्दे की कमी होगी इंस्पेक्टर बाजार में पहुंचेगा और इंतजाम हो जायेगा । यह हमें संदेह है । तो इन सब चीजों का भयंकर रूप है, मैं उसकी अभी चर्चा नहीं करता जो कभी किसी को संदेह हो और अपील करना चाहता हो तो वह क्या करे ? श्रीमन्, अभी वह दफा सामने नहीं है । दफा १९ में जो परेशानी है उसकी अगर अपील करने की गुंजाइश है तो केवल उसी विभाग के उच्च

अधिकारी के पास है । एक निरीक्षक के अन्याय का प्रतिकार करन के लिये अगर जाना पड़े तो उसके इमीडियेट आफिसर के पास ही जाना पड़े । अगर न्याय चाहते हैं तो किसी छोटे अधिकारी की शिकायत उसके बड़े अधिकारी के पास करें जो उसी का सबौर्डिनेट है । कोई भी थानेदार बिना सर्किल इंस्पेक्टर से बात करके रिश्वत नहीं खाता । ' मैं उन लोगों के लिये कहता हूं जो करप्टेड हैं । जो अच्छे हैं उनकी नहीं कहता । तो अगर हमें शिकायत है तो उसके इमीडियेट अफिसर से ही कर सकते हैं जो अपने सबौर्डिनेट का इसलिये पक्ष करना चाहेगा कि रिश्वत में उसका भी साझा है । कैसे न्याय पायेंगे ? अगर हम यह चाहते कि कोर्ट्स में शरण लें, यद्यपि कोर्ट्स के हम पक्षपाती नहीं हैं, लेकिन यह माना जाता है कि न्याय न्यायालयों में मिलता है । तो यदि न्यायालयों के दरवाजे इस प्रतिकार के लिये बन्द हैं और उसी दरवाजे जाना पड़ता है जिसकी शिकायत है तो हम कहेंगे कि हमारे साथ कोई न्याय नहीं होगा ।

श्रीमन्, यह दफा १६ किसी भी रूप में इस एक नये बिल के साथ लगी हुई अच्छी नहीं दिखाई देती । अभी जो एक संशोधन आया उसके सम्बन्ध में विवाद करते समय एक ही चीज दिखाई पड़ रही थी कि जो विरोधी पक्ष के हैं जो समझते हैं हम जनता के विचारों को ले कर आये हैं उनकी हर चीज को सरकारी पक्ष के लोगों को खंडन करना ही है । वह तर्कना से नहीं चल रहे थे बल्कि अपनी पुष्टि से ही, कंविक्शन्स से ही काम ले रहे थे । अन्ततोगत्वा मंत्री जी ने कहा कि उनका होगा क्या ? फाउन्ड्री में लौट कर आ जायेंगे और हम इस सिलसिले में गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिख रहे हैं लेकिन कह नहीं सकते कि होगा क्या ? आखिर उनका निर्णय बिना किसी लक्ष्य को पहुचे हुये था और वह अपने माइन्ड में क्लीयर नहीं हैं । ऐसे बिल का क्या कांसीक्वेंस होगा इसको बगैर समझे हुए यह विधेयक लाया गया और उसके साथ-साथ जो खंड है और जो पावर्स दे रखी है और अधिकारियों की एक लाइन तैयार की है तो इन अधिकारियों की कमी हमारे बीच में नहीं है । अधिकारी विभिन्न विभागों के हमारे सामने आते हैं, ऐक्साइज विभाग, सेल्स टैक्स विभाग, ऐग्रीकल्चर विभाग, मैं उन्हीं विभागों की बात कहता हूं जो ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं और गांव में मनमाने ढग से काम करते हैं । तो इन अधिकारियों को सामने रखते हुए जब हम देखते हैं नये अधिकारियों का तांता, कट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, इंस्पेक्टर और चपरासी यह सब जो होंगे उनके साथ, और चपरासी जो उनसे भी ज्यादा पैदा करते हैं यह सभी का तांता बनेगा अधिकारियों का और वे खुले आम स्थानों पर लूट पैदा करेंगे, इसका क्या असर होगा ? तो यह बिल जो क हर प्रकार से हमारे जीवन में एक प्रकार की नई उथल-पुथल लाने जा रह है, उसका कोई परिणाम नहीं देखा कि वह कहां पहुंचायेगा ।

किसी भी प्रकार की सुविधा कि इस प्रकार से इस मौके पर हम यह सुविधा देंगे कहने के बजाय सिर्फ यही कहना है कि हम इसको धीरे धीरे प्रवेश कर देंगे । इस बिल के साथ ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं, अधिकारियों की पावर्स, उनके फंक्शन्स कि जिनके ऊपर कोई लिमीटेशन नहीं है, जिसके अन्दर यह हो कि वह इससे आगे नहीं बढ़ने पायेंगे । उनको तमाम चीजें तो बता दी गयी कि यहां भी इन्टरफियर करो, लेकिन आखिर किस हद तक करें इसकी लिमिट नहीं है और हर जगह यह गुंजायश है कि वह लिमिट को पार करके आगे बढ़ जायं । अगर कानूनी दृष्टि से एक-एक पावर को देखें तो इतनी वास्ट है कि इसके अन्दर वह किसी भी पावर से आगे बढ़ जायेगा और उसके लिये कोई रोक नहीं है । किसी कोर्ट में ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है । यह तो एक रौलेट ऐक्ट है, काला कानून है, जो जनता के अधिकारों को हनन करने के लिये है । हम अपने अधिकारों को छिनते हुए देखें, उसका निराकरण न कर पावें अपील न कर पावें, कचेहरी में न जा पावें, यह चीज इसमें है । वह भी इतनी जल्दी में पास हो जाय कि प्रवर समिति में न जाय बल्कि आज ही पास हो जाय । मुझे ऐसा मालूम होता है कि सरकार की इस जल्दबाजी के अन्दर कुछ छिपा हुआ षड्यंत्र है । वह यह भी चाहती है कि जनता में कुछ टैरोराईजिंग इफेक्ट पैदा हो । हो सकता है कि वह इसमें लाभ समझते हों । लेकिन Those who sow wind, they reap whirl wind । जो आंधी पैदा करते हैं वह तूफान को उठाया करते हैं । यह आपकी दी हुई चीज है । आप यह न कहें कि पोलिटिकल पार्टीज ने कुछ फैनिंग किया है ..... ।

श्री उपाध्यक्ष--वास्ट पावर की बात आप कई बार कह चुके हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैंने जितनी बातें कही, हो सकता है कहीं रिपीटीशन हो। मैं समझता हूं कि जो इसमें पावर्स हैं वह अन्डिफाइन्ड हैं और अनलिमीटेड हैं। इसलिये श्रीमन्, मेरा यह प्रस्ताव है कि यह कम से कम.....

श्री उपाध्यक्ष—अगर कुछ बाकी न रह गया हो तो आप समाप्त करें। दूसरों को मौका दें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरे बोलने में आपको मालूम हो रहा है कि समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि हमारे हरीसिंह जी दिन का दिन लगा दें। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यह बिल जिस हालत में है, इस हालत में न पास किया जाय जब तक कि इसमें लिमीटेशन न रख दिया जाय.....

श्री उपाध्यक्ष—खंड १६ के बारे में ही आप कहिये, पूरे बिल से क्या मतलब है ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं उसी के बारे में बोल रहा हूं कि प्रत्येक खंड में कुछ ऐसे शब्द हैं। सब में कुछ अनलिमिटेड पावर्स घुसी हुई हैं और अनलिमिटेड पावर्स इतनी ज्यादा हो गई हैं कि उनके पाने से हर एक इंस्पेक्टर एक प्रकार से मुगल किंग हो जायगा और उसे अपनी इस पावर को यूटिलाइज करने में कोई चेक न होगा और इससे बड़ा भारी कन्फ्यूजन और दिक्कत पैदा होगी।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप का भाषण समाप्त हुआ और आप का समय भी खत्म हो गया।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अभी तो बाकी था।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप कल बोलें।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१० फरवरी, १९५९।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ३१८ एल० ए०—१९५९—८४५।